सम्पादक :—
श्री० रामरखसिंह सहगल

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ...	... ६) रु०
छः माही चन्दा	... ५) रु०
तिमाही चन्दा ...	... ३) रु०
एक प्रति का मूल्य	... ≡)

Annas Three Per Copy

भविष्य

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

आध्यात्मिक स्व[राज्य] हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है।

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

संख्या १, पूर्ण संख्या २५

वर्ष १, खण्ड ३

इला[हा]बाद—बृहस्पतिवार ; १९ मार्च, १९३१

संख्या १, पू[र्ण]

उपद्रव

गया
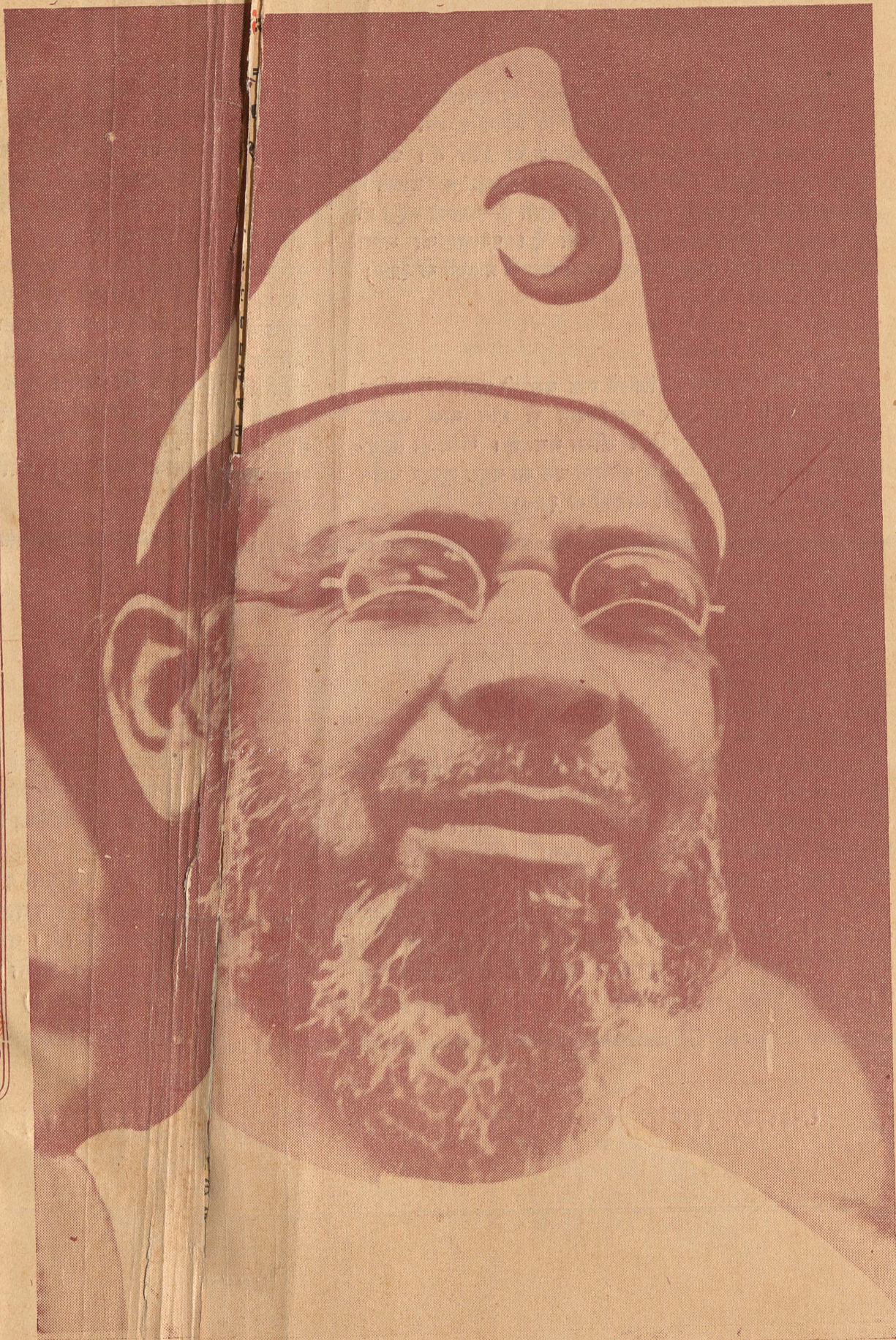
स्वर्गीय मौला[ना] मोहम्मदअली (आपके कराची षड्यन्त्र केस की कार्यवाही अन्दर देखिए)
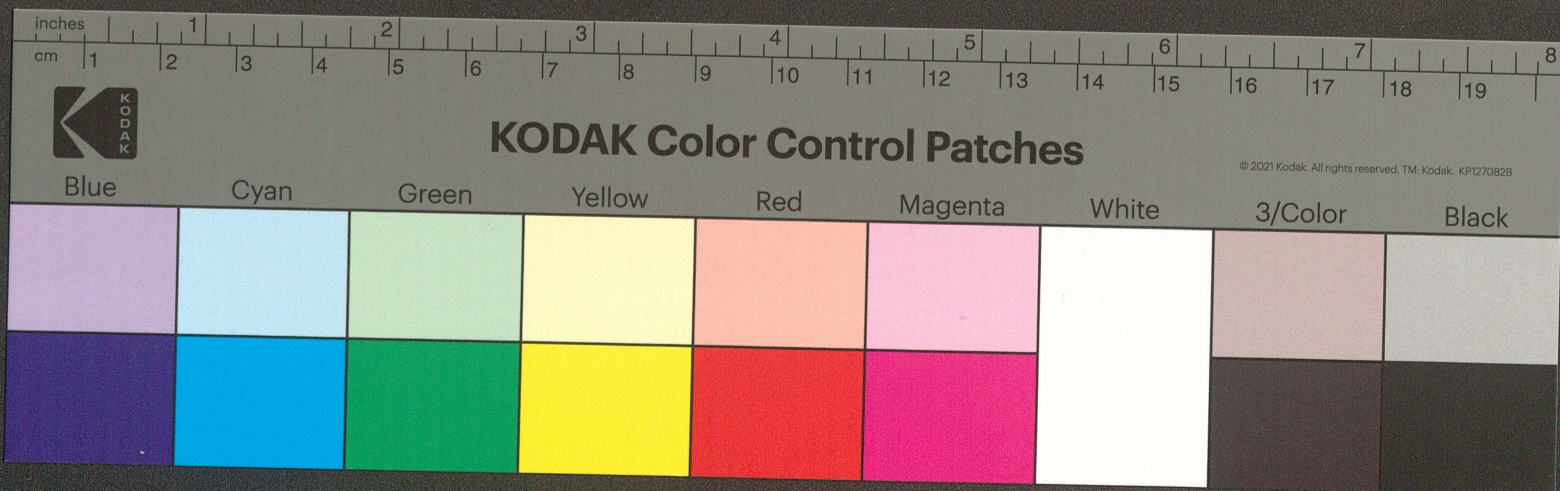
द्याविनोद-ग्रन्थमाला

की

विख्यात पुस्तकें

मानिक-मन्दिर

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होती है—इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

मनोरमा

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर दुष्परिणामों का इसमें नग्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और पतिव्रत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

नयन के प्रति

हि[illegible]दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद'-परिव[illegible]के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद जी क[illegible]ोजवान लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार [illegible] श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव [illegible] भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव होती [illegible]-सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक[illegible] आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर आ[illegible]त किया है। जिन ओज तथा करुणा[illegible] शब्दों में आपने नयनों को धिक्कारा और ल[illegible]त किया है, वह देखने ही की चीज़ [illegible]-व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही तबियत [illegible]ड़क उठती है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! [illegible]ङ्गों में छपी हुई इस रचना का न्योछाव[illegible]ागत-मात्र केवल ।=) ; स्थायी ग्राहकों [illegible] मात्र !

शुक्ल और सोफ़िया

इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढङ्ग से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनों का प्रणय और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥)

गौरी[illegible]ङ्कर

आदर्श-भावों से भरा हु[illegible]ह सामाजिक उपन्यास है। शङ्कर के प्रति गौरी का आदर्श-[illegible]र्वथा प्रशंसनीय है। बालिका गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार [illegible] किया। बेचारी बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर [illegible] मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने[illegible]की कैसी सच्ची सहायता की और उसका विवाह अन्त में शङ्क[illegible] साथ कराया। यह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-स[illegible]का मुखोज्ज्वल होता है। यह उपन्यास निश्चय ही समाज मे[illegible] आदर्श उपस्थित करेगा। छपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ औ[illegible]न्दर है। मूल्य केवल ॥।)

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलो[illegible] इलाहाबाद

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' (हिन्दी अथवा उर्दू-संस्करण) का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

भविष्य

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ३, | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार—१९ मार्च, १९३१ | संख्या १, पूर्ण संख्या २५

बम्बई की सभा में साम्यवादियों का उपद्रव

राष्ट्रीय झण्डा उतार कर लाल झण्डा फहराया गया

कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी के नाश के नारे लगाए गए

साम्यवादियों को महात्मा गाँधी का सम्बोधन

कॉङ्ग्रेस लाहौर के अपने 'स्वतन्त्रता' के प्रस्ताव को भूली नहीं है। कराँची में उसी प्रस्ताव की पुनरावृत्ति होगी और कॉङ्ग्रेस के उन नेताओं को जो गोलमेज़ परिषद् में भाग लेंगे, यह स्पष्ट चेतावनी दे दी जायगी कि वे ऐसी कोई स्वराज्य-योजना स्वीकार न करें जिसमें देश की ११ शर्तों के अनुसार 'स्वतन्त्रता के सार' की माँग पूरी न हो।

बम्बई में १७वीं मार्च को वहाँ के मिलक्षेत्र में महात्मा गाँधी के भाषण के लिए एक विराट सभा की योजना की गई थी; परन्तु सभा के निश्चित समय के पहिले ही 'लाल झण्डा-समिति' (गिरनी कामगार यूनियन) के ५० सदस्य भीड़ को चीर कर मचान पर चढ़ गए और उन्होंने तिरङ्गे राष्ट्रीय झण्डे को उतार कर अपना लाल झण्डा फहरा दिया। उसके बाद उन्होंने 'महात्मा गाँधी का नाश हो' और 'कॉङ्ग्रेस का नाश हो' के नारे लगाए। परन्तु बाद में कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों ने फिर से राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया और जनता में शान्ति स्थापित हो गई। श्री० के०एफ़० नॉरिमेन और कॉङ्ग्रेस के अन्य नेताओं ने श्रमजीवी नेताओं से शान्ति रहने की प्रार्थना की और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि उनके दो वक्ताओं को सभा में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा। सभा में महात्मा गाँधी के प्रवेश करते ही जनता ने 'महात्मा गाँधी की जय' के नारे लगाए, परन्तु कुछ लाल झण्डी वालों ने उस समय भी कुछ विरोधी नारे लगाए।

सभा श्री० नॉरिमेन के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई। उन्होंने प्रारम्भ में श्रमजीवी नेता मि० रानादिवे को भाषण देने के लिए बुलाया। मि० रानादिवे ने कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी का बड़े क्रोधपूर्वक विरोध किया और महात्मा गाँधी पर मेरठ षड्यन्त्र केस के क़ैदियों को मुक्त न करने का दोष लगाया।

महात्मा गाँधी का भाषण

उनके बाद महात्मा गाँधी ने लाल झण्डी वालों के बहुत कुछ विरोध करने पर भी अपना भाषण प्रारम्भ किया। भाषण के प्रारम्भ में ही उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी श्रमजीवियों को धोखा नहीं दिया और न भविष्य में कभी धोखा दूँगा। मैं उस समय से जब कि वर्तमान श्रमजीवियों और साम्यवादियों का जन्म भी न हुआ था, श्रमजीवियों के उत्थान का प्रयत्न कर रहा हूँ। लाहौर कॉङ्ग्रेस के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव की अवहेलना का मुझ पर जो लाञ्छन लगाया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉङ्ग्रेस अपने उद्देश्य पर स्थिर रहेगी और कराची में उसी प्रस्ताव की पुनरावृत्ति करेगी, साथ ही कॉङ्ग्रेस की ओर से जो सदस्य गोलमेज़ परिषद में जावेंगे उन्हें स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दे दी जावेगी कि वे कोई ऐसी स्वराज्य-योजना स्वीकार न करें जिसमें देश को 'स्वतन्त्रता का सार' प्राप्त न हो सके। मेरठ षड्यन्त्र-केस के क़ैदियों के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी ने कहा कि मैं समस्त राजनैतिक क़ैदियों के छुटकारे का इच्छुक हूँ, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता। परन्तु मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस समय तक चैन न लूँगा जब तक सब राजनैतिक क़ैदी मुक्त न हो जायँगे।

श्री० सहगल जी

वहाँ से महात्मा गाँधी दादर की सभा में व्याख्यान देने गए और वहाँ उन्होंने दिल्ली की सन्धि के सम्बन्ध में कहा कि दिल्ली की अस्थायी सन्धि से कुछ स्वराज्य प्राप्त नहीं हो गया। इस अवसर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका परिणाम क्या होगा। जो लोग यह कहते हैं कि गोलमेज़ परिषद असफल हो जाने के उपरान्त युद्ध की पुनरावृत्ति आसानी से न हो सकेगी, वे स्वराज्य के योग्य नहीं हैं।

सन्ध्या समय आज़ाद मैदान में पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में एक विराट सभा हुई उसमें भाषण देते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि पिछले बारह महीनों में किसी ने शान्ति का विचार तक नहीं किया। पर सच्चे सत्याग्रहियों का यह कर्त्तव्य है कि वे सदैव शान्ति और युद्ध दोनों के लिए ही तैयार रहें। इस सन्धि में कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमें लज्जित होना पड़े। सत्याग्रही सदैव त्याग पथ पर रहते हैं और यदि उन्हें अपने विरोधियों से सन्धि करने का अवसर आवे तो उन्हें विचारपूर्वक उसमें भाग लेना चाहिए और इसी भाव से कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने यह सन्धि की है।

महात्मा जी ने क़ैदियों के छुटकारे के सम्बन्ध में कहा कि अगर आप लोग सन्धि की शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे तो उससे बचे हुए राजनैतिक क़ैदियों के छुटकारे में भी सहायता मिलेगी। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उचित समझौता न हो सका तो युद्ध फिर प्रारम्भ होगा। भावी शासन-विधान में प्रतिबन्ध (Safeguards) उसी समय स्वीकार किए जावेंगे जब वे भारत के लिए लाभदायक होंगे। अन्त में उन्होंने विदेशी कपड़े के बहिष्कार, खद्दर पहिनने और हिन्दू-मुस्लिम एकता और छुआछूत दूर करने पर ज़ोर दिया।

दोपहर के उपरान्त महात्मा गाँधी पण्डित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ मिल मालिकों के एक प्रभावशाली दल से मुलाक़ात करने मिल एसोसिएशन के दफ़्तर में गए और वहाँ लगभग एक घण्टे तक मिल-मालिकों से विदेशी कपड़े के व्यापारियों का भार हलका करने के सम्बन्ध में विचार करते रहे।

—प्रेस-प्रतिनिधि के प्रश्न करने पर जामनगर के सुप्रसिद्ध नेता श्री० लवनप्रसाद ने कहा है कि यदि राजाओं की हार्दिक इच्छा संयुक्त शासन विधान में सम्मिलित होने की है तो उन्हें भी तुरन्त सब राजनैतिक क़ैदियों को छोड़ देना चाहिए। राजकोट और धरोल रियासतों ने सब राजनैतिक क़ैदियों को, जो इस सविनय अवज्ञा भङ्ग आन्दोलन के समय पकड़े गए थे, छोड़ दिया है। जोधपुर रियासत ने इस आन्दोलन के पहले पकड़े हुए क़ैदियों को छोड़ दिया है। जामनगर, पटियाला और दूसरी रियासतों ने अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया।

* * *

—आगरा का १२वीं मार्च का समाचार है, कि पं० श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल ११ ता० को जेल से छोड़ दिए गए। आगरे के १३८ राजनैतिक क़ैदियों में से दो नहीं छोड़े गए, शेष सब छोड़ दिए गए हैं। इन दो में से एक पर सविनय अवज्ञा भङ्ग आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पहले से राज-विद्रोह का मुक़दमा चलाया गया था; दूसरे न छूटने वाले पञ्जाब के एक सज्जन हैं।

—मद्रास का ९वीं मार्च का समाचार है, कि श्री० कोण्डा वेण्कटपाया कल गुण्टूर जेल से छोड़ दिए गए। तीस व्यक्ति और भी छोड़े गए, इनमें १० स्त्रियाँ भी शामिल थीं। इन लोगों के मुक़दमों का अभी फ़ैसला न हुआ था।

—लाहौर का ११वीं मार्च का समाचार है, कि श्रीमती राजवती कौल, श्रीमती डी० ई० बेदी, श्रीमती वृजनारायण, श्रीमती कौशल्या देवी और दिल्ली की ४४ स्त्रियाँ आज जेल से छोड़ी गईं। बाद को श्रीमती आसफ़ अली और श्रीमती बसन्ती देवी भी छोड़ दी गईं।

सीमा प्रान्त के 'गाँधी'

श्री० अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ाँ, जो सीमा प्रान्त के 'गाँधी' के नाम से विख्यात हैं, ११वीं मार्च को लाहौर पहुँच गए उनका और जेल से छुटी हुई स्त्रियों का बड़े समारोह से स्वागत किया गया।

जेल में ११ पौण्ड वज़न बढ़ गया

देहरादून का ९वीं मार्च का समाचार है, कि नैनीताल के कुँअर आनन्दसिंह जो यहाँ 'ए' क्लास के क़ैदी थे, आज प्रातःकाल छोड़ दिए गए। उनका वज़न जेल में ११ पौण्ड बढ़ गया है और वे बहुत प्रसन्न हैं।

—अजमेर का ११वीं मार्च का समाचार है, कि सब राजनैतिक क़ैदी छोड़ दिए गए, परन्तु श्री० शङ्करलाल वर्मा, जो प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी थे और श्री० कबीलदास शर्मा जो कॉङ्ग्रेस के प्रसिद्ध काम करने वालों में से थे, अभी तक नहीं छूटे हैं। ये दोनों सज्जन उन पर्चों के बाँटने के लिए गिरफ़्तार हुए थे, जिनमें वर्किङ्ग कमिटी का पुलिस और फ़ौज सम्बन्धी प्रस्ताव था। इनके न छूटने से शहर के लोगों में बहुत असन्तोष फैल गया है। और इस ओर महात्मा जी और पं० जवाहरलाल नेहरू का ध्यान आकर्षित किया गया है।

राजनैतिक क़ैदियों को प्रीतिभोज

प्रतापगढ़ का १०वीं मार्च का समाचार है, कि छूटे हुए राजनैतिक क़ैदियों और वहाँ के स्वयंसेवकों को पृथ्वीगञ्ज स्टेट के भूतपूर्व मैनेजर श्री० ठाकुर साहब गजानन सिंह जी ने प्रीतिभोज दिया।

—नागपुर का ११वीं मार्च का समाचार है, कि आज नागपुर सेण्ट्रल जेल से ३०० के क़रीब 'सी' क्लास के क़ैदी छोड़े गए। जब वे जुलूस बना कर सीताबल्दी की ओर जा रहे थे, दूसरी ओर से जेल की गाड़ी आई और सड़क की चौड़ाई की कमी से ड्राइवर गाड़ी को क़ाबू में न रख सका। १० आदमियों को साधारण चोटें लगीं।

कॉङ्ग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता डॉ० एन० बी० खरे होम-मेम्बर और डिप्टी-कमिश्नर से मिले और इस दुर्घटना की जाँच कराने को कहा। उन्होंने जाँच कराने का वादा किया है।

—बनारस का १६वीं मार्च का समाचार है, कि पुलिस ने लाजपतराय रोड पर अवस्थित एक दूकान की "भगतसिंह" नामक पुस्तिका के लिए तलाशी ली और कहा जाता है क उसकी ९ प्रतियाँ वह ले गई।

स्वागत

श्री० सहगल जी पर से राजविद्रोह का मामला उठा लिया गया!

पाठकों के प्रेम ने उन्हें खींच बुलाया

पाठक 'भविष्य' के विगत् अङ्क में पढ़ चुके होंगे, कि 'भविष्य' के सम्पादक और सर्वस्व श्री० रामरखसिंह जी सहगल गत २री मार्च को ९॥ बजे रात्रि को दण्ड विधान की १२४वीं 'ए' धारा (राजविद्रोह) के अभियोग में गिरफ़्तार करके तुरन्त ही नैनी जेल भेज दिए गए थे। आपके मामले की पेशी ७वीं तारीख़ को पहिली बार हुई थी उस दिन आपने जेल की अदालत की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। अतएव मामला १३ ता० के लिए स्थागित कर

१३वीं मार्च को नैनी जेल से बाहर निकलते ही सहयोगी 'लीडर के प्रतिनिधि द्वारा लिया हुआ सहगल जी का चित्र

दिया गया था दूसरी पेशी के दिन, जब मि० बमफ़र्ड जेल में मामले की कार्यवाही के लिए पहुँचे तब उन्होंने सहगल जी से प्रश्न किया—"मि० सहगल क्या आप जानते हैं, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ?" सहगल जी ने हँस कर उत्तर दिया—"हाँ! मुझे पता चला है कि गवर्नमेण्ट इस मामले को बहुत कमज़ोर समझती है, इसलिए आप मुझ पर से केस उठाने के लिए यहाँ आए हैं।"

वस्तुतः उसी दिन मामला उठा लिया गया और आप नैनी जेल से क़रीब १० बजे दिन के रिहा कर दिए गए। जेल से छूटने के उपरान्त आप १२ बजे के क़रीब 'चाँद' कार्यालय में आए और वहाँ फाटक पर प्रेस और ऑफ़िस के कर्मचारियों ने उनका 'इनक़िलाब ज़िन्दाबाद' के नारों से ख़ूब स्वागत किया। उनके छूटने की इस ख़ुशी में सन्ध्या-समय इन्हें कर्मचारियों की ओर से एक सम्मान-पत्र समर्पित किया गया और एक प्रतिभोज भी दिया गया। सम्मान-पत्र के उत्तर में आपने एक ओजस्वी और अत्यन्त मार्मिक वक्तृता दी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तथा अपनी सफलता के कारण समझाए। वक्तृता के एक-एक शब्द में आत्माभिमान टपकता था। इसी वक्तृता में आपने कहा कि 'जब तक मेरे पास चाय की एक प्याली तक शेष रहेगी, तब तक मैं 'चाँद' और "भविष्य" प्रकाशित करता रहूँगा; चाहे पत्र एक पृष्ठ का ही क्यों न निकले, पर निकलेगा अवश्य।'

कुछ 'साहित्य-सेवियों' का गुण्डापन

इस संस्था तथा सहगल जी से असन्तुष्ट कुछ 'साहित्य-सेवी' गुण्डों ने बड़ी चालाकी से इस अवसर से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया। सारे शहर में इस बात की अफ़वाह फैला दी गई है, कि सहगल जी किसी षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में पकड़े गए थे और वे इसलिए छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया है। लोगों को बड़ी चलाकी से सारी घटना इस प्रकार बतलाई गई, कि जिसमें उनकी समझ से सन्देह की बहुत कम गुञ्जाइश थी। कहा गया, कि २७ तारीख़ को स्वर्गीय 'आज़ाद' कम्पनी बाग़ में गोली से मारे गए, उसी रात को संस्था घेर ली गई और २८ फ़रवरी को हथियारबन्द पुलिस द्वारा तलाशी ली गई और २री मार्च को वे गिरफ़्तार कर लिए गए। इतनी बातें समझा कर, अन्त में यहकहा गया है, कि इक़बाली गवाह बनने के कारण ही वे इतनी जल्द जेल से मुक्त कर दिए गए हैं!

इस बात की भी अफ़वाह सुनने में आई है कि श्री० सहगल जी ने ही स्वर्गीय 'आज़ाद' का पता देकर उन्हें पुलिस द्वारा पकड़वा दिया था, यह भी सुना जाता है, कि इस संस्था द्वारा क्रान्तिकारियों की आर्थिक सहायता की जाती है और उनके पास यह धन रूस से आता है!!

एक दूसरी श्रेणी के लोगों ने यह अफ़वाह भी उड़ाई है कि 'चाँद' कार्यालय सदा से क्रान्तिकारियों का अड्डा रहा है और 'बम-फ़ैक्टरी' मातृ-मन्दिर में स्थापित की गई थी। सम्भवतः इसी अफ़वाह के वशीभूत होकर मातृ-मन्दिर की तलाशीं इतनी कड़ी ली गई, कि पेड़ तक खोद कर देखे गए और अचार और पानी के मटकों तथा तकियों तक में बम ढूँढ़े गए थे।

हमें आशा है, विचारशील व्यक्ति इन सभी अफ़वाहों को घृणा एवं रोष की दृष्टि से ही देखेंगे। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सहगल जी भारतीय दण्ड-विधान की १२४वीं 'ए' धारा के अनुसार 'भविष्य' में 'स्वर्गीय खुदीराम बोस' की जीवनी प्रकाशित करने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे और गत १३वीं मार्च को बिना किसी शर्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट ने उनका मामला उठा लिया; फल-स्वरूप वे मुक्त कर दिए गए।

काशी में १००० स्वयंसेवकों को प्रीति-भोज

गत शुक्रवार को श्रीमती भगवती देवी और श्री० शिवप्रसाद जी गुप्त ने अपने सेवा-उपवन में स्वयंसेवकों को प्रीति-भोज दिया। ज़िले के भी बहुत से स्वयंसेवक आए थे। कुल स्वयंसेवकों की संख्या एक हज़ार के क़रीब थी।

—मद्रास का १२वीं मार्च का समाचार है, कि श्री० सत्यमूर्ति वेलोर जेल से छोड़ दिए गए।

* * *

तपोभूमि से लौटने वाली देवियों का सादर स्वागत
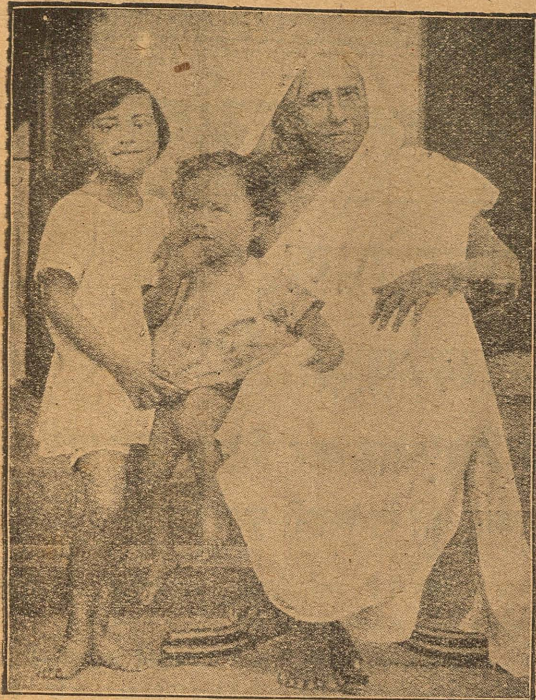
कलकत्ते की श्रीमती मोहिनी देवी, जिन्हें नमक-क़ानून भङ्ग करने के कारण छः मास की सज़ा दी गई थी।

कलकत्ते की श्रीमती लावण्यप्रभा मित्र, जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोलन में चार मास का दण्ड दिया गया था।

कलकत्ते की श्रीमती विमल प्रतिभा देवी, जिन्हें नमक-क़ानून भङ्ग करने के अपराध में छः मास की सज़ा हुई थी।

सत्याग्रह-संग्राम में जेल-यात्रा करने वाली कलकत्ते की सर्व-प्रथम महिला—श्रीमती इन्दुकुमारी गोइनका।
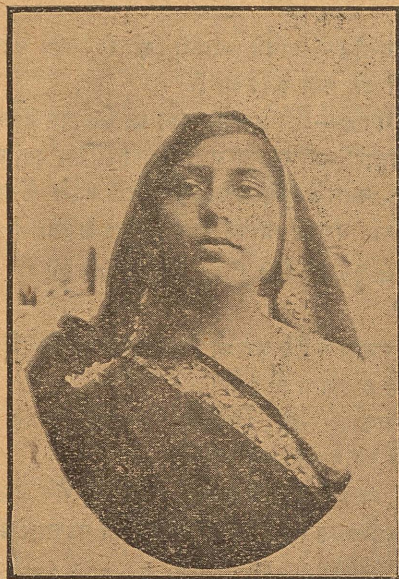
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द की दौहित्री—श्रीमती उषा देवी, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुई हैं।

झाँसी के यूथलीग की प्रेज़िडेण्ट—श्रीमती पिस्तादेवी, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुई हैं।

लखनऊ कॉङ्ग्रेस कमिटी की चौथी डिक्टेटर—श्रीमती श्यामरानी देवी साहनी, जिन्हें छः मास की सज़ा दी गई थी।

आगरे की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्री—श्रीमती शुकदेवी, जिन्हें छः मास की सख़्त सज़ा दी गई थी।

सूरत कॉङ्ग्रेस कमिटी की डिक्टेटर—श्रीमती बसुमती ठाकोर, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुई हैं।

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस की मनोरञ्जक कार्यवाही

मुख़बिर द्वारा पुलिस पर भीषण दोषारोपण

"पञ्जाब की पुलिस को मैं बेईमान समझता हूँ"

"यदि तुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहिनों और स्त्री को गिरफ़्तार कर लिया जाता"

"सच्चे बयान का पन्ना जला कर दूसरा जोड़ दिया गया" :: सर्कारी गवाह का सनसनी-पूर्ण बयान

लाहौर का ६ठी मार्च का समाचार है, कि आज स्पेशल ट्रिब्युनल के सामने लाहौर के नवीन षड्यन्त्र-केस की पेशी हुई। अभियुक्तों के अन्यतम-वकील, लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इक़बाली गवाह ने कहा कि मुझे डी० एस० पी० सय्यद अहमदशाह मोटे-मोटे सवालों का जवाब बता दिया करते हैं।

वकील—वह कौन से मोटे-मोटे सवाल हैं, जिनका जवाब आपको बताया जाता था? और आप क्यों इक़बाली गवाह बने?

गवाह—क्योंकि पार्टी के सभी मेम्बरों ने सारी गुप्त बातें प्रकट कर दी थीं; इसलिए मैंने भी भेद खोल दिया और इसीलिए मैं इक़बाली गवाह बना लिया गया। दूसरा सवाल जो मुझे पुलिस अफ़सर ने पढ़ाया था, वह यह था कि अभियुक्तों से दोस्ती और हमदर्दी ज़ाहिर करना। किसी से दुश्मनी न ज़ाहिर करना।

वकील—बयान देने से पहले किसी व्यक्ति को आपने शनाख़्त किया था?

गवाह नहीं।

वकील—आपको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी?

गवाह—मुझे अपना बयान पुलिस के सामने देने के बाद कहा गया, कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। और अगर तुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहनों और स्त्री को गिरफ़्तार कर लिया जाता और उन्हें भी मुक़द्दमे में शामिल कर लिया जाता।

वकील—तुम्हें इससे किसी प्रकार का डर पैदा हुआ?

गवाह—मुझे डर था कि मेरा भाई दीनानाथ अभियुक्त बना लिया जायगा। परन्तु मुझे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोई डर न था। क्योंकि वे तो मेरा काम करते ही न थे।

वकील—आपने बयान किस लिए दिया?

गवाह—मैंने बयान इसलिए दिया था, कि मुझे माफ़ी देने का वचन दिया गया था। दूसरी वजह यह थी, कि मैं समझता था कि अगर मैं बयान दे दूँ तो मैं भी बच जाऊँगा और मेरे रिश्तेदार भी गिरफ़्तार न होंगे।

वकील—गिरफ़्तारी के बाद आपका कौन सा रिश्तेदार शाही-क़िले में मिला?

गवाह—मेरी स्त्री १९ सितम्बर को मुझसे शाही क़िले में मिली थी।

वकील—आपको किस समय मालूम हो गया, कि आपका कोई रिश्तेदार गिरफ़्तार नहीं हुआ है?

गवाह—मुझे बयान देने से पहले ही पता लग गया था।

वकील—तुम्हारी इच्छा स्त्री से मिलने की थी या वही तुमसे मिली।

गवाह—वह मुझसे ख़ुद ही मिली।

वकील—दीनानाथ शाही क़िले में आपको कब मिला था।

गवाह—सितम्बर के अन्त में। उसने मुझसे बतलाया कि वह मुलाक़ात से एक दिन पहले लाहौर आया है।

वकील—आपने दीनानाथ को क्यों बाहर भेज दिया था।

गवाह—जब हंसराज ने मुझे बतलाया कि हमारी गिरफ़्तारी की सम्भावना है, इसलिए मैंने दीनानाथ को गाँव पर भेज दिया। क्योंकि मुझे डर था, कि वह भी गिरफ़्तार कर लिया जायगा।

वकील—आपने अपनी स्त्री से, जब वह क़िले में मिली थी, क्या कहा था?

गवाह—मैंने उससे कहा था कि अब दीनानाथ की गिरफ़्तारी का खटका नहीं है, इसलिए वह वापस आ जाए। क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन यहाँ आने में कष्ट होगा और वह बराबर आकर मुझसे मिल सकता है।

वकील—इसके सिवा और आपने स्त्री से क्या कहा था?

गवाह—मैंने उसको बतलाया था कि मैं इक़बाली गवाह बन गया हूँ।

वकील—१९ सितम्बर से पहले आपने कौन सी जगह की पहचान की थी?

गवाह—जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उस वक़्त तक भगवतीचरण की मौत की जगह की पहचान की थी।

वकील—आपने लाहौर के दूसरे स्थानों की कब पहचान की?

गवाह—माफ़ी का वचन मिलने के बाद।

वकील—आपने कितनी बार पहचान की?

गवाह—केवल एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने।

वकील—रावलपिण्डी में भी आपने कई स्थानों की पहचान की थी?

गवाह—हाँ।

वकील—कौन-कौन यहाँ से गए थे?

गवाह—मि० महमूद, मैजिस्ट्रेट, ख़ाँ साहब अताउल्लाह इन्स्पेक्टर, मलिक बरख़ुरदार सब-इन्स्पेक्टर, मियाँ मोहम्मद हेड कॉन्स्टेबिल, मेरे साथ लायलपुर गए थे।

वकील—आप लोग किस तारीख़ को रावलपिण्डी गए थे?

गवाह—याद नहीं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद।

वकील—क्या आप ख़ैरातीराम की कार पर बैठ कर लायलपुर गए थे?

गवाह—नहीं।

वकील—फिर किसकी मोटरकार में गए थे?

गवाह—मि० चमनलाल की कार में जो मि० महमूद के दोस्त थे? क्योंकि सी० आई० डी० की मोटर ख़राब थी।

वकील—वह जगह जहाँ पर आपने खाना खाया था, उस दूकान को ढूँढने के लिए पैदल गए थे, या मोटर पर?

गवाह—मैं पैदल गया था। जब वह दूकान न मिली तो पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे एक सिक्ख की दूकान शनाख़्त करवा ली।

वकील—उस वक़्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया और उसने क्या जवाब दिया?

गवाह—पुलिसवालों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि जिस वक़्त की आप बातें करते हैं, उस वक़्त मेरी दूकान वहाँ न थी।

वकील—उस सिक्ख दूकानदार ने या आपने उस दूकानदार की शनाख़्त की?

गवाह—न उसने मुझे शनाख़्त किया और न मुझसे उसकी शनाख़्त कराई गई।

वकील—आपने कितने कारख़ाने पुलिस को दिखलाए।

गवाह—एक मैंने अपनी जानकारी से और दूसरा पुलिस के कहने पर दिखाया।

वकील—आप शेख़ूपुरा कब गए और किस कार में गए और कौन सा मैजिस्ट्रेट आपके साथ था?

गवाह—मैं शेख़ूपुरा मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय गया और मिस्टर महमूद के साथ गया।

वकील—वहाँ पर कौन था।

गवाह—उस मकान में, जिसमें बम का चलना बयान किया जाता था, एक बुढ़िया थी।

वकील—उसने आपकी शनाख़्त कब की?

गवाह—२९ दिसम्बर को, लेकिन उसने पुलिस के कहने पर शनाख़्त की।

वकील—पहले ख़ैरातीराम सरकारी गवाह बने या तुम?

गवाह—ख़ैरातीराम।

वकील—आपने मुक़द्दमे के दौरान में शाही क़िले में किस मुल्ज़िम को देखा?

गवाह—मैंने जयप्रकाश और भीमसेन को दो-तीन दफ़े देखा—उनको इस वक़्त हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वे चारपाइयों से बँधे हुए थे। इस समय मैं भी हथकड़ियों से जकड़ा और चारपाई पर बँधा हुआ था।

वकील—क़िले में कितनी हवालातें हैं?

गवाह—दस-बारह।

वकील—क्या आपका भाई आपसे कभी-कभी मिलता था?

गवाह—हाँ।

वकील—आपके भाई का बयान किस तरह लिया गया और किस अफ़सर ने लिया?

गवाह—सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी०, सी० आई० डी० ने मेरे बयान से कुछ ऐसा बयान निकाल लिया था, जो मेरे बयान की ताईद करता था—और वह भी क़ानूनी पकड़ में नहीं आ सकता था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि मेरा भाई दीनानाथ क़ानूनी पकड़ में न आएगा। मुझसे कहा गया कि मैं उससे अदालत में वह बयान देने को कह दूँ, जो सय्यद अहमदशाह ने लिखा था।

वकील—आपसे सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० ने क्या कहा था?

गवाह—मुझसे कहा था कि सरदार गुलाबसिंह को सरकारी गवाह मुआफ़ी के वादे पर बना लिया जावेगा और वह मेरे बयान की पूरी तरह ताईद करेगा।

वकील—क्या आपको मैजिस्ट्रेट के मकान पर रोज़ाना ले जाया जाता था?

गवाह—ख़ाँ साहब मिस्टर अताउल्ला, मलिक बरख़ुरदार अली, मियाँ मुहम्मद हेड-कॉन्स्टेबिल रोज़ाना मुझे मैजिस्ट्रेट के बँगले पर ले जाते थे।

वकील—क्या पुलिस अफ़सर आपका बयान साथ ले जाते थे?

गवाह—हाँ।

वकील—आप अपना बयान ख़ुद ही देते थे या मैजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब?

गवाह—मैजिस्ट्रेट ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया।

वकील—मलिक बरख़ुरदार और तुम कहाँ बैठे रहते थे?

गवाह—एक कोच पर।

वकील—क्या मलिक बरख़ुरदार आपका पुलिस का बयान हाथ में रखते थे?

गवाह—हाँ।

वकील—आपको कभी मलिक साहब ने मैजिस्ट्रेट के पास अकेले छोड़ा?

गवाह—एक मिनिट के लिए भी मुझे मैजिस्ट्रेट के पास अकेला नहीं छोड़ा गया।

वकील—क्या जो बयान आप मैजिस्ट्रेट के रूबरू देते थे वह पुलिस अफ़सर क़िला शाही में ले जाते थे?

गवाह—हाँ, दूसरे दिन आख़िरी सफ़ा ले आते थे जिसके आगे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था। जब मैजिस्ट्रेट साहब लञ्च के लिए जाते थे तो मैं मलिक बरख़ुरदार अली से मोटी-मोटी बातें पूछ लिया करता था। मुझे मेरा बयान पढ़ कर नहीं सुनाया गया। लेकिन आख़ीर में मैजिस्ट्रेट साहब ने लिख लिया था कि पढ़ कर सुनाया गया। "दुरुस्त तसलीम किया गया।" इस रोज़ ८ तारीख़ थी। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे १०वीं नवम्बर लिखवा लिया। मेरे दिल में विचार आया कि मैं कोर्ट में जाकर इन मैजिस्ट्रेटों की चालाकी बयान कर दूँगा।

वकील—आपने उस वक़्त मैजिस्ट्रेट साहब से क्यों नहीं कहा, कि आज ८वीं तारीख़ है और मुझसे १०वीं नवम्बर लिखा रहे हो।

गवाह—अगर मैं ऐसा करता तो मेरे कान अच्छी तरह खींचे जाते और पुलिस मुझे मारती। यहाँ पर मौक़ा है; मैं साफ़ बयान कर रहा हूँ।

अपना बयान ख़तम करने के बाद मुझे न मैजिस्ट्रेट के आगे ले जाया गया और न बयान पढ़ कर सुनाया गया।

वकील—बयान देने के बाद आपके बयान में कोई तब्दीली शाही क़िला में हुई?

गवाह—मेरे बयान में बहुत-कुछ तब्दीलियाँ की गईं जिसमें से एक मुझे याद है। मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान से एक सफ़ा उड़ा लिया गया और उसकी जगह दूसरा लिख कर रख दिया गया था।

इसके बाद अदालत लञ्च के लिए बरख़ास्त हुई।

जलपान के उपरान्त बहस फिर प्रारम्भ हुई

गवाह—पहले मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि १६ दिसम्बर को काकोरी-दिवस मनाया गया। इस जलसे के सभापति पं० हृदयनारायण थे। भगवतीचरण ने व्याख्यान देते हुए १८५७ के 'ग़दर' शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति ने कहा कि ग़दर की जगह 'जङ्ग आज़ादी' इस्तेमाल किया जावे। मैंने यह भी बतलाया था कि मिस्टर भगवतीचरण ने मैजिक लैण्टर्न से तस्वीरें दिखलाई थीं और तस्वीरों के हालात भी सुनाए थे।

इसके बाद जब यह बयान पुलिस के हाथ आया तो पुलिस ने अपने काग़ज़ निकाल कर देखा कि इस जलसा के सभापति मिस्टर एम० ए० मजीद थे और तस्वीरें मि० केदारनाथ सहगल ने दिखाई थीं। इसलिए पुलिस ने इसके बारे में आपस में सलाह की। बयान तब्दील करने के लिए मेरे सामने ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, ख़ाँ साहब शेख़ नियाज़ अहमद, डी० एस० पी०, ख़ाँ साहब मिर्ज़ा अताउल्ला इन्स्पेक्टर और मलिक बरख़ुरदार अली ने सलाह की। इसके बाद उन्होंने एक पृष्ठ मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की फ़ाइल से निकाला। दूसरे दिन पुलिस अफ़सर एक पृष्ठ मेरे बयान का ठीक करके मेरे पास लाया। यह मैजिस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ दिखलाई देता था। जो पृष्ठ मेरे बयान से निकाला गया वह जला दिया गया और जो पृष्ठ दुरुस्त करके लाया गया था वह बयान में शामिल कर दिया गया। इसकी ताईद मेरे बयान से होती है, क्योंकि मैंने अपने बयान में तारीख़वार सब बातें बतला दी हैं। दिसम्बर के माह में १८ अप्रैल का बयान है।

जिस जलसे का मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, यह असल में 'काकोरी-दिवस' का जलसा नहीं था, बल्कि लाहौर में एक जलसा अप्रैल में हुआ था। इसका विवरण मैंने ग़लती से काकोरी-डे के जल्से के ज़िक्र में कर दिया और क्योंकि इससे पहले मैंने यह बयान भी दिया था, कि मैंने भगवतीचरण को लाहौर के जल्सों में व्याख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफ़सरों ने यह फ़ैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी-डे के विवरण का ज़िक्र अप्रैल वाले जल्से में कर दिया जावे और काकोरी-डे के विवरण को बढ़ा दिया जावे इसलिए दूसरे वर्क़ में जो पुलिस दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट से लिखा कर लाई, पुलिस की इच्छानुसार परिवर्तन थे।

प्रश्न—इस बयान में जो परिवर्तन किए गए हैं उसे ज़रा फ़ाइल में दिखला दो जिसको बाद में पुलिस ने दुरुस्त करके लिखा था। गवाह ने वह बयान दिखला दिया जो पृष्ठ ९ पर था। फिर बयान किया कि जब दोनों बयानों को आपस में मिलाया गया तो इसमें से कई शब्द छूटे हुए थे—उन्हें एक काग़ज़ पर लिखा गया और बाद में मैजिस्ट्रेट साहब से ठीक करवा दिया गया। मैजिस्ट्रेटी बयान में ये शब्द कोने पर लिखे हुए दिखलाए गए।

वकील—कब इस बयान में तब्दीली हुई थी?

गवाह—मुझे पूरी तरह याद नहीं कि यह तब्दीली मेरे बयान होने के बीच में ही हुई, या बाद में। मुझे जो बयान याद करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान को भी और बढ़ाया गया था।

वकील—इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल समझते हो या बेईमानी?

गवाह—पञ्जाब पुलिस को मैं बेईमान समझता हूँ। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि पुलिस ने बेईमानी से ही ऐसा किया। मुझे दिसम्बर में मैजिस्ट्रेटी बयान को याद करने के लिए उसकी नक़ल दी गई थी। बाद को यह कॉपी ले ली गई और साइक्लोस्टाइल से छपी हुई दी गई। पुलिस ने कई बार मेरी परीक्षा ली, पर मैं हर बार सफल रहा।

दूसरे सरकारी गवाहों के बयान मुझे १० जनवरी को शाम को दिए गए। वे साइक्लोस्टाइल से छपे हुए थे। एक दिन मेरे सामने किसी पुलिस अफ़सर ने सरनदास गवाह का बयान दिया, जिसमें मैंने पढ़ा कि ७वीं जून को लाहौर में हंसराज, इन्द्रपाल और गुलाबसिंह मेरी मौजूदगी में बम बनाते थे और रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके विरुद्ध था इसलिए पुलिस अफ़सरों ने आपस में सलाह करके मौजूदगी के पहले 'अदम' लफ़्ज़ बढ़ाना तय किया और जब मुझे साइक्लोस्टाइल से छपी हुई कॉपी दी गई तब इसमें यह शब्द जोड़ा हुआ था।

सफ़ाई के वकील ने अदालत से यह बयान लेकर देखा तो उसमें 'अदम' शब्द वास्तव में बढ़ा पाया। इसकी ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया और अदालत से प्रार्थना की गई, कि इस बात को नोट कर लें कि यह शब्द स्पष्टतः बाद में बढ़ाया हुआ दिखलाई देता है।

* * *

लाहौर का १६वीं मार्च का समाचार है, कि श्री० श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर मुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी गवाहों की एक सूची और अन्य घटनाओं सम्बन्धी तारीख़ आदि, इसलिए पहिले ही दे दी थी, ताकि मुख़बिर उसे ज़बानी याद कर ले! मुख़बिर का कहना था, कि ट्रिब्यूनल के सामने उसका बयान जिन दिनों हो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस उसे बराबर अपनी मनचाही बातें कहने के लिए सिखलाती रही।

प्र०—साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था?

पुलिस के इस प्रश्न पर आपत्ति करने पर श्री० श्यामलाल ने कहा, कि वे यह बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हैं, कि साइमन कमीशन के विरोध के सम्बन्ध में ही पञ्जाब में हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेण्ट सर्वथा ज़िम्मेदार है। इस पर कोर्ट ने इसी प्रश्न को अन्य रूप में रखने की अनुमति दे दी।

प्र०—उस समय जनता की मनोभावनाएँ क्या थीं?

उ०—इस गोरी-कमीशन के प्रति जनता में बड़ा असन्तोष फैल रहा था। (स्वर्गीय) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर यह असन्तोष और भी अधिक बढ़ गया था।

शेष कार्यवाही 'भविष्य' के आगामी अङ्क में प्रकाशित की जायगी।

* * *

तलाशी में पिस्तौल मिली

कानपुर का १३वीं मार्च का समाचार है, कि लोकमन मुहाल के श्री० केदार अहीर के मकान पर सब-इन्स्पेक्टर अब्दुल वासिद ने कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ छापा मारा और उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में एक दोनली पिस्तौल, २७ कारतूस, ३२ बोर और ५४ टोपियाँ मिलीं। श्री० केदार का पता नहीं लगा, पुलिस उनकी तलाश में है।

* *

शारदा-क़ानून तोड़ने वालों पर मुक़दमे

दिल्ली में ११वीं मार्च को एसेम्बली में यह प्रश्न पूछा गया, कि शारदा-एक्ट के अनुसार क़ानून के विरुद्ध विवाह करने पर कितने मुक़दमे अब तक चले, कितनों को दण्ड मिला, कितने हिन्दुओं के विरुद्ध थे और कितने मुसलमानों के। उत्तर में गवर्नमेण्ट की ओर से बतलाया गया, कि कुल २९ मुक़दमे चले जिनमें से २५ हिन्दुओं पर, ३ मुसलमानों पर और १ ईसाई पर थे। इनमें से ११ सफल हुए, ९ ख़ारिज कर देने पड़े, चार को छोड़ देना पड़ा, एक वापस ले लिया गया और चार अभी विचाराधीन हैं। छः मुक़दमों में जुर्माने किए गए, एक में एक माह सादी क़ैद, दूसरे मुक़दमे में क़ैद का दण्ड हुआ, पर अन्त में वे क्षमा कर दिए गए।

अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व शाह का पत्र

पेशावर का समाचार है, कि ज़मींदार-पत्र में सम्राट अमानुल्ला का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल नादिर ख़ाँ ख़ुद बादशाह बन बैठने पर अपने उन सब वादों को भूल गए, जो उन्होंने १९२९ में उस समय के बादशाह के साथ किए थे।

पत्र में यह भी कहा गया है, कि यूरोप जाने के समय अमानुल्ला के दस करोड़ रुपए अपने साथ ले जाने की बात ग़लत है। वे ख़ज़ाने से एक पाई भी नहीं ले गए। उनके पास कुछ अपने प्राइवेट रुपए थे। हिन्दुस्तान के पीरों की बेइज़्ज़ती करने की बात से भी इन्कार किया गया है और वर्तमान सम्राट नादिर ख़ाँ की राज्य-प्रणाली से जो बेचैनी अफ़ग़ानिस्तान में उत्पन्न हुई है, उस पर दुःख प्रकट किया गया है।

श्री० गुप्त की गवर्नर से भेंट

श्री० सेन गुप्त कलकत्ते में गवर्नर से मिले और अपने ११ ता० के लिखे हुए पत्र तथा इधर जो और बातें मालूम हुईं थीं उन पर बातचीत की। अपने पत्र के द्वारा कॉङ्ग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जो केवल सन्देह के कारण अब भी जेलों में पड़े हैं या जो समझौते के अनुसार छुटकारे के अधिकारी होते हुए भी अब तक नहीं छोड़े गए, तुरन्त छोड़ देने के लिए उन्होंने गवर्नर का ध्यान आकर्षित किया है। गवर्नर ने जाँच करने का वचन दिया है।

बर्मा में नया ऑर्डिनेन्स

बर्मा-विद्रोह के बारे में १,००० से अधिक आदमी पकड़े गए थे, किन्तु इनमें से आधे से अधिक छोड़ दिए गए हैं। अब एक नया ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है जिसके अनुसार ३५० आदमियों पर मुक़दमे चलाने की आज्ञा दी गई है और शङ्का है कि मुक़दमों की संख्या अभी बढ़ानी पड़ेगी। फ़ैसले में देर न हो, इसलिए विशेष अदालतें बनाई जावेंगी। इनमें ऐसे हाकिम होंगे जो रङ्गून में हाई-कोर्ट के जज अथवा सेशन जज रहे हों। जिनको ५ वर्ष से कम के लिए कारावास का दण्ड मिलेगा, उनकी अपील इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार न हो सकेगी।

विदेशी कपड़ों की होली

अहमदाबाद का समाचार है, कि वहाँ महात्मा गाँधी जी ने सेठ रणछोड़ लाल इत्यादि के यहाँ से इकट्ठे किए हुए दस हज़ार रुपयों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई।

कराची कॉङ्ग्रेस

महात्मा गाँधी २४ मार्च को कराची पहुँचेंगे। वहाँ उनके ठहरने के लिए एक कुटी कॉङ्ग्रेस नगर में बनाई गई है। कार्यकारिणी समिति ने यह निश्चय किया है कि दर्शकों के ठहरने का स्थान 'हरचन्दराय विशनदास नगर' में होगा। ठहरने के लिए कुल समय के लिए चार रुपए, आठ आने चार्ज होगा। जाने वाले लोगों को तुरन्त सूचना भेज देनी चाहिए, क्योंकि स्थान केवल दो हज़ार आदमियों के लिए है। प्रतिनिधियों को ३) ही देना होगा।

सब राजनैतिक क़ैदियों को छोड़े बिना राजनैतिक वायु मण्डल शुद्ध नहीं हो सकता

डॉ० किचलू का वक्तव्य

एसोसिएटेड प्रेस के सम्वाददाता से डॉ० किचलू ने मुलाक़ात में कहा, कि बिना सब राजनैतिक क़ैदियों को छोड़े राजनैतिक वायु-मण्डल शुद्ध नहीं हो सकता। उन सभी क़ैदियों का, जो देश-भक्ति के कारण जेल गए हैं, छोड़ा जाना आवश्यक है—चाहे वे हिंसावादी हों या अहिंसावादी। सरकार को उचित है कि इन सब क़ैदियों को छोड़ कर युवकों को सन्तुष्ट करे।

एक लाख स्वयंसेवकों को भर्ती करने की प्रतिज्ञा

लाहौर में श्री० अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ाँ ने, जो सीमा-प्रान्त के 'गाँधी' समझे जाते हैं—अपने व्याख्यान में कहा कि अभी युद्ध रोकने के वास्ते समझौता हुआ है, सन्धि नहीं हुई है। राष्ट्रीय कार्य के लिए एक लाख लाल कुर्त्ते वालों को सीमा प्रान्त से मैं भरती करूँगा। आपने यह भी कहा कि पठानों को जातीय झगड़ों से कोई वास्ता नहीं है। वे उन हिन्दू, मुसलमानों और सिक्खों के साथ हैं, जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र कर देने का प्रण किया है!

—जनरलगञ्ज के विदेशी कपड़े के कुछ व्यापारियों ने कॉङ्ग्रेस की लगाई हुई मुहरें तोड़ डाली हैं। यह समाचार पाते ही कॉङ्ग्रेस की ओर से इन व्यापारियों की दूकानों पर शान्तिपूर्ण धरना जारी कर दिया गया है।

—बनारस का ११वीं मार्च का समाचार है, कि तपोनिधि श्रीकृष्ण स्वामी जी ने श्री० विश्वनाथ जी के नए मन्दिर के शिलान्यास की हिन्दू यूनिवर्सिटी के हाते में स्थापना की। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। पं० मदनमोहन मालवीय जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि यह मन्दिर हिन्दू-मात्र के लिए खुला रहेगा, अतः इसमें अछूत लोग भी जा सकेंगे।

क्या भारतवर्ष की जन-संख्या ३५ करोड़, १० लाख हो गई ?

दिल्ली का १४ मार्च का समाचार है, कि भारतवर्ष की जन-संख्या २६ फ़रवरी, १९३१ को ३५ करोड़, १० लाख थी। सन् १९२१ की जन-संख्या ३१ करोड़, ९० लाख थी इसलिए ३ करोड़, २० लाख लोग इस बीच में बढ़े?

राजा साहब कालाकाँकर की चीज़ों की क़ुर्क़ी

लखनऊ का १७वीं मार्च का समाचार है, कि ख़रीफ़ किश्त की मालगुज़ारी के ३८,०००) अभी तक अदा न होने से डिप्टी कमिश्नर प्रतापगढ़ की आज्ञानुसार राजा साहब कालाकाँकर की दो मोटरकारें, एक मोटर लॉरी, एक मोटर-बोट, दो हाथी, कुछ घोड़े और गाड़ियाँ क़ुर्क़ कर ली गई हैं!

राजा साहब को कुल ८८,०००) के क़रीब इस किश्त में देना पड़ता है, इसमें ५०,०००) के क़रीब दिया जा चुका है। उनकी मालगुज़ारी सदैव ठीक समय पर अदा होती रही है। इस बार आर्थिक सङ्कट में पड़े हुए किसानों से लगान वसूल नहीं किया जा सका, यह उसी का परिणाम है।

वे महात्मा गाँधी को अपने यहाँ सदैव टिकाया और उनकी यथाशक्ति सदैव सेवा किया करते थे। पाठकों को स्मरण होगा पं० मोतीलाल नेहरू का देहान्त लखनऊ में उनकी कोठी में ही हुआ था। लोगों कहना है कि सरकार ने उनके राजनैतिक कामों से चिढ़ कर ही यह कार्रवाही की है। राजा साहब की अवस्था केवल २३ वर्ष की है।

पं० जवाहरलाल नेहरू का बम्बई में स्वागत

ता० १५वीं मार्च को पं० जवाहरलाल, श्रीमती कमला नेहरू आदि के साथ बम्बई पहुँचे। स्टेशन पर मि० नरीमैन, सेठ जमनालाल बजाज आदि ने आपका स्वागत किया। पं० जवाहरलाल ने जुलूस निकाला जाना पसन्द नहीं किया। वे मोटर में बैठ कर सीधे अपने निवासस्थान चले गए। ता० १६ को उनकी और श्रीमती कमला नेहरू की एक्स-रे से परीक्षा की गई, क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक न था। आप निरन्तर सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान दे रहे हैं।

'बम का कारख़ाना'

लाहौर का १६वीं मार्च का समाचार है, कि गोपाल किशन, कुँवर और चूना आज एडिशनल ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने लाए गए और फिर मुक़दमा ३१ तारीख़ तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये लोग ३१ जनवरी को पकड़े गए थे। पुलिस का कहना है कि शीशा मोती बाज़ार में ये लोग बम का कारख़ाना चला रहे थे। पुलिस ने हमला करके कुछ बम बनाने वाली कुछ वस्तुओं को प्राप्त किया था और वे लोग पकड़े गए थे।

श्री० सज्जन सिंह की अपील ख़ारिज

लाहौर का १६वीं मार्च का समाचार है, कि श्री० सज्जन सिंह की अपील हाईकोर्ट ने ख़ारिज़ कर दी। सेशन्स जज ने मिसेज़ कर्टिस की हत्या के लिए फाँसी का दण्ड इन्हें दिया था। वह बहाल रहा।

ख़ुफ़िया पुलिस के अफ़सर पर वार

चिटगाँव का १६वीं मार्च का समाचार है, कि पुलिस के असिस्टेण्ट सब-इन्स्पेक्टर श्री० शशाङ्क भट्टाचार्य जी के पेट में, जब कि वे चिटगाँव से २० मील दूर बरामा नामक गाँव में थे, किसी ने गोली मार दी। आप सन्ध्या को चिटगाँव के हस्पताल में लाए गए हैं। आपकी हालत चिन्ताजनक बतलाई जाती है। गोली मारने वाले का अभी तक पता नहीं चला है।

मोटर में बम

कलकत्ते का १४वीं मार्च का समाचार है, कि मानिकतल्ला में एक मोटर-ड्राइवर मोटर को रात में जिस स्थान में बन्द कर के गया, प्रातःकाल उसी स्थान में मोटर पर एक टोकरी उसे मिली। जिसमें कहा जता है, कि एक बम मिला है।

कॉङ्ग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता है

"औपनिवेशिक-स्वराज्य दासत्व की निशानी है"

जनता को आगामी युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश

बम्बई के आज़ाद मैदान में राष्ट्रपति का भाषण :: राष्ट्रपति की क्रान्तिकारियों से सहानुभूति

गत १४वीं मार्च को राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से बम्बई गए थे। जिस शान से बम्बई ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया था, राष्ट्रपति के पहुँचने पर उसने उसी शान से उनका स्वागत भी किया। गत रविवार को आज़ाद मैदान में श्री० के० एफ़० नॉरीमेन के सभापतित्व में एक विराट सभा हुई थी, उसमें भाषण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, कि जब मैं पिछली बार जेल से रिहा हुआ था, तब बम्बई ने मुझे निमन्त्रण दिया था; परन्तु एक सप्ताह के बाद ही मैं फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। जेल से छूटते ही मुझे बम्बई का निमन्त्रण याद आया। और मैं आज उसकी सेवा में उपस्थित हो सका हूँ। बम्बई के राष्ट्रीय संग्राम की ख़बरें मुझे जेल की चहारदीवारी के अन्दर भी मिल जाती थीं और उन्हें सुन कर मेरी छाती फूल जाती थी। मुझे जेल में दुःख केवल इस बात का था, कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुमुल संग्राम में भाग नहीं ले सका और मैं जेल ही में यह सोचा करता था; जब कभी मुझे बम्बई जाने का अवसर प्राप्त होगा, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा और इस बात की परीक्षा करूँगा, कि मेरे जैसा निर्बल व्यक्ति क्या बम्बई की स्त्रियों की तरह देश की कुछ सेवा कर सकेगा या नहीं? मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि ऐसे समय में, जब कि मुझे एक राष्ट्रीय सैनिक की हैसियत से युद्ध में भाग लेकर शत्रु का मोरचा फ़तह करना चाहिए था, मैं इस सभा में भाषण दे रहा हूँ।

दिल्ली की अस्थायी-सन्धि

दिल्ली की अस्थायी सन्धि का वर्णन करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि 'हमारे जनरल ने हमें युद्ध अस्थायी रूप से बन्द करने की आज्ञा दी है। परन्तु यह सदैव याद रक्खो कि उसने हमें कुछ समय के लिए केवल धावा करने से रोका है। यह सन्धि नहीं है और हमारा युद्ध उस समय तक बन्द नहीं हो सकता, जब तक हम अपने देश को पूर्ण स्वतन्त्र न कर लेंगे। मुझे इस बात का अत्यन्त दुःख है कि हमें कुछ दिनों के लिए मोर्चा छोड़ कर वाक्-युद्ध में रत होना पड़ेगा। अभी सन्धि-पत्र की स्याही सूखने भी नहीं पाई और लोग उसकी विवेचना कर उसके अलग-अलग मतलब निकालने लगे हैं। मैं जब वकालत करता था, तब शब्दों की हत्या कर उनसे अपना मतलब निकालने का प्रयत्न करता था, परन्तु मैं अब उससे घृणा करता हूँ। मैंने किसी निश्चित-अर्थ से सन्धि पर अपनी सहमति दी थी। हमारे जनरल ने उसका अर्थ बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और उसकी अक्षरशः पूर्ति पर ही सन्धि सम्भव है।' लाहौर कॉङ्ग्रेस के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव की और २६वीं जनवरी की पूर्ण स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए पण्डित जी ने कहा, कि 'पूर्ण स्वतन्त्रता की वह प्रतिज्ञा आपने ही की थी और यदि आप उसे भूल गए हों तो घर जाकर उस पर ख़ूब विचार कीजिए। याद रक्खो! हम उस प्रतिज्ञा से एक इञ्च पीछे नहीं हट सकते। वह हमारा आदर्श है और हम यह जानना चाहते हैं कि देश उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ तक अपना बलिदान करने के लिए तैयार है। हमें उस आदर्श से च्युत करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जिस कॉङ्ग्रेस ने इतनी शक्तिशाली गवर्नमेण्ट से लोहा लिया है, वह अपना आदर्श नहीं बदल सकती। स्वयं महात्मा गाँधी बदलने में असमर्थ हैं। केवल भारतीय राष्ट्र उसे बदल सकता है!

इस अवसर पर भीड़ चारों ओर से राष्ट्रपति के दर्शन के लिए प्लेटफ़ॉर्म की ओर उमड़ पड़ी। सब सभा में हुल्लड़ मच गई और यह प्रतीत होने लगा, कि सभा को विवश होकर भङ्ग करना पड़ेगा; परन्तु राष्ट्रपति ने भाषण देने का निश्चय कर लिया था। वे अपने स्थान

श्री० के० एफ़० नॉरिमेन

से एक इञ्च भी न हटे। लगभग १५ मिनिट तक भीड़ में अशान्ति रही, परन्तु अन्त में वालण्टियरों की सहायता से सभा में शान्ति हो गई और पण्डित जी ने फिर अपना भाषण प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा कि मैं भाषण देने का निश्चय कर चुका था, यदि सभा में केवल १० व्यक्ति भी रहते, तो भी मैं भाषण देता।

'संसार के सब से बड़े साम्राज्य को घुटना टेकना पड़ा'

शान्ति स्थापित हो जाने पर राष्ट्रपति ने फिर भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा—

"हमने संसार के सब से बड़े साम्राज्य से युद्ध ठाना है" और यद्यपि हम अशस्त्र हैं, परन्तु हमारे जनरल ने हमें सत्याग्रह का वह शस्त्र दिया है, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी घुटनों पर ला दिया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह स्वीकार करने में किञ्चित सङ्कोच नहीं है, कि मैं शस्त्रों के उपयोग से ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। मुझे इस बात में शर्म नहीं मालूम पड़ती, कि हमने इस युद्ध में शस्त्रों का उपयोग नहीं किया। शर्म तो मुझे इस बात की मालूम पड़ती है कि मेरा देश दासत्व के बन्धन में पड़ा हुआ है।

"परन्तु शस्त्रों का उपयोग करने के पहिले हमें उसकी व्यावहारिकता पर अवश्य विचार करना चाहिए। यही सोच-विचार कर हमने अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक पथ का अवलम्बन किया है और समस्त संसार ने इतने से ही उसकी शक्ति का परिचय पा लिया है।

'हमारे वीर कॉमरेड'

"यद्यपि हमने अहिंसात्मक पथ का अवलम्बन किया है, परन्तु हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं, जिन्होंने दूसरा—हिंसात्मक-पथ ग्रहण किया है। वे हमारे वीर कॉमरेड (साथी) हैं। उनमें से अधिकांश अभी भी जेलों की चहारदीवारी में बन्द हैं। मुझे ऐसी परिस्थिति में, जब कि वे जेलों में सड़ रहे हैं; जेल से बाहर होने में शर्म मालूम होती है। हम अपने सभी साथियों को जेल से मुक्त नहीं कर सके, परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि हमें उनसे सहानुभूति नहीं है। यह हमारी निर्बलता है, कि हम उन्हें स्वतन्त्र नहीं कर सके, परन्तु हममें शक्ति आते ही हम उन्हें मुक्त किए बिना चैन न लेंगे।

श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद

"हमारे एक वीर कॉमरेड की हत्या हाल ही में हुई है। उसका नाम था चन्द्रशेखर आज़ाद। दस वर्ष पहले वह १५ वर्ष का एक बालक था और बनारस के एक स्कूल में अध्ययन करता था। गत असहयोग आन्दोलन में अध्ययन को तिलाञ्जलि देकर वह जेल गया और वहाँ 'महात्मा गाँधी की' जय बोलने पर उसे कोड़ों की सज़ा दी गई। परन्तु कोड़े उस वीर के नारे न रोक सकते थे। हर एक कोड़े के उपरान्त उसके मुँह से 'महात्मा गाँधी की जय' का नारा निकलता था और वह उस समय तक जय बोलता रहा, जब तक बिल्कुल बेहोश न हो गया! इस कोमल बालक की निर्भीकता की सराहना किए बिना कौन रह सकता है? उसने देश की ग़ुलामी के प्रतिकार के लिए एक दूसरे पथ का अवलम्बन किया था और वह अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था। अवसर आते ही उसने अपनी आहुति दे दी। यह एक क्षण के लिए भी न सोचो, कि हम उनके पथ का अनुसरण न करने के कारण उनसे किसी प्रकार ऊँचे हैं!

औपनिवेशिक स्वराज्य और दासत्व

"सम्भव है कि औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में फिर वादविवाद उठ खड़ा हो, परन्तु हमारा आदर्श तो पूर्ण स्वतन्त्रता है और हम उस पर डटे रहेंगे। हमें ब्रिटिश लोगों और उनके देश से कोई द्वेष नहीं है, परन्तु मैं उनकी साम्राज्यवादी नीति और उनके मनोभावों से घृणा करता हूँ और मैं उस पद्धति का नाश किए बिना चैन न लूँगा! औपनिवेशिक स्वराज्य के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था और फ़ौज अङ्गरेज़ों के हाथों में रखने की योजना की गई है और यदि ये दोनों उनके हाथों में रहे तो हमारा दासत्व से मुक्त होना कैसा?

पण्डित जी ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर कहा, कि यद्यपि उस उपनिवेश में गोरी जाति बसती है, परन्तु 'बैङ्क ऑफ़ इङ्गलैण्ड' ने उसे दिवालिया बनाने में कोई बात उठा न रक्खी थी। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता, कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय तो उसकी क्या दुर्गति हो। उन्होंने इजिप्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि उसे नाम-मात्र की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, परन्तु पुलिस और फ़ौज अङ्गरेज़ों के हाथों में होने के कारण उसे अब भी उनकी ठोकरें खानी पड़ती हैं। औपनिवेशिक स्वराज्य के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक वातावरण में भी विशेष परिवर्तन न होने पाएगा और मैं उसे सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।

'पूर्ण-स्वराज्य'

'पूर्ण-स्वराज्य' का अर्थ समझाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि "मैं यह चाहता हूँ कि भारतीयों का फ़ौज पर पूर्ण अधिकार हो और ब्रिटिश फ़ौज का एक-एक सैनिक यहाँ से शीघ्र ही हटा लिया जाय। देश के शासन की बागडोर पूर्णतः भारतीयों के सुपुर्द कर दी जाय। दूसरी बात यह है, कि देश की आर्थिक व्यवस्था में विदेशियों का कोई हाथ न हो। वर्तमान आर्थिक वातावरण में परिवर्तन होने की नितान्त आवश्यकता है और यदि उसके सङ्गठन में बम्बई के पूँजीपति बिलकुल मिट जावें, तो भी मुझे रञ्च-मात्र क्लेश न होगा; मैं स्वतन्त्रता देश के मुट्ठी भर पूँजीपतियों के लिए नहीं चाहता। मैं तो आज़ादी देश के करोड़ों ग़रीबों के लिए चाहता हूँ। परन्तु इस प्रकार की आज़ादी औपनिवेशिक स्वराज्य के अन्तर्गत सम्भव नहीं है और इसीलिए मैं उसका विरोधी और 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' का समर्थक हूँ।"

भारत का राष्ट्रीय क़र्ज़

"यदि हमें क़र्ज़ के बोझ से दबा हुआ स्वराज्य मिला, तो वह हमारे किसी काम का न होगा। क्या आप जानते हैं, यह क़र्ज़ किस प्रकार हमारे सिर मढ़ा गया था? हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया गया था; वीर अफ़ग़ानों के प्राण सङ्कट में डाले गए थे, बर्मियों की हत्याएँ की गई थीं और इन काण्डों के ख़र्च का बोझ हमारे ऊपर लादा जाता और ब्याज सहित उसका रुपया वसूल किया जाता है। क्या यह मूर्खता की हद नहीं है? हम इस प्रकार का क़र्ज़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। न्याय के अनुसार तो इस बात की आवश्यकता है, कि भारत के साथ ब्रिटेन ने जो अत्याचार किए हैं, उनके प्रायश्चित्त स्वरूप वह स्वयं भारत को प्रति वर्ष हरजाना दे। गत महा युद्ध के समय भारत की ओर से ब्रिटेन को १ अरब ५० करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप युद्ध के ख़र्च के लिए दिए गए थे! भारत-जैसे ग़रीब देश में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कि वह इतनी बड़ी रक़म पुरस्कार स्वरूप में कर सके। भारत के खाते में वह रक़म ब्रिटेन के नाम लिखी जाना चाहिए और उसकी एक-एक पाई वसूल होनी चाहिए। जो लोग गोलमेज़-परिषद में सम्मिलित होने गए थे, वे ब्रिटेन में भारत को गिरवी रख आए हैं और यहाँ वापिस आकर डोंगे हाँकते हैं कि वे वहाँ से भारत को स्वतन्त्रता का पैग़ाम लाए हैं! देश ऐसी थोथी स्वतन्त्रता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और न वह इस क़र्ज़ को ही स्वीकार करेगा। हम उसका निर्णय स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहते, परन्तु यह अवश्य चाहते हैं, कि भारत के राष्ट्रीय क़र्ज़ के निर्णय का भार एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल के हाथों में सौंप दिया जाय।"

कराची कॉङ्ग्रेस का कर्त्तव्य

"कॉङ्ग्रेस वर्किङ्ग कमिटी ने इस अस्थायी सन्धि की शर्तें इसलिए स्वीकार की हैं, कि उसका प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से आया था और इस सम्बन्ध में वह हठ-धर्मी का परिचय नहीं देना चाहती थी। कराची कॉङ्ग्रेस के सम्मुख बड़ी विकट समस्या उपस्थित है। वही देश के भाग्य का निर्णय करेगी। अपने भाषण के अन्त में राष्ट्रपति ने कहा—
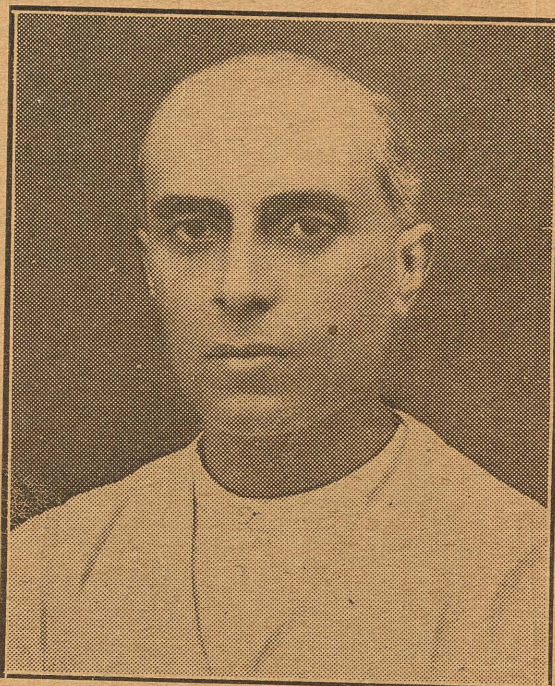
राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू

मैं अन्त में आपको यह चेतावनी देता हूँ, कि यह अन्तिम सन्धि नहीं है; और स्वतन्त्रता के संग्राम का अभी अन्त नहीं हुआ है। समझौता केवल इस बात का हुआ है, कि थोड़ी अवधि के लिए दोनों दल अपने हमले स्थगित कर दें। परन्तु आप युद्ध के लिए सदैव तैयार रहें; न मालूम किस क्षण बिगुल फूँक दिया जाय और तुमुल संग्राम फिर प्रारम्भ हो जाय। इसके साथ ही विदेशी कपड़े को बहिष्कार के द्वारा और कॉङ्ग्रेस के रचनात्मक कार्य-क्रम में रत रह कर अपने मनोभावों को युद्ध की ओर आकर्षित करते रहिए। इससे देश में युद्ध का वातावरण बना रहेगा और जब फिर जनरल की आज्ञा होगी, हम और भी अधिक शक्ति से युद्ध में रत हो सकेंगे और अपना अन्तिम उद्देश्य प्राप्त करके ही चैन लेंगे। यदि आप उसके लिए तैयार हैं, तो स्वतन्त्रता शीघ्र ही हमारा दरवाज़ा खटखटाएगी।

*   *   *

१४,३३५ क़ैदी रिहा!

लन्दन का १६वीं मार्च का समाचार है कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मि० बेन ने मेजर ग्रेहम पोल को बतलाया है कि १३वीं मार्च तक देहली-समझौते के अनुसार कुल १४,३३५ राजबन्दी कारागार से मुक्त किए गए हैं, जिसमें १३,९२७ पुरुष हैं और ४०८ स्त्रियाँ।

साम्यवाद की सफलता

लन्दन का ९वीं मार्च का समाचार है, कि रूटर के मॉस्को के समाचार से मालूम हुआ है, कि मालोटोव ने सोवियट की सर्व-दल कॉङ्ग्रेस की रिपोर्ट लिखते हुए कहा है, कि रूस में साम्यवाद की सफलता पूर्णतः निश्चित है। पर उसने इस पर भी ज़ोर दिया है कि सोवियट की विदेशों से सम्बन्ध रखने वाली बातों की निगरानी अब भी ज़रूरी है, क्योंकि शान्ति को नष्ट करने वाली कुछ लहरें सोवियट लोगों के विरोध के लिए बढ़ रही हैं।

रूस के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति निश्चित होगी

लन्दन का ९वीं मार्च का समाचार है, कि रूटर के वाशिङ्गटन के तार से मालूम हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मि० स्टिम्सन ने कहा है, कि सम्पूर्ण अवस्था का अच्छी तरह अध्ययन करके एक निश्चित नीति रूस के सम्बन्ध में रहेगी। वे स्वयं उन बातों पर विचार कर रहे हैं जिन्हें रूस चाहता है।

रासायनिक वस्तुओं से हाथ-पाँव जल गए

जापान की राजधानी टोकियो में सैकड़ों पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे राजधानी के एक सिरे पर यह देखने को इकट्ठा हुए थे कि फ़ौजी वायुयानों द्वारा रासायनिक मिश्रणों को हवा में छिड़क-छिड़क कर धुएँ के पर्दे कैसे बनाए जा सकते हैं। एकाएक इन जहाज़ों से कुछ रासायनिक वस्तुएँ भीड़ के ऊपर गिर पड़ीं जिससे कितने ही लोगों के हाथ, मुँह और कपड़े जल गए।

संयुक्त शासन कमिटी की लन्दन में बैठक

महात्मा गाँधी जी की उपस्थिति की आशा

मि० मैक्डॉनल्ड ने ता० १२ मार्च को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में विवाद के अन्त में कहा कि संयुक्त शासन कमिटी की एक बैठक लन्दन में शीघ्र होने के लिए, लोगों के बुलाने के लिए वायसराय को लिखा जा चुका है और यह आशा की जाती है कि इस कमिटी में गाँधी जी मौजूद होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा यह दावा है कि सब दलों के अधिकांश लोग गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स के काम में सहायता देने में सम्मिलित होंगे। हम गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स द्वारा वह काम कर रहे हैं, जो मज़दूर-दल की सरकार के आने से पहले प्रारम्भ हो गया था, यह असम्भव है कि उन सब परिवर्तन को, जो पूर्व में और विशेषतः भारत में हो रहा है, हम चुपचाप देखते रहें और यह कहते रहें कि अब तक हमने जो कुछ कह दिया है, वही अन्तिम बात है, जिसके कहने का हमारा विचार है।

*   *   *

महात्मा जी का आदेश

देश के सम्मुख नया कार्य-क्रम

आई० सी० एस० वालों की अपेक्षा स्वयंसेवकों का सम्मान अधिक होना चाहिए

केवल स्त्रियाँ धरना दें :: पुरुष खद्दर तैयार करें

अहमदाबाद में ११वीं मार्च को एक सभा में महात्मा गाँधी ने जनता को नया कार्य-क्रम समझाते हुए कहा, कि "यद्यपि स्त्री-वालण्टियरों की संख्या पुरुष-वालण्टियरों से कम थी, पर काम स्त्रियों ने अधिक किया। बहुत कम लोगों को यह विश्वास था और बाहरी दुनिया के लोगों का तो बिल्कुल ही विश्वास न था कि स्त्रियाँ इतनी अधिक संख्या में स्वयं-यह निर्णय कर लेना चाहिए कि कितना काम पुरुष करेंगे और कितना स्त्रियाँ। यदि धरने का काम केवल स्त्रियाँ करें तो देश का वायु-मण्डल अधिक अच्छा रहेगा। सङ्गठन आदि के काम में स्त्रियाँ पुरुषों से सहायता ले सकती हैं, किन्तु इनका विशेष कार्य धरना ही होना चाहिए। शेष पुरुषों को खद्दर की उत्पत्ति के काम में लगना चाहिए, जिसके बिना विदेशी वस्त्र-बहिष्कार

थी घुड़दौड़ बड़ी भारी जो इर्विन की गाँधी के साथ। आख़िर उसमें मार दिया गाँधी जी के घोड़े ने हाथ॥

सेविकाएँ बनेंगी, हर्ष के साथ जेल जावेंगी और मार सहेंगी। संसार भर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। यह न समझा जाना चाहिए, कि वालण्टियर लोगों ने कोई भूल नहीं की। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, परन्तु स्वयंसेवकों में दोषों की अपेक्षा गुणों की संख्या कहीं बढ़ी-चढ़ी है। अब शान्ति के वायु-मण्डल में हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जिन्हें बाहरी जोश की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कठिनता होगी। शान्तिपूर्ण धरना का अर्थ यह है कि एक कड़े शब्द तक का प्रयोग न हो। यह आशा न करनी चाहिए, कि बाज़ीगर के आम के पेड़ की भाँति, यह महान् कार्य भी तुरन्त कोई फल दे देगा। भविष्य में धरना देने के काम में उत्साह बनाए रखना चाहिए। असम्भव है। स्वयंसेवक लोगों को उनके आवश्यकीय ख़र्च के लिए कुछ रुपए मिलने चाहिएँ, पर उनकी सेवा का सम्मान आई० सी० एस० (भारतीय सिविल सर्विस) से अधिक होना चाहिए।

विलायती माल के बहिष्कार के बारे में प्रश्न पूछा जाने पर महात्मा जी ने उसके उत्तर में कहा, कि एक आदमी को सदैव कोड़े नहीं लगाए जा सकते। जब समझौते की बातचीत हो रही है, तब कोड़े को अलग रख देना चाहिए। विलायती सामान का बहिष्कार विलायत के लोगों को दण्ड देने का एक साधन है। परन्तु यदि विलायत के लोग हमसे मित्रता करें और हमें पूर्ण-स्वराज्य दे दें तो हम उनके सामान को अन्य देश वालों के सामान की अपेक्षा अधिक पसन्द करेंगे। मित्र से ही तो लोगों को सामान लेना चाहिए।

"क्या हमें सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए?"

इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा जी ने कहा—अभी नहीं, जब पूरा समझौता हो जावे तब ऐसा किया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में, कि स्वयंसेवकों को किन नियमों के अनुसार चलना चाहिए? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि झूठ न बोलना चाहिए, अपशब्द न कहना चाहिए, तम्बाकू न पीनी चाहिए, स्वादिष्ट पदार्थ न खाने चाहिए। "क्या चाय पी सकते हैं?" महात्मा जी ने हँसते हुए कहा—"साबरमती नदी से चाय पी सकते हैं!"

इटावा में गोली-काण्ड

तीन आदमी मरे :: कई घायल हुए

इटावा ज़िला काँङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री पं० गोपीनाथ दीक्षित ने इटावे से प्रयाग आकर यह समाचार यहाँ दिया, कि कुछ लोग भरथना स्टेशन पर छूटे हुए क़ैदियों के स्वागत के लिए गए थे और वहाँ से उनके साथ 'ढकाओं का नगला' नामक गाँव में पहुँच कर उन्होंने जुलूस निकाला। यह गाँव इटावे से १६ मील दूर है। जब जुलूस समाप्त हो गया और लोग भूमि पर बैठे महात्मा गाँधी की जय-जयकार कर रहे थे, तब अतिरिक्त-पुलिस के सिपाहियों ने आकर उन पर गोली चलाई, जिससे ३ आदमी मरे और कई घायल हुए। लाठियों से भी कई लोगों को चोटें आईं। दफ़ा १४४ लगा कर मीटिङ्ग को रोकने की कोई आज्ञा नहीं निकली थी। यह गाँव उन चार गाँवों में से एक है, जो करबन्दी आन्दोलन में सब से आगे हैं।

सरकारी विज्ञप्ति

ज़िला मैजिस्ट्रेट का कहना है, कि १० वीं मार्च की शाम को छः सौ लाठीबन्द देहातियों की भीड़ हाथ में राष्ट्रीय झण्डे लिए पुलिस के किराए के मकान के चबूतरे के पास पहुँची और पुलिस वालों को धमकी दी कि घर ख़ाली करके चले जाओ नहीं तो तुम्हारी बन्दूक़ें छीन ली जायँगी और तुम्हें मार कर जला दिया जावेगा। कुछ लोगों ने चबूतरे पर भी चढ़ना चाहा, पर वे हटा दिए गए। तब चबूतरे के नीचे खड़े हुए लोगों ने ईंटें फेंकना आरम्भ किया और ज़बर्दस्ती घर में घुस चलने के लिए चिल्लाए। ख़तरा देख कर गोलियाँ चलाई गईं। कुल १२ कारतूस छोड़े गए। गोली चलने से भीड़ हट गई। ३ आदमियों के मरने की ख़बर है। घायलों की संख्या का पता नहीं। पुलिस वालों में सब के चोटें लगी हैं। मैजिस्ट्रेट ने घटनास्थल पर पहुँच कर घर पर ईंटें लगने के निशान देखे। वहाँ बहुत सी ईंटें पड़ी हुई थीं!!

* * *

भविष्य की नियमावली

१—'भविष्य' प्रत्येक वृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रकाशित हो जाता है।

२—किसी ख़ास अङ्क में छपने वाले लेख, कविताएँ अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। बुधवार की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार आगामी अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं।

३—लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा।

४—हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, अन्यथा नहीं।

५—कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 'भविष्य' में कदापि न छप सकेंगे। सम्वाददाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ अवश्य रहना चाहिए। गुमनाम पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जायगा।

६—लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख कर भेजना चाहिए।

७—समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहिएँ।

८—परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें आदि सम्पादक "भविष्य" (किसी व्यक्ति-विशेष के नाम से नहीं) और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र तथा चन्दा वग़ैरह मैनेजर "भविष्य" चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से भेजने में उनका आदेश पालन करने में असाधारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !!

९—सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए। यदि एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे पते का कवर भिन्न होना चाहिए।

१०—किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर नाम के अतिरिक्त "Personal" शब्द का होना परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है।

—मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर
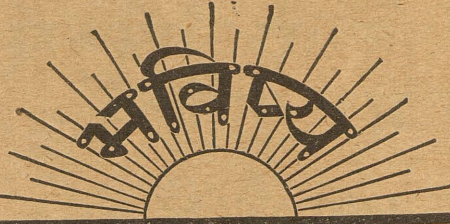
१९ मार्च, सन् १९३१

चेतावनी

गवर्नमेण्ट से—

जो पंक्तियाँ हम आज लिखने जा रहे हैं, वे केवल हमारी ही धारणाओं को व्यक्त नहीं करतीं, वरन् उनमें करोड़ों आत्माओं की करुण रागिणी का मौन निदर्शन पाठकों को मिलेगा। पूँजीवाद एवं साम्राज्यवाद तथा दमन और अत्याचार की पाशविक लीलाओं से झुलसी हुई करोड़ों आत्माएँ आज शान्ति की उपासना में संलग्न हैं। उठते-बैठते, सोते-जागते आज वे शान्ति-मरीचिका को ढूँढ़ रही हैं; किन्तु ज्यों-ज्यों हम उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, त्यों-त्यों वह परछाहीं की भाँति हमारे आगे-आगे दौड़ती अवश्य है, किन्तु जिस प्रकार अपनी परछाहीं को सतत प्रयत्न करने पर भी हम पकड़ नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार यह माया-मरीचिका भी हमें पग-पग पर ठग रही है।

इतने तुमुल राष्ट्रीय संग्राम के पश्चात् ३री मार्च को देश के प्राण महात्मा गाँधी और भारत के वर्तमान वायसराय लॉर्ड इर्विन में क्षणिक-समझौता (Truce) हुआ था और शान्ति के उपासकों ने अपने हृदय की समस्त शक्ति को एकत्रित करके इसी समझौते का स्वागत किया था। इस क्षणिक-समझौते में लॉर्ड इर्विन की विजय हुई थी अथवा महात्मा गाँधी की, यह इतिहासकारों के विवेचन का विचारणीय विषय है, हमारा नहीं। आशा यह थी, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट देश के इस जाग्रत आत्माभिमान की ठीक उतनी ही क़द्र करेगी, जितनी उसे करनी चाहिए; देश के समस्त राजबन्दी, चाहे वे अहिंसात्मक क्रान्ति के उपासक हों अथवा हिंसात्मक क्रान्ति के—दोनों ही मुक्त कर दिए जावेंगे और इस प्रकार देश का वर्तमान कलुषित वातावरण परिवर्तित होकर पूर्व और पश्चिम के सम्मिलन को स्थायी एवं सुदृढ़ करने में सहायक होगा; परन्तु शासन-चक्र जिस प्रगति से चल रहा है, उसे दृष्टि में रखते हुए, हमारा यह सुख-स्वप्न निकट-भविष्य में सफल होगा भी या नहीं, हमें इसमें भारी सन्देह है।

हम देख रहे हैं—'क्रान्तिकारियों' की बात तो जाने दीजिए—वे नवयुवक, जिन्होंने केवल महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था और जिन व्यक्तियों ने शराब तथा विलायती कपड़ों की दूकानों पर शान्तिपूर्वक धरना मात्र दिया था और जो भारतीय पुलिस की कृपा द्वारा दफ़ा ४५१ के अनुसार जेल में ठूँस दिए गए (यह किसी के मकान में घुसने का अभियोग है) थे, वे आज भी जेलों में बन्द पड़े अपने देश-प्रेम और स्वातन्त्र्य-प्रियता का मूल्य चुका रहे हैं—आज तक वे कारागार से मुक्त नहीं किए गए। मेरठ षड्यन्त्र केस के 'अभियुक्त' बिना किसी निर्णय के लगभग ३ वर्षों से जेल में पड़े सड़ रहे हैं। इस सिलसिले में पाठकों को हम यह भी बतला देना चाहते हैं, कि इन व्यक्तियों पर बादशाह से बग़ावत (Waging War against the King) करने का अभियोग चलाया गया है; किन्तु इनके इस बग़ावत में अभी तक हिंसात्मक युद्ध का कोई भी प्रमाण देशवासियों के सामने उपस्थित नहीं किया गया है। आज अण्डमन (कालेपानी) में सैकड़ों राजनैतिक बन्दी अपने जीवन की अन्तिम घड़ी गिन रहे हैं! विभिन्न षड्यन्त्रों में सम्मिलित सैकड़ों 'फ़रार' (भागे हुए) नवयुवक और नवयुवतियाँ आज अपनी सारी शक्ति अपने आत्म-रक्षा में लगा कर भी अपने को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। सर्दार भगतसिंह आदि अनेक नवयुवक आज अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ जेलों की चहारदीवारी में गिन रहे हैं। बङ्गाल के सैकड़ों प्रतिभाशाली नवयुवक आज बिना किसी व्यक्त-अभियोग के राजबन्दियों (Detenus) का करुणापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं; एक ऐसी विकट परिस्थिति में यह आशा करना, कि केवल नमक बनाने वाले अथवा धरना देने वाले थोड़े से क़ैदियों को छोड़ देने मात्र से देश में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जायगा, पत्थर से पानी निकालने की आशा के समान दुराशा मात्र है।

लॉर्ड इर्विन की सरकार को ज़रा ठण्डे दिल से इस बात पर विचार करना चाहिए, कि किसी भी न्याय-प्रिय गवर्नमेण्ट की दृष्टि में समझौते के अवसर पर हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक क़ैदियों का एक ही मूल्य होगा, क्योंकि दोनों ही श्रेणी के लोग क्रान्ति के उपासक हैं, दोनों ही श्रेणी के लोग वर्तमान शासन-प्रणाली को जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देने पर तुले हुए हैं, 'शान्ति और रक्षा' के नाम पर होने वाले अन्यायों को दोनों ही दल के लोग घृणा एवं रोष की दृष्टि से देखते हैं; भारतीय बहू-बेटियों पर पुलिस द्वारा होने वाले अमानुषिक, भीरु एवं निरीह अत्याचारों को दोनों ही दल वालों ने प्रतिहिंसा के भयावह दृष्टिकोण से देखा है। एक दल वालों ने वर्तमान शासन-प्रणाली को आर्थिक सङ्कट में डाल कर क़ानून और व्यवस्था का दिन-दहाड़े श्राद्ध करके इन असह्य अपमानों का बदला चुकाया है, दूसरे ने इस शासन-प्रणाली के कुछ कल-पुर्ज़ों को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया है—अथवा यों कहिए कि एक ने पेट पर आक्रमण किया है, दूसरे ने पीठ पर—पर लक्ष दोनों का एक है। वर्तमान शासन-प्रणाली के विरुद्ध दोनों ने ही खुली बग़ावत की है; भेद केवल इतना है, कि एक दल के लोग अधीर क्रान्तिकारी हैं, दूसरे दल के धीर। एक दल में सहनशीलता की भावना अधिक है दूसरे में कम, एक दल डङ्के की चोट पर क़ानून और व्यवस्था का श्राद्ध करता है, दूसरा छिप कर; स्पष्ट-भेद केवल इतना है, कि अहिंसात्मक दल की संख्या अधिक है, हिंसात्मक विचार वालों की कम, पर किसी भी शासन-प्रणाली के लिए दोनों ही दल के लोग समान रूप से घातक हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुसंख्यक दल के विप्लववादियों से पक्षपात करना सर्वथा न्याय

का गला घोटना है। यदि गवर्नमेण्ट का विश्वास है, कि राजनैतिक बन्दियों को जेल-मुक्त कर देने मात्र से वास्तविक समझौता सम्भव है, तो कोई कारण नहीं है, कि पक्षपात से काम लिया जाय! विभिन्न षड्यन्त्रों के जो विभिन्न अभियोग आज ब्रिटिश न्यायालयों में चल रहे हैं, उनकी कार्यवाहियों को पढ़ने से पता चलता है, कि केवल आत्म-रक्षा की स्वाभाविक भावनाओं से प्रेरित होकर आज अनेक नवयुवक तथा नवयुवतियाँ भागी-भागी फिर रही हैं और उनके पीछे फिर रही हैं पुलिस वालों की अनेक टोलियाँ! एक ओर निर्धन भारत की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए पुलिस के चारा-पानी में व्यय हो रहे हैं, दूसरी ओर नैसर्गिक प्रश्न है आत्म-रक्षा का। आत्म-रक्षा को वर्तमान क़ानून-विधान में भी अन्यतम स्थान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति आत्म-रक्षा के लिए हत्या अथवा हत्याएँ कर डाले तो वर्तमान क़ानून उसे निर्दोष क़रार देता है, किन्तु वर्तमान क़ानून अथवा क़ानून की परिभाषा करने वाले विप्लववादियों के सम्बन्ध में इस क़ानून का अर्थ एक विशेष कोप के आधार पर लगाते हैं। जिस समय किसी भागे हुए विप्लववादी नवयुवक की मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है, उस समय ठीक इसी नैसर्गिक आत्म-रक्षा का प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो जाता है। वह अपने शत्रु पर अपनी सारी शक्ति से आक्रमण करता है; यदि वस्तुस्थिति साधारण हो, तो बात दूसरी है; किन्तु अपनी पीठ पर क़ानून की सुविधानुसार परिभाषा करने वालों का साया पाकर पुलिस भी डट जाती है, और जहाँ एक भी पुलिस वालों का चूहा-बिल्ली तक विप्लववादियों का शिकार हुआ, तहाँ तुरन्त एक नए षड्यन्त्र का सूत्रपात हो जाता है। आज जो अनेक षड्यन्त्र-केस विभिन्न स्थानों में चल रहे हैं, वे हमारी इस धारणा की निरन्तर पुष्टि कर रहे हैं; ऐसी परिस्थिति में यह अवश्यम्भावी और सर्वथा स्वाभाविक है, कि नित्य ही देश के किसी कोने में आत्म-रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता रहेगा और एक न एक भयावह काण्ड अनुष्ठित होते रहेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो हम पूछना चाहते हैं, इन अप्रिय-कार्यों की नैतिक ज़िम्मेदारी किस पर रहेगी?

देश की राष्ट्रीय महासभा ने, महात्मा गाँधी ने तथा अन्य सभी नेताओं ने इन विप्लववादियों से शान्त रहने की अपील की है और जिस दिन से यह अपील की गई है, उस दिन से आज तक कोई भयङ्कर काण्ड हमारे सुनने में नहीं आया है। इस बीच में लाहौर तथा उसके निकटवर्ती एक स्टेशन पर दो नवयुवक क्रान्तिकारी होने के सन्देह पर पकड़े भी गए हैं। उनके पास आत्म-रक्षा का साधन होते हुए भी, उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया और वे हथियारों सहित गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इन घटनाओं से गवर्नमेण्ट को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हिंसात्मक क्रान्तिकारियों की रिहाई पर ठण्डे दिल से विचार करना चाहिए। गवर्नमेण्ट के पास शक्ति और साधन की कमी नहीं है; यदि फिर कभी वे हिंसात्मक क्रान्ति की ओर झुकें तो वह उन्हें तुरन्त गिरफ़्तार कर सकती है। कोई नया ऑर्डिनेन्स पास करके बिना कारण बतलाए ही, बङ्गाल के राजबन्दियों की भाँति उन्हें नज़रबन्द (Detenus) रख सकती है; उस हालत में किसी को शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा, और गवर्नमेण्ट का पक्ष आज से कहीं सबल सिद्ध होगा; किन्तु यदि शीघ्र ही इन नवयुवकों एवं नवयुवतियों की रिहाई नहीं की गई, तो प्रतिक्षण परिस्थिति गम्भीर होने की आशङ्का बनी रहेगी और जिस शान्ति की उपलब्धि में आज शासक और शासित—दोनों ही संलग्न हैं, वह दिन-दिन हमसे दूर होती जायगी।

इस सिलसिले में गवर्नमेण्ट को हम यह भी बतला देना चाहते हैं, कि वह ज़माना लद गया, जब दमन द्वारा स्वेच्छाचारी शासन-प्रणाली का क़ायम रखना सम्भव था; आज देश का स्वाभिमान पूर्णतः जाग्रत हो चुका है, आज देश का बच्चा-बच्चा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक मूल्य देने को लालायित हो रहा है, भारत-माता आज अपने पैरों पर खड़ी होने पर तुल गई है और जब कभी किसी पराधीन देश में ऐसा वातावरण एक बार उपस्थित हो जाता है, तो संसार की कोई भी शक्ति उस देश को अधिक दिनों तक दमन के बल पर अपने अधीन रखने में समर्थ नहीं हुई है—सारे ब्रह्माण्ड का इतिहास हमारे इन विचारों का पोषक है।

वर्तमान परिस्थिति गवर्नमेण्ट के पूर्णतः अनुकूल है। इस समय यदि दूरदर्शिता एवं उदार-हृदयता और मित्रता की भावनाओं से काम लिया गया, तो निश्चय ही वह जनता के स्नेह और श्रद्धा का भाजन हो सकेगी और लोकमत तथा भारतीय मनोवृत्ति को अपने अनुकूल रख सकेगी; भारतवर्ष और ब्रिटेन का सम्बन्ध परस्पर अकाट्य मित्रता के सूत्र में बँध जायगा; अतएव यदि वास्तव में गवर्नमेण्ट अपने और भारत के सच्चे कल्याण की आकांक्षा रखती है, तो हृदय खोल कर उसे अपनी इस बदली हुई मनोवृत्ति का परिचय देना होगा!!

* * *

विप्लववादियों से—

इस सिलसिले में हम उन विप्लववादियों को भी, जिनका विश्वास हिंसात्मक क्रान्ति में है, अपनी ओर से इस बात की चेतावनी देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं, कि उन्हें भी देश के वर्तमान वातावरण से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हें अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य न करना चाहिए, जिससे वर्तमान शान्तिपूर्ण वातावरण के कलुषित होने की ज़रा भी सम्भावना हो। उन्हें इस सुअवसर पर ठण्डे दिल से बैठ कर अपने पग-पग पर होने वाली विफलताओं के इतिहास पर अश्रुपात करना चाहिए। परिस्थिति के अनुकूल न होने के कारण, आज उन्होंने भारत-माता के कितने लालों को कौड़ियों के मूल्य में खो दिया है, कितनी माताओं की गोदियाँ ख़ाली कर दी हैं, कितने पिताओं के अवलम्बों की आहुति दे डाली है, कितनी बहिनों को भ्रातृ-प्रेम से वञ्चित कर दिया है, कितने ही निर्धन परिवारों के पोषकों को उनसे छीन लिया और कितनी नवयुवतियों का सौभाग्य-सिन्दूर उन्होंने पोंछ डाला है—तो हमारी निश्चित-धारणा है वे अवश्य रो पड़ेंगे; जिस समय वे अपने जमा और ख़र्च के खाते को उलट कर एक बार देखेंगे, तो उनके नेत्रों से अविरल-अश्रु की धारा प्रवाहित हुए बिना नहीं रह सकती।

लगभग एक दर्जन सरकारी कर्मचारियों की गुप्त हत्याओं के बदले में उन्होंने हज़ारों देशवासियों का निर्मम बलिदान कर डाला है। आज सैकड़ों प्रतिभाशाली नवयुवक, जिनमें से एक-एक व्यक्ति में अहिंसात्मक उपायों द्वारा कम से कम एक-एक ज़िले के सङ्गठन करने की क्षमता थी—आज जेलख़ाने के सीख़चों में पड़े अपने जीवन की घड़ियाँ गिन रहे हैं। इतना बड़ा त्याग, इतनी अनुपम तपस्या और इतनी कठोर साधना का परिचय यदि अन्य रूपों में दिया गया होता, तो न जाने देश की वे कितनी ठोस सेवा कर सकते थे, क्योंकि उनके हृदयों में स्वदेश-प्रेम, स्वार्थहीनता और आत्मोत्सर्ग का एक विशाल और असाधारण विश्व छिपा हुआ था—उनके हृदयों में उच्च श्रेणी की दया, नेकी तथा बलिदान की आग धायँ-धायँ करके जल रही थी—ऐसे लालों को खोकर आज भारत-माता चीत्कारपूर्ण रोदन कर रही है। माता के इन अश्रुओं को उन्हें पोंछना चाहिए, उन्हें चाहिए, कि अपनी सारी शक्ति वे भारतवासियों के सङ्गठन में लगा दें और अपना सारा पराक्रम कॉङ्ग्रेस के निर्धारित कार्य-क्रम की भेंट चढ़ा दें, हमारी दृष्टि में इसी में उनका तथा उनके देश का कल्याण है। भारतीय महासभा की कार्य-प्रणाली कुछ दिन पहले चाहे कितनी ही त्रुटिपूर्ण रही हो, किन्तु आज उसका निर्धारित-ध्येय ठीक वही है, जो हिंसात्मक क्रान्ति के उपासकों का—कुछ अंशों में कॉङ्ग्रेस की खुली बग़ावत का दायरा और भी विस्तृत है।

वर्तमान हिंसात्मक क्रान्तिवादियों का विश्वास है, कि हमारी वर्तमान ग़ुलामी का कारण नौकरशाही के कुछ पुर्ज़ें मात्र हैं। शायद उनका यह विश्वास है कि इन पुर्ज़ों को नष्ट कर देने से वर्तमान शासन-प्रणाली स्वयं नष्ट हो जायगी—कम से कम उस पर क्रान्तिवादियों का आतङ्क अवश्य छा जायगा और पहिले की अपेक्षा वह भारतवासियों के मनोभावों की विशेष क़द्र करने लगेगी—पर आज तक की घटनाओं ने यह उनका कोरा भ्रम प्रमाणित किया है। स्वर्गीय सॉण्डर्स और सिम्पसन आदि सरकारी कर्मचारी क्रान्तिकारियों की इसी धारणा के बलिदान हुए हैं। कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर सर चार्ल्स टेगार्ट पर इसी धारणा के वशीभूत होकर बार-बार आक्रमण किए गए थे, पर इसका फल क्या हुआ? अनुभव यही सिद्ध करता है, कि एक स्वेच्छाचारी सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई और तुरन्त उससे भी क्रूर कर्मचारी ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया; दमन-चक्र और भी ज़ोरों से चलाया गया और उसका परिणाम वही हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर की पंक्तियों में किया जा चुका है। अस्तु।

सारांश यह है, कि हिंसात्मक क्रान्तिवादियों का उद्देश्य भी वर्तमान शासन-प्रणाली को नष्ट करना है और आज की कॉङ्ग्रेस का भी यही उद्देश्य है। अन्तर केवल इतना ही दिखाई पड़ता है, कि क्रान्तिकारी नौकरशाही के कुछ कल-पुर्ज़ों के नाश करने के पक्ष में हैं और कॉङ्ग्रेस उस सारी मैशीन को, जिसके अङ्ग यह कल-पुर्ज़े हैं—वर्तमान कॉङ्ग्रेस की भी यह निश्चित-धारणा है, कि भारतवर्ष का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान बिना वर्तमान शासन-पद्धति मिटाए, एक बार ही असम्भव है। दोनों दल वालों का उद्देश्य एक है—दोनों का चरम-साध्य देश की स्वतन्त्रता है—केवल पथ दोनों के भिन्न हैं, साधन अलग हैं। जिस दिन ये दोनों शक्तियाँ परस्पर मिल कर कार्य करने लगेंगी, वह दिन वास्तव में भारतीय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उद्योगों के इतिहास में प्रथम वर्ष-गाँठ का अमर-दिवस समझा जायगा!!!

* * *

क्या यही समझौता है ?

३री मार्च के प्रातःकाल महात्मा गाँधी और लॉर्ड इर्विन का ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसकी चर्चा 'भविष्य' के गताङ्क में विस्तृत रूप से की जा चुकी है। इस समझौते के बाद यह आशा थी, कि नौकरशाही के गुर्गे लॉर्ड इर्विन के आदेशों का अक्षरशः पालन कर देश में शान्ति का वातावरण उपस्थित करने में अपनी सारी शक्ति से योग देंगे और विद्वेष एवं प्रतिहिंसा की जो उपेक्षणीय भावनाएँ आज देश के वायु-मण्डल को कलुषित कर रही हैं, उन्हें समूल नष्ट करने में सहायक होंगे; पर ३री मार्च के बाद पुलिस द्वारा होने वाले जिन अत्याचारों के समाचार हमारे पास आए हैं और आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता, कि परिस्थिति निकट-भविष्य में सुधर सकेगी। हम इस सिलसिले में कुछ प्रमाण भी देने को तैयार हैं:—

(१) ६ठी मार्च को नेलोर (मद्रास) में गाँधी-इर्विन समझौते का स्वागत करने के अभिप्राय से नगर-

निवासियों ने एक वृहत् सभा की थी। सभा के प्रारम्भ होते ही अपने दल-बल सहित पुलिस वहाँ पहुँच गई। यह शान्तिपूर्ण सभा ग़ैर-क़ानूनी ही घोषित नहीं की गई, बल्कि कहा जाता है, पुलिस ने जनता पर लाठियों की भी वर्षा की। इसके विरोध-स्वरूप मद्रास व्यवस्थापिका सभा में एक विरोध का प्रस्ताव भी हाल ही में उपस्थित किया गया है।

(२) ढाका का समाचार है, कि ९वीं मार्च को मुन्शीगञ्ज के सशस्त्र पुलिस के एक जत्थे ने वहाँ के कॉङ्ग्रेस ऑफ़िस पर धावा किया और कॉङ्ग्रेस का ताला तोड़ कर तलाशी लेना आरम्भ कर दिया।

(३) जब कि अन्य सारे ऑर्डिनेन्स रद्द किए जा चुके हैं, बर्मा-विद्रोह के सम्बन्ध में एक नया ऑर्डिनेन्स इस समझौते के बाद ही पास किया गया है।

(४) १२ वीं मार्च को बङ्गाल के प्रतिभाशाली नेता श्री० जे० एम० सेन गुप्ता ने महात्मा गाँधी के नाम एक तार भेजा है, जिसका सारांश यह है :—

कुछ ज़िलों के अधिकारी अब तक पुरानी नीति ही बरत रहे हैं। ९ तारीख़ को एक सब-डिविज़नल ऑफ़िसर ने अतिरिक्त-पुलिस-कर वसूल किया। कण्टाई हाउस, जिस पर पुलिस ने सत्याग्रह के दिनों में दख़ल कर लिया था, अब तक पुलिस के हाथ में है। बहुत से क़ैदी जो क्षणिक-सन्धि के अनुसार छोड़ दिए जाने चाहिएँ, अब तक नहीं छूटे हैं। गत ९ मार्च को आरामबाग़ में पुलिस ने लाठियाँ चला कर जुलूस भङ्ग कर दिया, जिससे ११ स्त्रियाँ और ६ पुरुष घायल हुए। बङ्गाल में नज़रबन्द क़ैदियों का न छूटना काँटे की तरह चुभता है। नज़रबन्दों में बहुत से भारतीय कॉङ्ग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं। पहले की तरह मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इनकी रिहाई के लिए आप पुनः प्रयत्न करें।

(५) कलकत्ते का १२वीं मार्च का समाचार है, कि बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार काशीपूर (ज़िला फ़रीदपूर) के श्री० फनीभूषण दत्त नज़रबन्द कर लिए गए।

(६) संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्री डॉक्टर सय्यद महमूद ने भी गाँधी-इर्विन समझौता हो जाने के बाद भी गवर्नमेण्ट द्वारा इसका पूर्णतः पालन न होने के सम्बन्ध में बड़ा रोष प्रकट किया है। आपने ख़ास तौर से पुलिस की ज़्यादतियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी प्रकाशित किया है।

(७) गुण्टूर तथा पेदापुर आदि स्थानों से भी पुलिस द्वारा लाठी-प्रहारों के वीभत्स समाचार आए हैं।

(८) काशी का समाचार है, कि वहाँ की जनता ने "आज़ाद-दिवस" मनाने का निश्चय किया था, किन्तु अधिकारियों द्वारा आज्ञा नहीं दी गई और दफ़ा १४४ का 'राम-बाण' छोड़ दिया गया।

(९) १०वीं मार्च का क्लेशपूर्ण समाचार है, कि इटावा ज़िला में पुलिस द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसके फल-स्वरूप ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने ही घायल हुए। इस दुर्घटना की जाँच करने के लिए संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी ने स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू के दामाद, श्री० आर० एस० पण्डित को नियुक्त किया था। आपने अभी तक निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया है, जाँच अभी हो रही है :—

इटावा ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० गोपीनाथ दीक्षित ने प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी में इस आशय की रिपोर्ट की है, कि इटावे से १६ मील दूर 'काको-के-नगले' में अतिरिक्त-पुलिस के गोली चलाने से २ आदमी मरे और ३ घायल हुए। (बाद का समाचार है ३ मरे। स० भविष्य) कुछ आदमी लाठियों से घायल हुए।

कहा जाता है, कि लखनऊ से छूटे हुए राजबन्दी आए थे। भर्थना स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। वहाँ से वे जुलूस द्वारा नगले ले जाए गए। कहते हैं कि पुलिस ने गोली तब चलाई, जब जुलूस शान्तिपूर्वक गाँव में पहुँच चुका था और जुलूस वाले ज़मीन पर बैठे हुए 'महात्मा गाँधी की जय' के नारे लगा रहे थे। इस गाँव में जुलूस आदि न निकालने के लिए १४४ धारा नहीं लगी हुई है। कहा जाता है, कि पुलिस सब-इन्स्पेक्टर उपस्थित न था, अतिरिक्त-पुलिस के हेड-कॉन्स्टेबिल के नेतृत्व में सिपाहियों ने गोलियाँ चलाईं। यह गाँव उन चार गाँवों में से है, जहाँ अतिरिक्त-पुलिस रक्खी गई है और वहाँ दो सप्ताह पूर्व गोरी फ़ौज दौरा कर चुकी है। यह गाँव करबन्दी आन्दोलन का केन्द्र रह चुका है। इटावा कॉङ्ग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं।

(१०) बङ्गाल का समाचार है, कि ९वीं मार्च को आरामबाग़ की महिलाओं ने अपना एक जुलूस निकाला था, कहा जाता है पुलिस के एक लठबन्द जत्थे ने इन देवियों पर बुरी तरह आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप १० महिलाओं को सख़्त चोटें आईं और अनेक घायल हुईं। राह-चलतों की भी, कहा जाता है, पुलिस ने अच्छी मरम्मत की।

इसी प्रकार के अन्य अनेक दुखमय समाचार नित्य ही सुनने में आ रहे हैं। इन घटनाओं से और चाहे कुछ प्रकट हो अथवा नहीं, पर इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय ख़ज़ाने से पुश्त-दर-पुश्त पलने वाली भारतीय पुलिस किस हद तक निरङ्कुश बना डाली गई है। क्या वास्तव में लॉर्ड इर्विन और उनकी सरकार इनको क़ाबू में करने से असमर्थ है? क्या कोई भी साधन उनके पास शेष नहीं रह गया है, जिससे वे भारतीय पुलिस को शान्तिपूर्ण वातावरण का महत्व और ऐसा न होने से उसकी हानियाँ इन्हें समझा सकें ??

* * *

सुभाष बाबू की चेतावनी

गाँधी-इर्विन समझौते के सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट राय जानने के लिए, यद्यपि प्रेस-प्रतिनिधियों ने बङ्गाल के प्राण—श्री० सुभाषचन्द्र बोस को कई बार घेरा, किन्तु वे आज तक इन्कार करते रहे। उनका कहना था, कि बिना परिस्थिति को पूर्णतः समझे और बिना म० गाँधी से मिले, वे इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहना चाहेंगे। इसी उद्देश्य से १६ मार्च को सुभाष बाबू केवल महात्मा गाँधी से मिलने के लिए बम्बई पधारे थे और उनसे मिल कर १७ मार्च को वे पुनः कलकत्ते लौट आए। यहाँ बङ्गाल के सभी प्रसिद्ध नेताओं से सलाह करके वे अपना वक्तव्य प्रेस के हवाले करेंगे, किन्तु बम्बई में एक प्रेस-प्रतिनिधि से बातें करते हुए उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक बङ्गाल के ८०० राजनैतिक बन्दी बिना किसी शर्त के मुक्त नहीं कर दिए जाते, तब तक बृटिश गवर्नमेण्ट से किसी प्रकार का सहयोग स्थापित करना एक बार ही असम्भव है। उन्होंने कहा है, कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी घर-घर चर्चा हो रही है, प्रत्येक विचार के लोग इस बात के लिए खिन्न हो रहे हैं। उनका कहना है, कि शान्तिपूर्ण वातावरण को स्थापित करने के लिए यह परमावश्यक है कि प्रत्येक राजबन्दी को—चाहे उसका अपराध हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक क्षमा-दान किया जावे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा की है, कि यदि शीघ्र ही मेरठ षड्यन्त्र केस के बन्दी, बङ्गाल के नज़रबन्द (Detenus) तथा हिंसात्मक अपराधों के लिए दण्डित होने वाले लोग नहीं छोड़ दिए गए, तो राजनैतिक परिस्थिति बहुत गम्भीर हो जाने की सम्भावना है।

इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं, कि यदि शीघ्र ही परस्पर के अनेक वैमनस्यों को तिलाञ्जलि देकर कॉङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट में वास्तविक समझौता न हुआ और यदि राष्ट्रीय संग्राम दूसरी बार छिड़ गया—जिसकी पग-पग पर सम्भावना है, तो इसका परिणाम दोनों ही दलों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कॉङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट दोनों को ही इस सुअवसर से समुचित लाभ उठाना चाहिए, देश और राज्य का इसी में कल्याण है!

* * *

"पूर्ण स्वराज्य" की व्याख्या

कराची कॉङ्ग्रेस को क्या करना चाहिए ?

१९वीं मार्च को बम्बई के आज़ाद मैदान में होने वाली सभा में व्याख्यान देते हुए राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने "पूर्ण स्वराज्य" की व्याख्या करते हुए अपनी स्थिति बिल्कुल साफ़ कर दी है। आपने कहा है कि "पूर्ण स्वराज्य" का अर्थ है फ़ौज, अर्थ-विभाग, तथा शासन-प्रबन्ध का पूर्णतया भारतवासियों के हाथ में आ जाना। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कि वह कोई समझौता न होगा, जो इन समस्याओं को हल करने में असमर्थ सिद्ध हो और वे हमेशा उस समझौते से दूर रहेंगे, जो लाहौर कॉङ्ग्रेस की शर्तों को पूरा न करेगा। आपने यह भी कहा है कि वे किसी विधान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक देश का शासन-भार जनता के हाथों में पूर्णतः न आ जावे। केवल थोड़े से अङ्गरेज़ों के स्थान पर मुट्ठी भर हिन्दोस्तानियों को नियुक्त करने के विधान को वे कोई विधान नहीं मानते।

राष्ट्रपति से प्रश्न करने पर, कि उन्होंने देहली वाले अस्थायी-समझौते को क्यों स्वीकार किया? पं० जवाहरलाल जी ने कहा, कि चूँकि लॉर्ड इर्विन ने कॉङ्ग्रेस के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि कॉङ्ग्रेस को भारत की राष्ट्रीय संस्था भी मान लिया, जिसके पीछे देश की विशाल शक्ति लगी हुई है और चूँकि महात्मा गाँधी को कॉङ्ग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व का पूर्ण अधिकार दे दिया गया था, इसलिए यदि उनके समझौते का आदर न किया जाता—और ख़ासकर ऐसी हालत में, जब कि विपक्षी स्वयं समझौता करने को उत्सुक थे—तो इससे कॉङ्ग्रेस की सङ्कीर्णता प्रकट हो सकती थी।

आपने जनता से इस बात का अनुरोध किया है, कि उसे कराची कॉङ्ग्रेस में 'पूर्ण स्वराज्य' के प्रस्ताव पर ही ज़ोर देना चाहिए, जिसकी उन्होंने व्याख्या की है। आपने अन्त में यह भी स्पष्ट कर दिया, कि देहली में जो क्षणिक-समझौता (Truce) हुआ है, वह शान्ति का परिचायक नहीं है। इसे केवल विश्राम की अवधि मात्र समझना चाहिए—कुछ दिनों के लिए आन्दोलन के बढ़ते हुए वेग को कम अवश्य कर दिया गया है, किन्तु यह कोई स्थायी समझौता नहीं है। उन्होंने जनता को इस बात का आदेश भी दिया है, कि अवसर पड़ने पर, आगामी युद्ध के लिए उसे सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए।

जनता राष्ट्रपति के इन विचारों का कहाँ तक पालन करती है, इसका उत्तर आगामी सप्ताह में होने वाला राष्ट्रीय महासभा का ४५वाँ अधिवेशन देगा।

* * *

[श्री० प्रकाशदत्त जी, एम० ए०]

दुनिया में सभी तरह के मनुष्य होते हैं—अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, दिन-रात दूसरे की भलाई में व्यस्त रहने वाले और दिन-रात केवल अपने मतलब पर दृष्टि रखने वाले भी। पण्डित रघुनाथ माधव पुरोहित इनमें से किस प्रकार के जीव हैं, लोगों के लिए यह एक कठिन समस्या रही है। वह नगर के प्रतिष्ठित रईस और वकीलों के मुकुट-मणि समझे जाते हैं। कहते हैं कि क़ानून उनकी जिह्वा की छोटी नोक पर नाचा करता है। जिन्हें कचहरियों में जाने का चस्का है वह अक्सर कहा करते हैं—बस वकील हैं तो पुरोहित जी। ऐसी जिरह करते हैं, ऐसी बहस करते हैं, कि अदालत उनका मुँह ताकने लगती है, और वकील बेचारों की तो नानी ही मर जाती है। शायद ही उनका मुवक्किल अदालत से उदास मुँह लिए बाहर निकलता हो। सच को झूठ और झूठ को सच कर दिखाना पुरोहित जी के बाएँ हाथ का खेल है।

फिर भी इधर एक मुद्दत से पुरोहित जी की ओर जनता के ख़्याल अच्छे नहीं रहे। बात उन दिनों की है, जिन दिनों देश में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ था, और ग़रीब लोगों ने दो रोटियाँ पाने की आशा में सरकार से खटपट शुरू कर दी थी। उन दिनों पुरोहित जी जनता के सम्मान-पात्र थे। वह समझती थी कि यह योग्य व्यक्ति हैं और इनकी सहायता से हमारा बहुत-कुछ काम बन सकता है। अतः उसने पुरोहित जी से बहुत-कुछ अनुनय-विनय की, पर वह जहाँ के तहाँ रहे। उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से—अपूर्व तर्क-शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि यह आन्दोलन केवल चुटकी की आवाज़ है, जो बजते ही वायु में विलीन हो जाती है। ऐसे आन्दोलन से मिले-जुलेगा तो कुछ नहीं, हाँ तकलीफ़ें ज़रूर द्रौपदी के चीर के समान बढ़ जावेंगी।

इस पर जब किसी-किसी ने कहा कि साहब, यह तो स्वार्थ की बातें हैं, तब पुरोहित जी ने हँस कर जवाब दिया—यदि मैं स्वार्थ की ही बातें करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ। आप लोग भी तो स्वार्थ की बातें करते हैं। शायद आप लोग कहेंगे कि यह तो परमार्थ है। इस पर मेरा कहना यह है कि यद्यपि स्वार्थ और परमार्थ देखने में दो अलग-अलग चीज़ें ज़रूर हैं, पर वह हैं असल में एक ही, दोनों एक ही जगह से पैदा होती हैं, दोनों की जाति भी एक ही है, और दोनों का उद्देश्य तो एक है ही। परमार्थी परार्थ-साधन कर अपने हृदय में सुख की अनुभूति करता है, तो स्वार्थी स्वार्थ-साधन कर प्रसन्न होता है। जब दोनों का उद्देश्य 'स्वान्ताय सुखः' है, तब एक की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा क्यों की जाय? पर नहीं, प्रशंसा और निन्दा करना तो दुनिया का स्वभाव ही है और उसका यह कार्य भी 'स्वान्ताय सुखः' के उद्देश्य से होता है, अतः मैं उसे दोषी नहीं ठहराना चाहता।

पुरोहित जी अपने इस तर्क से अपनी दृष्टि में चाहे जैसे बने रहे हों, पर वह जनता की दृष्टि में नीचे गिर गए और बहुत नीचे गिर गए। फिर भी उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा, उनकी प्रैक्टिस ज्यों की त्यों चलती रही, आमदनी का द्वार पूर्ववत् खुला रहा। क्या किया जाय, लोगों को उसके पास जाना ही पड़ता है, जिससे उन्हें स्वकार्य-सिद्धि की आशा रहती है। उनके मन में भले ही उसके प्रति बुरी से बुरी भावना रहती हो।

असहयोग आन्दोलन से दूर रहने के कारण पुरोहित जी सरकार की दृष्टि में और भी समा गए। वह असहयोग आन्दोलन के शमनार्थ स्थापित की गई लिबरल-लीग के प्रधान बनाए गए। उनका उद्योग सरकार को इतना पसन्द आया कि उसने उनका रुतबा अब और भी विस्तृत कर दिया। वह 'राव साहब' से 'राव बहादुर' बना दिए गए। यही क्यों, वह अपने उद्योग से नगर के म्युनिसिपल-बोर्ड और बाद में डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के प्रधान पद पर भी जा पहुँचे। अस्तु—

जब स्वातन्त्र्य-संग्राम आरम्भ हुआ, तब पुरोहित जी का सौभाग्य-सूर्य मध्याह्न में चमक रहा था। पुरोहित जी के पुराने कारनामे याद कर लोगों ने उन्हें फिर छेड़ना शुरू किया। उनके साथी मुस्करा कर कहते थे—"इस बार तो आपको देश का साथ देना ही पड़ेगा।" पुरोहित जी हँस कर जवाब देते थे—"मैंने पहले भी कहा था, और अब भी कहता हूँ कि ऐसे टण्टे-बखेड़ों से कुछ होने-जाने का नहीं। ब्रिटिश सरकार के पास काफ़ी ताक़त है।"

परन्तु देश के दीवाने इस बार सचमुच पञ्जे झाड़ कर पुरोहित जी के पीछे पड़ गए। उनका कहना था—इस बार तो हम आपको साथ लेकर ही रहेंगे। हमें आपके व्यक्तित्व की आवश्यकता है। देश आपकी योग्यता और प्रतिभा को चाहता है।

एक दिन काँग्रेस कमिटी के वयोवृद्ध डिक्टेटर तिवारी जी, पुरोहित जी के यहाँ जा पहुँचे। उनके साथ जोश की मदिरा पिए हुए और भी कई युवक थे। सिपाहियों का वह दल देख कर पुरोहित जी बड़े सङ्कट में पड़ गए—कर्त्तव्य-पथ जैसे उनके सामने से तिरोहित होने लगा। वह समझ गए कि इस बार बला से बचना मुश्किल है। उन्होंने हिकमत से काम लेने की ठानी। देश के दीवानों से बोले—आप लोग विश्वास कीजिए, मेरी आत्मा आपके साथ है। परन्तु परिस्थिति आदमी को लाचार कर देती है। सच मानिए, यदि घरू झञ्झटें मेरे सिर पर न होतीं, तो मैं अभी वकालत पर लात मार कर आप लोगों के साथ हो जाता।

तिवारी जी ने उत्तर दिया—मैं आपको वकालत त्याग देने के लिए विवश नहीं करता। आप चाहें तो वकालत करते हुए भी देश के बहुत-कुछ काम आ सकते हैं। हमारी सभा-समितियों में सम्मिलित हो सकते हैं, हम लोगों को अपनी अमूल्य सम्मतियाँ देकर मार्ग बतला सकते हैं। और हाँ, आपको इन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में क्या कठिनाई हो सकती है? क्या आप स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार नहीं कर सकते?

पुरोहित जी ने मुस्करा कर कहा—क्यों नहीं! आयन्दा मैं स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करूँगा।

पाण्डेय जी की ज़बान बोलने के लिए भीतर ही भीतर घबरा रही थी। अब वह और शान्त न रह सकी, वह यौवन का उद्दाम-वेग सँभालने में असमर्थ हो गई। पाण्डेय जी बोल ही उठे—वकील साहब, 'उपयोग करूँगा' की बात नहीं है। अब इन अपवित्र विदेशी वस्तुओं को जला कर अपना घर पवित्र कर डालिए। और हाँ, टाइटिल का यह ताबीज कब तक गले में बाँधे रहिएगा? इसका त्याग करने में, मैं तो देखता हूँ कि आप किसी घरू झञ्झट का बहाना नहीं कर सकते।

पुरोहित जी ने एक कड़ी निगाह पाण्डेय जी पर डाली, परन्तु सँभल कर कहा—मैं समझता हूँ, कि टाइटिल का त्याग किए बिना भी कुछ न कुछ देश-सेवा की जा सकती है। फिर भी मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूँगा।

परन्तु पाण्डेय जी को सन्तोष कहाँ, घृणा-सूचक ध्वनि में बोले—शायद आपको यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि यह टाइटिल नहीं, ग़ुलामी की निशानी है

एक बेहूदे छोकरे की—जो ठीक से पढ़ा-लिखा भी नहीं है—यह धृष्टता! पुरोहित जी के शरीर में आग लग गई, उनकी भृकुटियाँ चढ़ गईं, आँखें सुर्ख़ हो गईं, परन्तु वह ग़ुस्से को पी गए। वृद्ध तिवारी जी उनका वह भावान्तर समझ गए, बात कहीं और न बिगड़ जाय, यह सोच कर उठ खड़े हुए और नम्रतापूर्वक बोले—"पुरोहित जी, आपसे हमें बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। हमारी आन्तरिक अभिलाषा तो यही है, कि आप हमारे पथ-प्रदर्शक बनें। आशा है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ न होगी। अच्छा आज्ञा दीजिए, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊँगा।"

तिवारी जी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चल पड़े। उनके साथियों ने भी उनका अनुसरण किया। रास्ते में पाण्डेय जी बोले—"मैं तो पहले से ही जानता था कि इस ग़ुलाम से कुछ न बन पड़ेगा।" दूसरे साहब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले—"कुछ न पूछिए साहब, ऐसी कायर तबियत का आदमी मैंने आज से पहले कभी न देखा था।"

वृद्ध तिवारी जी उन लोगों को झिड़क कर बोले—बस तुम लोगों की यही बातें सुन कर तो हम लोगों का हृदय बैठ जाता है। पाण्डेय जी, आज तुमने पुरोहित जी का अपमान कर बहुत बुरा किया—बनते हुए खेल को बिगाड़ दिया। तुम नहीं जानते, पुरोहित जी बड़े सज्जन हैं, तभी वह उस अपमान को पी गए। क्या तुम जानते हो कि पुरोहित जी ने कभी कुछ देश-सेवा की ही नहीं? आज तक वह न जाने कितने ग़रीबों के मुक़द्दमे मुफ़्त लड़ चुके हैं। और वह महाराष्ट्र कन्या-पाठशाला किसकी बदौलत चल रही है? किसी की निन्दा करने के पहले हमें उसके गुणों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। फिर हमारा युद्ध सत्य और प्रेम पर निर्भर है। यदि हम स्वयं सत्य और प्रेम को ठुकरा कर अपने भाइयों का ही जी दुखाने के कारण हुए तो हमसे देश-सेवा क्या, देश-हानि ही होगी।

पाण्डेय जी ने लज्जित होकर कहा—गुरु जी, आप कहते तो सच हैं, पर क्या किया जाय, ऐसे लोगों को देख कर जी जल उठता है, और ज़बान ख़ामख़ाह बेलगाम हो जाती है।

सच है, जनता उसी पर रीझती है, जो हृदय से उसके साथ चलता है।

२

सुगृहिणी की प्राप्ति मनुष्य के लिए परमात्मा का आशीर्वाद है। और वह आशीर्वाद पुरोहित जी को प्राप्त हुआ था। उसका नाम था सावित्री। सावित्री गुणों में चाहे सावित्री की समता की न रही हो, पर पति के लिए वह आरम्भ से अन्त तक सावित्री ही रही। पति की सेवा उसका जीवन-मन्त्र था, पति को प्रसन्न देखना उसका सुख था, और पति को घर-गृहस्थी की चिन्ताओं से मुक्त रखना उसकी कर्त्तव्यशीलता थी।

और पुरोहित जी भी सावित्री पर मरते थे। वह उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी थी। उन्होंने उसे गृहस्थी की स्वच्छन्द राज्य दे रक्खा था। जो कुछ कमा कर लाते, उसके सामने डाल देते थे। वह चाहे तीन के तेरह और तेरह के तीन करती रहे—इससे पुरोहित जी को कुछ मतलब न था। अगर उन्हें एक पैसे की भी ज़रूरत पड़ती तो वह सावित्री से माँगते थे।

उस वर्ष जब सावित्री उदर-पीड़ा से त्रस्त हुई, तब पुरोहित जी अत्यन्त आकुल, अत्यन्त चिन्तित हुए। उन्होंने नगर के सभी चिकित्सकों की चिकित्सा करा डाली, पर सावित्री को कुछ लाभ न हुआ। इस दौड़-धूप में पुरोहित जी का घर चौपट हुआ जा रहा था, आमदनी पर पानी फिर रहा था, पर उन्हें इसकी कुछ चिन्ता न थी। चिन्ता थी तो यही कि चाहे हज़ारों बिगड़ जायँ, पर मेरी सावित्री अच्छी हो जाय।

अन्त में पुरोहित जी अपनी प्रैक्टिस पर लात मार, घर-द्वार नौकरों के भरोसे छोड़, सावित्री को साथ लेकर लखनऊ, काशी, कलकत्ता, बम्बई, आदि स्थानों का चक्कर काटते फिरे। वह यात्रा का कष्ट झेलते थे, चिकित्सकों से प्रार्थनाएँ करते थे, स्वयं अपने हाथों सावित्री को दवा-पानी देते थे, चिन्ताओं के मारे घुले जाते थे, परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अन्त में बम्बई के एक डॉक्टर की चिकित्सा से सावित्री रोग-मुक्त हुई।

जान बची, लाखों पाए—पुरोहित जी को बड़ा आत्म-सन्तोष हुआ। उन्होंने घर लौटने पर सावित्री को दस हज़ार रुपए का एक चेक भेंट किया। सावित्री के नेत्र भर आए। उसने पुरोहित जी के पैर पकड़ कर कहा—तुमने मुझ पर सदा जो अकृत्रिम स्नेह किया है, वही क्या कम है? मेरी सेवा-सुश्रुषा में तुमने जो कष्ट सहा है, वही मेरे लिए सर्व-श्रेष्ठ पुरस्कार है, फिर इस चेक की क्या ज़रूरत थी? परन्तु मैं तुम्हारे दान का तिरस्कार नहीं कर सकती। जब तुमने इतनी कृपा की है, तब इतनी कृपा और करो कि मुझे नियमित रूप से सौ रुपए मासिक दिया करो।

पुरोहित जी ने पुलकित होकर पूछा—क्या करोगी?

सावित्री ने उत्तर दिया—नगर की महाराष्ट्र कन्याओं की शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरी अभिलाषा है कि उनके लिए एक पाठशाला स्थापित की जावे।

पुरोहित जी के मुख पर गौरव की आभा दिखलाई दी। उन्होंने स्नेहपूर्ण दृष्टि से सावित्री की ओर देखा और हँस कर कहा—यह तो तुम्हारे ही अधिकार की बात है। ऐसे पवित्र उद्देश्य पर तुम चाहो, तो सौ क्या, सवा सौ भी निछावर कर सकती हो।

थोड़े ही दिनों में पाठशाला के लिए एक छोटा सा, परन्तु दिव्य भवन तैयार हो गया और तब एक दिन शुभ मुहूर्त देख कर पाठशाला जारी कर दी गई। सावित्री स्वयं पाठशाला का सञ्चालन करती थी। घर-गृहस्थी के कार्यों से छुट्टी पाते ही पाठशाला में जाती और शेष समय वहीं बिताती थी। इतना ही नहीं, वह स्वयं बालिकाओं को कई विषय पढ़ाती और सब तरह से उनका उत्साह बढ़ाती थी। बालिकाओं पर उसका अकृत्रिम स्नेह रहता था और बालिकाएँ भी उस स्नेह को समझती थीं। अस्तु—

उस दिन नगर में झण्डाभिवादन था। एक सयानी-सी बालिका राष्ट्रीय झण्डा ले आई थी। उसे देख कर सब बालिकाएँ बहुत प्रसन्न हुईं, लगीं आपस में सलाह करने कि हम भी पाठशाला पर झण्डा चढ़ावेंगी। इतने में सावित्री ने पाठशाला में प्रवेश किया। आज पुरोहित जी जल्दी कचहरी चले गए थे, इसलिए सावित्री भी घरेलू कामों से जल्दी छुट्टी पाकर पाठशाला में आ गई थी। उसे देखते ही बालिकाएँ प्रसन्न हो उठीं, चारों ओर से घेर कर बोलीं—माँ, आज घर-घर राष्ट्रीय झण्डे फहरा रहे हैं। हम भी अपनी पाठशाला पर झण्डा चढ़ावेंगी, और उसका गीत गावेंगी।

बालिकाओं के इस सरल व्यवहार से सावित्री का कोमल मातृ-हृदय मुखरित हो उठा। उसने थोड़ा सा हँस दिया, फिर बालिकाओं से कहा—हाँ-हाँ, पाठशाला तुम्हारी है। आनन्द से उस पर झण्डा चढ़ाओ और उसका गीत गाओ।

बालिकाओं की चञ्चलता और भी चञ्चल हो उठी। उन्होंने बात की बात में पाठशाला पर झण्डा फहरा दिया। फिर सब एक क़तार में खड़ी हो गईं और झूम-झूम कर गाने लगीं—

> विजयी विश्व तिरङ्गा प्यारा।
> झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥

बालिकाओं के हृदय से निकली हुई वह कोमल एवं मधुर स्वर-लहरी वायु-मण्डल में व्याप्त होकर दूर-दूर तक राष्ट्रीय गौरव का उद्बोधन करने लगी। सावित्री सोचने लगी—जो बात आज बालिकाओं को सूझी वह पहले मुझे क्यों न सूझी? बालिकाओं की वह सरलता और उनकी झण्डे के प्रति वह स्नेह-भावना देख कर उसका हृदय बार-बार आनन्द-विभोर होने लगा। बार-बार उसके हृदय में एक भाव उत्थित होने लगा—

> इसकी शान न जाने पाए।
> चाहे प्राण भले ही जाए॥

कचहरी का समय ख़तम होने पर पुरोहित जी घर को लौटे। कन्या-पाठशाला राह में ही पड़ती थी। उनकी नज़र उस पर फहराते हुए झण्डे पर पड़ी। उन्होंने शोफ़र को गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। गाड़ी रुकते ही वह उतर कर पाठशाला के अहाते में जा पहुँचे। उस समय पाठशाला की छुट्टी हो चुकी थी। माली अहाते में लगे हुए पौधों को पानी दे रहा था। पुरोहित जी को देखते ही बेचारा हाथ बाँध कर खड़ा हो गया।

पुरोहित जी ने उससे पूछा—यह झण्डा किसने चढ़ाया है

माली बोला—मैं क्या जानूँ सरकार, लड़कियों ने चढ़ाया होगा।

पुरोहित जी—हूँ। अच्छा, तू इसे उतार ले।

माली—और जो कहीं मालकिन नाराज़ हुईं तो?

पुरोहित—ज़्यादा बात मत कर, मैं जैसा कहता हूँ, वैसा ही कर।

माली ने झण्डा उतार लिया। पुरोहित जी चलने लगे, परन्तु फिर न जाने क्या सोच कर लौट पड़े और माली के सामने दियासलाई फेंक कर बोले—"और सुन, इसमें आग लगा दे।"

माली ने भयभीत होकर कहा—"नहीं सरकार, यह गाँधी जी का झण्डा है। कहीं मालकिन नाराज़ हुईं, तो उन्हें क्या जवाब दूँगा।" पुरोहित जी डपट कर बोले—"मूर्ख कहीं का, मेरा नाम ले देना।"

माली ने झण्डे में दियासलाई लगा दी।

३

वह चिनगारी थी, जहाँ जाती थी, आग लगाती थी। ज्योति उसका नाम था। जब स्वतन्त्रता का संग्राम आरम्भ हुआ, तब उसके हृदय में छिपी हुई देश-भक्ति की आग ज्वालामुखी की नाईं भड़क उठी। उसने घर-गृहस्थी का मोह ठुकरा दिया; अपनी बहिनों के हृदय में देश-प्रेम की ज्योति जाग्रत करने का व्रत धारण किया और सर पर कफ़न बाँध कर निकल पड़ी। ज्योति घूमती-फिरती हमारे नगर में भी आई। उसका आगमन नगर की महिलाओं के लिए बरकत हुआ। उनमें नव-स्फूर्ति का जागरण हुआ। मुहल्ले-मुहल्ले में उनकी सभाएँ होने लगीं, ख़ादी के प्रति उनका प्रेम बढ़ चला, आभूषणों के लिए उमड़ी

हुई लालसाएँ शिथिल हो चलीं। रोज़-रोज़ उनके जुलूस निकलने लगे। उनके विजय-गान से दिशाएँ काँपने लगीं। ज्योति ने सोई हुई देवियों को जगा दिया—उनके हृदय दुर्गा और लक्ष्मी के त्याग, वीर्य और बलिदान पर निछावर होने के लिए ललकने लगे।

महाराष्ट्र कन्या-पाठशाला में राष्ट्रीय पताका का अपमान किया गया है, वह जला डाली गई है—इस समाचार ने महिला-समाज के कलेजे में आग लगा दी। दूसरे दिन दोपहर होते-होते महिलाओं का एक दल कन्या-पाठशाला के सामने जा पहुँचा। प्रत्येक देवी के हाथ में राष्ट्रीय पताका थी। उनके नेत्रों से अग्नि-कण उड़ रहे थे; पर ज्योति का नेतृत्व उनकी प्रदीप्त ज्वाला को शीतल कर रहा था। चारों ओर एक ही आवाज़ गूँज रही थी—

विजयी-विश्व तिरङ्गा प्यारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥

और उस आवाज़ में कितना ओज, कितना तेज, कितना क्षोभ और कितना स्वाभिमान भरा हुआ था।

महिलाओं का वह दल देख कर, उनका वह वीर-गान सुन कर सावित्री का हृदय बैठ गया, फिर भी उसने साहस कर फाटक खुलवा दिया। महिलाएँ एक-एक करके भीतर चली गईं। सावित्री एक भीरु अपराधिनी की नाईं उनके सामने खड़ी हो रही। लज्जा ने उसके मस्तक को नत कर दिया था, वह ज्योति तथा उसकी साथिन महिलाओं के स्वागतार्थ दो शब्द भी न कह सकी। जिह्वा कुण्ठित थी, नेत्र ऊपर न उठते थे।

विदुषी ज्योति ने पहली ही दृष्टि में सावित्री के हृदय को पढ़ लिया, कहा—श्रीमती जी, आप उदास न हों, हम जानती हैं, कि कल की दुर्घटना में आपका कोई अपराध नहीं है। हम यहाँ आपको उलाहना देने की ग़रज़ से, या लज्जित करने के विचार से नहीं आई हैं।

सावित्री के जी में जी आया। किञ्चित सिर ऊँचा कर बोली—बहिन, मैं बिलकुल निरपराधिनी हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि भारत-माता का यह गौरव, यह सम्मान मेरी पाठशाला में इस प्रकार धूलि-धूसरित होगा। मैं पतिदेव के लिए क्या कहूँ।

ज्योति—आपके पतिदेव ने भयङ्कर पाप किया है।

सावित्री नीचा सिर किए चुप रही।

इतने में कुछ महिलाएँ बोलीं—इस पाप का प्रायश्चित्त होना चाहिए। हम पाठशाला पर ये सब झण्डे लगावेंगी।

सावित्री ने उन्हें उत्तर दिया—पाठशाला आप ही लोगों की है। यदि आपने उसे यह गौरव प्रदान किया, तो मैं अपना अहोभाग्य समझूँगी।

उधर महिलाएँ पाठशाला पर झण्डे चढ़ाने में प्रवृत्त हुईं, इधर ज्योति ने सावित्री से कहा—बहिन! इतने से ही पाप का प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। भारतमाता का सम्मान इतने अल्प मूल्य का नहीं है। वह मूल्य चुकाने के लिए—उस हत-सम्मान को पुनर्जीवित करने के लिए आपको बहुत-कुछ करना पड़ेगा। क्या आप अपने पतिदेव को सुमार्ग पर नहीं ला सकतीं?

सावित्री ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—बहिन, मैं उनकी दासी हूँ। उनसे क्या कह सकती हूँ? वह स्वयं विद्वान हैं, अपना हिताहित सोचने की उनमें बुद्धि है।

ज्योति ने किञ्चित उत्तेजित होकर कहा—वह स्वयं विद्वान हैं—यह एक ही कही! उनमें अपना हिताहित सोचने की बुद्धि होती, तो वह कभी ऐसा भीषण पाप न करते। जानती हो, उनके इस पाप से जनता कितनी उत्तेजित हो उठी है, और उसकी इस उत्तेजना का परिणाम कितना भीषण हो सकता है?

सावित्री का मस्तक उन्नत हो गया, गर्वपूर्वक बोली—सब जानती-समझती हूँ, परन्तु आप मेरे सामने मेरे देवता की निन्दा कदापि नहीं कर सकतीं। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि वह मेरे सर्वस्व हैं, और उनसे मुझे कुछ भी कहने-सुनने का अधिकार नहीं है।

ज्योति को हँसी आ गई। उसने स्नेह-मिश्रित स्वर में कहा—बहिन, मैं तुम्हारा भाव समझती हूँ, और उस पर गर्व भी करती हूँ। परन्तु क्षमा कीजिए, आपके पतिदेव का सम्मान भारतमाता के सम्मान से बहुमूल्य नहीं है। फिर मैं उनकी निन्दा ही कहाँ कर रही हूँ? जो सत्य बात है, वही कह रही हूँ। रही यह बात कि आप उनकी दासी हैं, सो मैं इसका दृढ़तापूर्वक प्रतिवाद करती हूँ। आप उनकी दासी नहीं हैं, अर्द्धाङ्गिनी हैं, जीवन-सहचरी हैं, केवल इसी नाते आपको उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। परन्तु नहीं, मैं आप पर यह दबाव नहीं डालना चाहती कि आप उनसे कहा-सुनी करें और घर में कलह मचावें। मैं आपसे केवल यही कहना चाहती हूँ, कि आप भारत-माता की पुत्री हैं, और आपको माता के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो स्वयं पति के पाप का प्रायश्चित्त कर, उस सम्मान की रक्षा कर सकती हैं।

सावित्री ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया—आपका कथन सही है। मैं इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य को निश्चित कर चुकी हूँ, और जब आप यहाँ आ गई हैं, तब आपको भी मेरी कुछ सहायता करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपनी तुच्छ सेवाएँ ज़रा ठिकाने से भारत-माता के चरणों पर अर्पित कर सकूँ।

अब तक महिलाए पाठशाला पर झण्डे चढ़ा चुकी थीं और एक क़तार में खड़ी होकर अपना प्यारा विजय-गीत गाने जा रही थीं। दो-एक महिलाओं ने ज्योति और सावित्री को पुकारा—"आइए, झण्डे का अभिवादन करें!"

ज्योति और सावित्री उनमें जाकर मिल गईं। तब सब देवियों और बालिकाओं ने मिल कर गाना आरम्भ किया—

विजयी विश्व तिरङ्गा प्यारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥

पाठशाला का छोटा सा अहाता उस राष्ट्रीय ध्वनि से मुखरित हो उठा। अबकी बार स्वर में ओज, तेज और क्षोभ नहीं था, स्वाभिमान, आत्म-सन्तोष और हृदय का आह्लाद था।

गान समाप्त होने पर सावित्री ने एक गौरव-भरी दृष्टि पताकाओं से सजे हुए पाठशाला-भवन पर डाली। फिर ज्योति से कहा—हाँ, तो आप मेरी सहायता करेंगी या नहीं?

ज्योति ने नत-शिर होकर उत्तर दिया—मैं तो आपकी एक तुच्छ सेविका-मात्र हूँ। आप आज्ञा कीजिए।

सावित्री मुस्करा कर बोली—आज्ञा यही है, कि आज पाठशाला से ही महिलाओं का जुलूस निकाला जावे। उसमें मैं भी सम्मिलित रहूँगी, मेरी बालिकाएँ भी साथ रहेंगी। इसके पश्चात् अन्य कार्यों की ओर ध्यान दिया जायगा।

यह प्रस्ताव सुन कर समस्त महिलाएँ और बालिकाएँ बहुत प्रसन्न हुईं। तुरन्त जुलूस निकालने की तैयारियाँ होने लगीं, और तैयारियाँ समाप्त होते ही बड़ी शान का जुलूस निकला। उसके आगे-आगे, राष्ट्रीय झण्डे लिए हुए ज्योति और सावित्री थीं, और पीछे-पीछे महिलाएँ तथा बालिकाएँ वैतालिक रागिनी में गाती जा रही थीं—

विजयी विश्व तिरङ्गा प्यारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥

लोगों ने आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से वह दृश्य देखा।

४

आज पुरोहित जी की तबियत बहुत रञ्जीदा थी। कचहरी से लौटते समय वह देखते आए थे, कि पाठशाला झण्डों के शृङ्गार में नव-वधू के समान उत्फुल्ल हो रही है, और उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि आज सावित्री झण्डा लेकर जुलूस के साथ गई है। वह बार-बार सोचते थे कि सावित्री को यह क्या ख़ब्त सूझा है, उसे यह हवा क्यों लग गई, कैसे लग गई।

सावित्री अब तक नहीं लौटी थी। पुरोहित जी बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर में सावित्री ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही पुरोहित जी अपनी बेचैनी दबा गए, मुस्करा कर बोले—कहिए सरकार! यह कैसा ख़ब्त है? यह क्या रङ्ग-ढङ्ग है?

सावित्री यह व्यङ्ग न समझी हो, सो बात नहीं, परन्तु उसने कुछ अनजान सी बन कर उसी ढङ्ग से पुरोहित जी के शब्द दोहराए—कैसा ख़ब्त हुज़ूर? कैसा रङ्ग-ढङ्ग?

पुरोहित जी—पाठशाला पर राष्ट्रीय झण्डे फहराना और फिर झण्डा लेकर जुलूस में सम्मिलित होना।

सावित्री—अच्छा, तो पाठशाला पर राष्ट्रीय झण्डा फहराना और जुलूस में सम्मिलित होना, तुम्हारी समझ में ख़ब्त है?

"और नहीं तो क्या?" पुरोहित जी कुछ रुखाई से बोले—"सावित्री, तुम पहले ऐसी नहीं थीं, तुमने कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया—मेरी आज्ञा के बिना तुम कभी कुछ करने की सोचती भी न थीं। फिर इसी बार क्यों ऐसा किया?"

"इस बार"—सावित्री ने नम्रतापूर्वक कहा—"मुझसे तुम्हारी इच्छा छिपी नहीं रही, और मैं ही क्यों, सारा नगर तुम्हारी इच्छा को जान गया है। तुम्हारी इस इच्छा को जानते हुए, मैंने तुमसे आज्ञा या सम्मति लेने की जरूरत नहीं समझी।"

"अच्छा !"—पुरोहित जी कुछ रुष्ट स्वर में बोले—"तो यह कहो, इस बार तुमने मुझसे विद्रोह करने का निश्चय कर लिया है।"

"अवश्य !"—सावित्री ने कुछ त्वेशपूर्वक उत्तर दिया—"यदि देश की कुछ सेवा करना स्त्री के लिए विद्रोह है, यदि पति को कलङ्क-मुक्त करना या उसके पाप का कुछ प्रायश्चित्त करना पत्नी के लिए विद्रोह है, तो अवश्य मैंने तुम्हारे प्रति विद्रोह करने की ठान ली है।" और फिर कुछ दृढ़-स्वर में कहा—"परन्तु जो कुछ करने का मैंने निश्चय किया है, वह मेरे अधिकार की बात है, और मैं वह अवश्य करूँगी।"

पुरोहित जी सावित्री की प्रकृति से ख़ूब परिचित थे। उसका दृढ़ता-सूचक उत्तर सुन कर नम्र हो गए, बोले—सावित्री, कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? मैंने क्या पाप किया है? और तुम उसका क्या प्रायश्चित्त करोगी?

"तुम्हारा पाप ?"—सावित्री ने व्यङ्ग ध्वनि में कहा—"तुम नहीं जानते ? कल तुमने पाठशाला पर चढ़े हुए झण्डे को माली से नीचे उतरवा दिया था ?"

पुरोहित जी—हाँ !

सावित्री—और फिर उसे जलवा भी डाला था ?

पुरोहित जी—हाँ ! पर इससे क्या हुआ ?

सावित्री—कुछ नहीं ! जानते हो, जनता ने तुम्हारे इस कार्य को किस दृष्टि से देखा है ? और वह तुम्हारे बारे में क्या कहती है ?

पुरोहित जी हँस कर बोले—ख़ूब जानता हूँ, उसने मेरे इस कार्य को घृणा की दृष्टि से देखा होगा, और वह मेरी निन्दा करती होगी। परन्तु मुझे न उसकी घृणा की परवाह है और न निन्दा की।

सावित्री ने जोशपूर्वक उत्तर दिया—परन्तु मुझे तो है। मैं तुम्हारे नाम पर लगी हुई उस घृणा और निन्दा को धो डालने का निश्चय कर चुकी हूँ।

पुरोहित जी और भी नम्र हो गए, स्नेहपूर्ण स्वर में बोले—प्रिये ! मैं तुम्हारी पति-भक्ति को जानता हूँ। यदि तुम मुझसे सत्य ही स्नेह करती हो, तो अपने निश्चय का त्याग कर दो। तुम नहीं जानती, ऐसे कार्यों से सरकार रुष्ट होती है। अभी वह मेरा सम्मान करती है, सभी बड़े-बड़े ऑफ़िसर मेरा लिहाज़ करते हैं—मुझे मानते हैं। जानती हो, सरकार से बड़ी-बड़ी मुश्किलों से सम्मान मिलता है। तुम्हारी यह देशभक्ति देख कर सरकार अप्रसन्न हो जायगी। मैं उसकी नज़रों में गिर जाऊँगा।

सावित्री ने भी वैसे ही स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया—परन्तु प्राणेश्वर ! तुम जनता की दृष्टि में ऊँचे चढ़ जाओगे। सरकार तुम्हारा जो सम्मान करती है, वह वास्तव में सम्मान नहीं है, वह तो केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों के सामने सम्मान की छाया फेंकती रहती है। फिर सरकार से सम्मान पाना कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल है जनता से सम्मान प्राप्त करना। यदि तुम जनता का साथ दो, तो वह तुम्हें अपने पलकों पर बिठावेगी, और तब तुम्हें मालूम होगा कि वास्तविक सम्मान कहाँ है, और वह कैसा होता है। फिर सरकार भी हृदय से तुम्हारा सम्मान करेगी, चाहे वह ऊपर-ऊपर भले ही नाराज़ी दिखलावे। यदि तुम्हें सम्मान की ही भूख है, तो जनता से सम्मान प्राप्त करो—उसके हृदय का राज्य प्राप्त करो। इस सरकारी सम्मान को—इस झूठे सम्मान को एकबारगी त्याग दो।

बात सोलह आने सच थी, पुरोहित जी के हृदय पर असर कर गई। फिर भी वह ऐसे लोगों में से थे, जो हृदय की बात नहीं मानते—उसे ज़बर्दस्ती कुचल डालने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं। तर्क का आश्रय लेकर बोले—सावित्री ! तुम्हारा कहना सच है, परन्तु हमारे देश की जनता अभी मूर्ख है, वह स्वयं विचार करना नहीं जानती। भेड़ियाधसान वाला मज़मून है। रही आन्दोलन में भाग लेने की बात, सो यह आन्दोलन चलेगा ही कितने दिन ? थोड़े दिन में ही सब लोग काँख-कूँख कर बैठ रहेंगे, तब व्यर्थ ही सरकार को रुष्ट करने से क्या लाभ ? और झण्डे को पूछो, तो वह प्राण-विहीन है, जब उसमें प्राण-प्रतिष्ठा होगी, तब मैं ही क्या, सम्पूर्ण संसार उसके सामने नत-शिर होगा। परन्तु वह दिन अभी दूर—बहुत दूर है।

परन्तु सचाई और सरलता के सामने तर्क नहीं टिकता। सावित्री सहज-भाव से बोली—जनता मूर्ख अवश्य है, परन्तु अपना हिताहित कौन नहीं समझता ? और आन्दोलन का चलना न चलना जनता पर नहीं, नेताओं पर निर्भर करता है। आप जैसे लोग आगे आवें और चाहें तो आन्दोलन क्यों न चलेगा ? रही झण्डे में प्राण-प्रतिष्ठा स्थापित होने की बात, सो जब तुम्हीं उसका अपमान करोगे, तब वह सजीव कैसे होगा ? क्या तुमने कभी सुना है कि किसी अङ्गरेज़ ने यूनियन जैक का अपमान किया हो या उसे जला डाला हो ?

पुरोहित जी का तर्क कुण्ठित हो गया। उन्होंने सोचा कि यह यों राह पर न आवेगी, किसी तरह इसे फुसलाना चाहिए। तब वह अपनी सारी बुद्धिमत्ता को दाँव पर लगा कर बोले—अच्छा भई, तुम्हीं जीतीं। तुमने मेरे पाप का प्रायश्चित्त कर ही डाला, अब तो सब मामला ख़तम है न ?

सावित्री ने मुस्करा कर उत्तर दिया—अभी कहाँ ! अभी तो पाप का प्रायश्चित्त आरम्भ ही किया गया है—पूर्ण प्रायश्चित्त होने के लिए तो बहुत समय चाहिए। बहुत दूर जाकर यह साधना समाप्त होगी।

पुरोहित जी का माथा ठनका। वह घबरा गए, परन्तु सँभल कर बोले—यह बेवक़ूफ़ी छोड़ो, इन बातों में कुछ सार नहीं है।

सावित्री ने बड़े ही भोलेपन से कहा—तो स्वदेश-सेवा करने वाले यह सब लोग बेवक़ूफ़ ही हैं ? गाँधी जी, नेहरू जी, अन्सारी जी, नायडू जी बेवक़ूफ़ हैं ?

पुरोहित जी उबल पड़े, गरज कर बोले—हाँ-हाँ, सब बेवक़ूफ़ हैं।

सावित्री घबराई नहीं, उसने बड़े ही धैर्य से पूछा—तब बुद्धिमान कौन है ? क्या अकेले आपको ही ईश्वर ने बुद्धि दी है ?

पुरोहित जी इस प्रश्न का क्या उत्तर देते ? "अच्छा है, जो तुम्हें दिखे, वही करो। पर कहे देता हूँ, कि इस हठधर्मी का परिणाम अच्छा न होगा।" यह कह कर अन्यत्र चले गए।

सावित्री के नेत्र भर आए। वह बड़ी देर तक वहीं बैठी रही और न जाने क्या-क्या सोचती रही।

५

पुरोहित जी जब क्लब से लौटे, तो उन्होंने घर में सावित्री को न पाया। नौकर से पूछा—सावित्री कहाँ है ? इतना अँधेरा हो गया है, क्या वह अब तक पाठशाला से नहीं लौटी ?

नौकर ने उत्तर दिया—सरकार, वह पाठशाला से तो चार बजे लौट आई थीं, परन्तु थोड़ी ही देर बाद फिर बाहर चली गईं। बहुत सी स्त्रियाँ आई थीं, उनके साथ वह स्त्री भी थी, जो थोड़े दिन हुए बाहर से इस शहर में आई है और सभाओं में स्वराज्य पर व्याख्यान देती है। वह सब आज सभा करेंगी और आपस में कहती थीं कि नमक बना कर क़ानून तोड़ेंगी।

पुरोहित जी के पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसकने लगी। घबरा कर बोले—नमक बना कर क़ानून तोड़ेंगी ! तब तूने उस कमबख़्त को क्यों जाने दिया ? रोका नहीं ?

नौकर आँखें फाड़ कर पुरोहित जी की ओर देखने लगा, फिर कुछ साहस कर बोला—मैं उन्हें रोकता ? सरकार, भला मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उन्हें रोकता।

पुरोहित जी ने हैरान होकर कहा—जा, देख तो सभा का क्या रङ्ग-ढङ्ग है। देर मत कर, जल्दी जा और ख़बर लेकर आ।

नौकर चला गया।

पुरोहित जी कुर्सी पर बैठ गए। आज उन्हें सावित्री पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था, चेहरे पर उदासी और निराशा झलक रही थी। मन ही मन ताव-पेंच खाकर बड़बड़ाने लगे—गाँधी ने भी क्या आँधी पैदा कर दी है। चारों ओर विध्वंस ही विध्वंस—ख़राबी ही ख़राबी। बेटे को बाप की परवा नहीं, पत्नी पति को कुछ समझती नहीं; आन्दोलन क्या है—एक तमाशा है। जिन लोगों को घरवालों की ही चिन्ता नहीं है, वह देश की सेवा करने का हौसला रखते हैं। घरवालों को जलाते हैं, रुलाते हैं और कहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। वाह री देश-सेवा ! और सरकार को तो देखो, लोग उसकी जड़ खोद रहे हैं, और वह कानों में तेल डाले पड़ी है। लाहौर में कॉङ्ग्रेस हो रही थी, लोग स्वाधीन होने के मन्सूबे बाँध रहे थे, पर लॉर्ड इर्विन अपने महलों में रङ्ग-रेलियों में मस्त थे। गाँधी अल्टीमेटम दे रहा था, सत्तू बाँध कर नमक-क़ानून ध्वस्त करने जा रहा था, फिर भी लॉर्ड इर्विन के कानों पर जूँ न रेंगी। जब चारों ओर तहलका मच गया, क़ानून कुचला जाने लगा, तब हज़रत के होश ठिकाने

आए। पर महीने-दो महीने की सज़ा देने और दस-पाँच रुपए जुर्माना ठोंक देने से क्या होता है। लोग जेल जाना भी एक फ़ैशन समझने लगे हैं। काश मैं वायसराय होता!

परन्तु पुरोहित जी की यह बड़बड़ाहट बहुत देर तक जारी न रही। दूसरे ही क्षण वह सावित्री की चिन्ता से बेचैन हो उठे। क़ानून तोड़ने वाली बात है, पुलिस न जाने क्या बर्बरता कर बैठे। सावित्री अभी स्त्रियों के बहकावे में आकर वहाँ चली ज़रूर गई है, पर यदि वहाँ उस पर पुलिस कुछ अत्याचार कर बैठी, तब वह मुझसे क्या कहेगी, और लोग भी मेरे विषय में क्या ख़्याल करेंगे।

अब पुरोहित जी स्थिर न रह सके। किसी शक्ति ने उन्हें उठा कर खड़ा कर दिया और ढकेल भी दिया। वह ख़ुद समाचार जानने के लिए सभा-स्थल की ओर चल पड़े। अभी दस-पाँच ही क़दम चले थे, कि वृद्ध तिवारी जी आते हुए दिखाई पड़े और उनके साथ काफ़ी भीड़ भी थी, जो बार-बार 'भारत-माता की जय' 'महात्मा गाँधी की जय' 'देवी सावित्री की जय' के नारे से दशो दिशाओं को कँपाती आ रही थी।

पुरोहित जी का हृदय धड़कने लगा। लोगों ने उन्हें घेर लिया। तिवारी जी आगे बढ़ कर बोले—महाराज! हमें आपसे इतनी बड़ी आशा न थी। परन्तु आज आपको पाकर हम लोग धन्य हो गए। देवी सावित्री ने हम लोगों का मुँह उज्ज्वल कर दिया। हमें इस बात का गौरव है कि हमारे यहाँ उन्होंने ही पहले-पहल क़ानून भङ्ग किया, और अपनी क़ुर्बानी से हमारे उत्साह में तूफ़ान उत्पन्न कर दिया है। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर ले गई है।

पुरोहित जी का हृदय धक् से हो गया। वह अवाक् हो रहे, पुनः सँभल कर एक सर्द आह छोड़ते हुए बोले—जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ। सावित्री ने गिरफ़्तार होते समय कुछ सन्देश दिया है?

तिवारी जी ने सोल्लास उत्तर दिया—उस समय मैं वहीं था। सावित्री देवी बिल्कुल प्रसन्न थीं। उन्होंने आपके लिए यही सन्देश दिया है कि आप उनकी तनिक भी चिन्ता न करेंगे, और घर-द्वार की चिन्ता छोड़ कर आन्दोलन को अधिकाधिक बढ़ावेंगे।

पुरोहित जी व्यग्रता पी गए, चिन्ता दबा गए, अपने सम्पूर्ण जोश को समेट कर बोले—आप मुझे इस यज्ञ की एक तुच्छ आहुति समझने की कृपा करें। मैं कल से ही एक तुच्छ सैनिक की नाईं इस भीषण युद्ध में योग दूँगा। आशा है, आप लोग मेरी सेवाएँ स्वीकृत करेंगे।

भीषण जय-ध्वनि से आकाश गूँज उठा। वृद्ध तिवारी जी अत्यन्त नत-शिर होकर बोले—ईश्वर आपको चिरञ्जीवि करे। मैं इस काया-कल्प के लिए आपको नगर की ओर से बधाई देता हूँ। कल से आप हम लोगों के स्वामी और हम आपके तुच्छ सेवक होंगे।

* * *
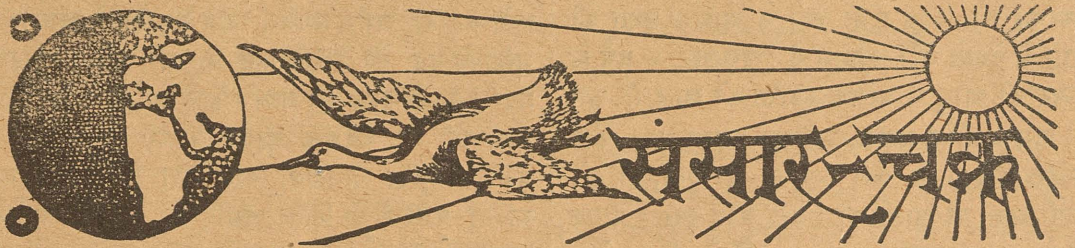
फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति के कारण

[श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए०]

(शेषांश)

अठारहवीं सदी में फ्रेञ्च सम्राट तीन प्रकार से कर वसूल करते थे।

१—सम्राट की व्यक्तिगत ज़मींदारी की आय

सब से पहला नम्बर सम्राट की व्यक्तिगत ज़मींदारी की आय का है। यूरोप में यह रिवाज बहुत दिनों से चला आ रहा था कि राजा अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए, अपने राज्य का एक भाग अलग कर लेता था। इस ज़मींदारी पर, जिसका ज़मींदार राजा स्वयं होता था, उसका पूर्ण अधिकार रहता था। राजा अपनी इस ज़मींदारी पर, अपनी इच्छानुसार कर बढ़ा-घटा सकता था। राजा के लिए व्यक्तिगत दृष्टि से इसका मूल्य बहुत अधिक था। किन्तु १८वीं सदी में, फ़्रान्स की सारी सम्पत्ति ही राजा की सम्पत्ति समझी जाती थी। राजा की व्यक्तिगत ज़मींदारी, और सरकारी सम्पत्ति में नाम-मात्र का अन्तर रह गया था।

२—सरकारी-कर

इसके बाद उन करों की बारी आती है, जो प्रजा पर लगाए जाते थे। ऐसे कर, वहाँ तीन प्रकार के थे।

(अ) इनकम टैक्स

यह टैक्स, जजों के वेतन, ज़मींदारों की आय, कारीगरों की आमदनी और किसानों की उपज पर प्रतिशत ५ के हिसाब से लगाया जाता था। धर्माध्यक्षों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। प्रभावशाली ज़मींदार भी, अपनी ज़मींदारी की आय कम बता देता था और इस प्रकार अपेक्षाकृत कम टैक्स देता था। फलतः इस टैक्स का अधिक भार ग़रीब जनता ही पर पड़ता था।

(ब) पोल टैक्स (Poll Tax) या मुण्ड-कर

दूसरा टैक्स वह था, जो भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों को देना पड़ता था। सरकारी लेखा के अनुसार, फ़्रान्स में २२ श्रेणी के मनुष्य थे। इन सबों से भिन्न-भिन्न परिमाण में यह कर वसूल किया जाता था। उदाहरण-स्वरूप, एक नौकरानी को साल में ७२ सेण्ट देने पड़ते थे।

(स) भूमि-कर

तीसरा कर था, भूमिकर। यह कर केवल किसानों को देना पड़ता था। इसलिए यह उनके लिए घृणास्पद हो गया था। इस कर के वसूल करने का ढङ्ग भी बड़ा विचित्र था। यह निश्चित नहीं था कि किस व्यक्ति को कितना कर देना पड़ेगा; बल्कि प्रत्येक वर्ष, स्थानीय अधिकारी (Intendants) सरकारी माँग के अनुसार, प्रत्येक गाँव पर, कर बैठा देता था। अब प्रत्येक गाँव के किसानों से, निश्चित कर के अनुसार, यह टैक्स वसूल किया जाता था। कर निश्चित करने के समय किसानों की अवस्था की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता था। क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को तो सरकार की माँग पूरी करनी होती थी। इसलिए किसानों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ था। ये बेचारे साल भर की कड़ी मेहनत के बाद फ़सल तैयार करें, और वह सरकारी ख़ज़ाने में जमा कर ली जाय, यह कहाँ का न्याय है? किन्तु बेचारों का कोई वश न था। वे मुँह ताकते रह जाते थे और उनकी मेहनत की कमाई मुफ़्त ही लुट जाती थी। इस बेबसी के कारण उनके हृदय में आग जल रही थी। घर में नन्हें-नन्हें बच्चे भूखों मर रहे थे, स्वयं उनमें परिश्रम करने की शक्ति शेष न रह गई थी। ऐसे भीषण अवसर पर, उनके सामने का ग्रास निर्दयतापूर्वक छीन लिया जाता था! ऐसी अवस्था में कोई कहाँ तक धैर्य धारण कर सकता है? सदियों से धधकती हुई घृणा, असन्तोष और क्रोध की आग कब तक हृदय में छिपी रह सकती है? ग़रीबों की आह, सम्राटों के तोपख़ानों से अधिक भयङ्कर होती है।

३—परोक्ष-कर (Indirect Taxes)

उपर्युक्त करों के सिवा दूसरे प्रकार के भी कर थे, जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर लगाए जाते थे, और जिनका सरकार से सीधा सम्बन्ध न था। इस प्रकार के करों के वसूल करने का हक़ सरकार बेंच दिया करती थी। इसका फल यह होता था कि इन अधिकारों के ख़रीदने वाले, बड़ी बेरहमी से कर वसूल करते थे। जो लोग इनसे बचने की कोशिश करते थे, उन्हें सरकार कड़ी सज़ाएँ देती थी। फलतः ऐसे टैक्सों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। इन करों के वसूल करने का ढङ्ग ठीक वैसा ही था, जैसा कि आजकल भारतवर्ष में मादकद्रव्यों पर टैक्स वसूल किया जाता है। यहाँ शराब, गाँजा और भाँग आदि वस्तुओं के बेंचने के लिए सरकार लाइसेन्स दिया करती है; १८वीं सदी में फ़्रान्स में भी नमक आदि वस्तुएँ बेंचने के लिए सरकार लाइसेन्स नीलाम किया करती थी!

नमक-कर

इस प्रकार के करों में सब से अधिक उल्लेखनीय नमक-कर है। यह कर फ़्रान्स के प्रत्येक व्यक्ति पर अप्रकट रूप से लगाया गया था। फ़्रान्सवासी

इस कर को अन्य सभी करों से अधिक घृणा की दृष्टि से देखते थे। क़ानून के अनुसार ७ वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को साल में कम से कम ७ पौण्ड नमक ख़रीदना पड़ता था। कोई व्यक्ति यदि इससे कम नमक ख़रीदता, तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। यदि कोई इस ७ पौण्ड में से अचार आदि खाद्य पदार्थों के लिए थोड़ा सा नमक बचा ले; उसके लिए अतिरिक्त नमक न ख़रीदे, तो भी वह दण्डनीय समझा जाता था। यह परिमाण केवल नित्य के भोजन के लिए ही नियत था। अन्य कार्यों के लिए अलग नमक ख़रीदना पड़ता था। फ़्रान्स में एक नहीं, हज़ारों-लाखों ऐसे ग़रीब थे, जिनके खाने का भी ठिकाना न था, फलतः यह सोचने की बात है कि इस कर के कारण उन पर क्या बीतती होगी। यहाँ पर यह भी कह देना उचित होगा कि नमक बेचने वाले, वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य पर नमक बेचा करते थे। इसलिए नमक भोजन के लिए अत्यावश्यक पदार्थ होने पर भी ग़रीबों में इतनी शक्ति न थी कि वे अत्यावश्यक परिमाण में इस ईश्वर-प्रदत्त वस्तु का उपयोग कर सकें। ग़रीबों को क़ानून भङ्ग करने के अपराध में सज़ाएँ दी जाती थीं। ग़ैर-क़ानूनी नमक बेचने के अपराध में भी नित्य कितने ही व्यक्ति दण्ड पाते थे। प्रजा के कष्ट की ओर ध्यान देने वाला कोई न था। सरकार गम्भीर निद्रा में मग्न थी। उसकी निद्रा भङ्ग करने के लिए ही १७८९ की क्रान्ति की आवश्यकता थी।

ज़मींदारी-कर (Feudal dues)

हम पहले बता आए हैं कि किसानों से उनकी उपज के अनुसार एक प्रकार का इनकम टैक्स वसूल किया जाता था तथा उन्हें भूमि-कर भी अलग देना पड़ता था। इन करों के अतिरिक्त उन्हें ज़मींदारों को भी, उनका ज़मींदाराना हक़ अदा करना पड़ता था। ज़मींदार सरकार को कुछ दे या न दे, किन्तु साधारण प्रजा के लिए ज़मींदार को कर चुकाना आवश्यक था। इस कर से सरकार का कोई सम्बन्ध न था। ज़मींदार, साधारण भूमि-कर के अतिरिक्त, और भी कितने ही प्रकार के कर प्रजा से वसूल किया करते थे, जिनका उल्लेख इस छोटे से लेख में करना कठिन है।

शहरी ज़मींदार, जो राज-दरबार को छोड़ कर, देहातों में जाना पाप समझते थे, प्रायः अपनी ज़मींदारी किसी अन्य व्यक्ति को ठेके पर दे दिया करते थे। इसका फल यह होता था कि वह व्यक्ति निरीह और दीन प्रजा से बड़ी निर्दयता-पूर्वक पाई-पाई वसूल कर लेता था। इस प्रथा के कारण साधारण प्रजा बड़े कष्टों में थी। देहाती ज़मींदार तो कभी-कभी दया भी दिखाते थे, और विशेषकर देहातों में रहने के कारण वे किसानों से हिलमिल से गए थे। पर शहरी ज़मींदारों में ऐसी कोई बात न थी। इस अमानुषिकता के कारण, किसानों का हृदय ज़मींदारों, विशेषतया उन शहरी ज़मींदारों के प्रति घृणा और क्रोध से बौखला उठता था। किन्तु बेचारे क्या करें? हृदय की आग हृदय को ही जलाती थी। हाँ, आगे चल कर वह समय आया, जब यह आग ज्वालामुखी के द्रव की भाँति फूट निकली, और सारा फ़्रान्स उससे दग्ध हो गया। इस क्रान्ति में ज़मींदारों को भी अधिक हानि उठानी पड़ी थी। प्रजा की मुक्ति के लिए, और देश में एकता का झण्डा फहराने के लिए ज़मींदारों का दर्प चूर्ण करना अनिवार्य था।

गिरजाघर सम्बन्धी टैक्स (Tithes)

गिरजाघर भी अपने लिए अलग टैक्स वसूल किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का १०वाँ अंश धर्मार्थ निकाल देना पड़ता था। फ़्रान्स में कैथलिक सम्प्रदाय का बोल-बाला था। अन्य सम्प्रदाय के लोग भी थे, पर वे अपने गिरजों के लिए कर वसूल नहीं कर सकते थे। कैथलिक सम्प्रदाय को कोई माने या न माने, पर उसके लिए कर देना ही पड़ता था। १८वीं सदी में धर्म पर से लोगों की श्रद्धा उठ सी गई थी और वह भी केवल पाखण्ड का रूपान्तर बन गया था। इसी से यह अनावश्यक कर लोगों को और भी खलता था। विशेषकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के लिए, जिन्हें इस कर से कोई लाभ न था, यह अत्यन्त आपत्तिजनक था।

प्राचीन काल में यह कर ग़रीबों की भलाई के लिए व्यय किया जाता था। पर इस समय ग़रीबों की भलाई करना तो दूर रहा, उनके शव पर धर्म-ध्वजों का धर्म-ताण्डव जारी था। यही कारण था कि क्रान्ति के समय धर्म को देश-निकाला दे दिया गया था।

राज्य-शासन

क्रान्ति के पहले, फ़्रान्स स्वेच्छाचारी राजाओं के पञ्जे में जकड़ा हुआ था। राजा अपने राजत्व को ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझता था। वह शासन-सम्बन्धी प्रत्येक विभाग का प्रधान था। क़ानून बनाने का (Legislative), क़ानूनों को कार्यरूप में परिणत करने का (Executive) और न्याय करने का (Judicial)—तीनों प्रकार के अधिकार उसके हाथ में थे। यह मानी हुई बात है कि एक व्यक्ति के हाथ में तीनों अधिकारों का रहना महा अनर्थकारी है। फ़्रान्स के राजाओं ने अपने अधिकारों का सदा दुरुपयोग ही किया। सदुपयोग करने की योग्यता ही उनमें न थी।

१८वीं सदी के फ़्रान्स के राजे बड़े विलासी और निकम्मे थे। राज्य-शासन की ओर वे बहुत कम ध्यान देते थे। शासन-सम्बन्धी सारे कार्य मन्त्रियों के हाथों में थे। इसलिए शासन का अच्छा या बुरा होना, साधारणतः मन्त्रियों के व्यक्तित्व पर ही निर्भर था।

राजकीय समिति (Royal Council)

ये मन्त्री राजकीय समिति की सहायता से राज्य-कार्य करते थे। इस समिति में ६ मन्त्री और ३० अन्य सदस्य होते थे। इन सदस्यों में सभी व्यक्ति ज़मींदार-वंश के होते थे। मध्यम श्रेणी के केवल वे ही व्यक्ति इसमें होते, जो रुपए देकर इस पद को ख़रीद लेते थे। ये सभी राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे। प्रजा-पक्ष का एक भी व्यक्ति वहाँ न था।

प्रान्तीय शासन

प्रान्तीय शासन के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक-एक शासक नियुक्त किया जाता था। ये शासक-गण, भारतवर्ष के शाही ज़माने के सूबेदारों से कम न थे। बादशाह की तरह ये भी गुलछर्रे उड़ाया करते थे। इन्हें कुछ विशेष कार्य नहीं करना पड़ता था। ये केवल बादशाह के साथ रह कर उनकी मुसाहिबी किया करते थे। पैरिस के राजमहल में बैठे-बैठे ही ये अपना कर्तव्य पालन करते थे!

स्थानीय शासन (Local Government)

स्थानीय शासन के लिए फ़्रान्स ३४ विभागों में बँटा था। प्रत्येक विभाग में एक राजकर्मचारी (Intendant) नियत था। यह राजकर्मचारी मध्यम श्रेणी का व्यक्ति था; किन्तु गुणों में यह अपने से ऊपर वालों से किसी प्रकार कम न था।

ये ३४ राजकर्मचारी अपनी कठोरता और स्वेच्छाचारिता के लिए विख्यात थे। राज्य का वास्तविक कार्य तो इन्हीं के हाथों में था। प्रजा से कर वसूल करना, सड़क और सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत करवाना आदि कार्य इन्हीं लोगों के ऊपर था। किन्तु साधारण प्रजा के व्यक्ति होते हुए भी, सरकार के लाड़ले बनने की महत्वाकांक्षा ने, इन्हें प्रजा को पंक्ति से बरबस अलग कर दिया था। ये अपने को शासक और अपने भाइयों को शासित समझते थे! फिर शासक और शासित—बाघ और बकरी में सद्भाव कैसा?

अन्य छोटे-छोटे स्थानों में, इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि रहते थे, जो उनकी ओर से कार्य करते थे।

अन्य राजनैतिक संस्थाएँ

फ़्रान्स का राजनैतिक सङ्गठन इस प्रकार बहुत सरल जान पड़ता है, पर वास्तव में वैसा नहीं था। अन्य राजनैतिक संस्थाएँ भी उस समय वर्तमान थीं, जो शायद इसलिए जारी रक्खी गई थीं कि बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थीं, या उनसे सरकार का कोई विशेष अभिप्राय सिद्ध होता था। पार्लामेण्ट, प्रान्तीय समितियाँ, टाउन कौन्सिलें आदि कई संस्थाएँ थीं। इन सभी संस्थाओं के अधिकारों की विशेष व्याख्या नहीं की गई थी, इस कारण कार्यक्षेत्र में बहुधा उलझनें पैदा हो जाया करती थीं। इन संस्थाओं ने, अन्य प्रकार की उलझनों के साथ मिल कर १८वीं सदी के फ़्रान्स के इतिहास में इस प्रकार की गड़बड़ी उपस्थित कर दी है कि इस-मार्ग को परिष्कृत करना सर्वथा असम्भव है।

न्याय-विभाग

फ़्रान्स में उस समय न्याय-विभाग की अवस्था भी अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। न्याय का स्वाँग रचा जाता था अवश्य, किन्तु उसका कुछ अर्थ नहीं था। मुक़दमें में जीतना-हारना, जजों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर निर्भर था। वकीलों ने भी बड़ी धाँधली मचा रक्खी थी। न्याय के इस प्रपञ्च ने कितने ही घरों का नाश कर दिया था।

एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले, भिन्न-भिन्न विरोधी क़ानून प्रचलित थे। इसलिए न्याय चाहने वाले और न्याय करने वाले—दोनों को कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं। इसके अतिरिक्त ये क़ानून विदेशी भाषाओं में अथवा लैटिन में लिखे हुए होते थे। इससे साधारण जनता के लिए, जिनमें शिक्षा का विशेष प्रचार नहीं था, इन क़ानूनों के रहस्य को समझ सकना सर्वथा असम्भव था। साधारण लोग तो यह भी नहीं समझ सकते थे कि अभियुक्त के साथ न्याय किया जा रहा है या अन्याय। इस क्षेत्र में भी वे ही कठिनाइयाँ उपस्थित थीं, जो फ़्रान्स की तत्कालीन संस्थाओं का एक विशेष गुण बन रही थीं। अदालतें तो वहाँ कई प्रकार की थीं, किन्तु उनके अधिकारों की व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई थी। फलतः उनके अधिकार अस्पष्ट होने के कारण अनेक असुविधाएँ उपस्थित होती थीं।

बेनामी वारण्ट (Letters de catchet)

फ़्रेञ्च सरकार ने, अपने विरोधियों को गिरफ़्तार करने के लिए एक अत्यन्त घृणास्पद प्रथा जारी कर रक्खी थी। जिस व्यक्ति को गिरफ़्तार करना होता था, वह बेनामी वारण्ट से, बिना किसी रोक-टोक के गिरफ़्तार किया जा सकता था। यह बेनामी वारण्ट, एक काग़ज़ का टुकड़ा था, जिस पर सम्राट के हस्ताक्षर बने हुए होते थे। इसमें अभियुक्त के नाम का स्थान ख़ाली रहता था। जब किसी को गिरफ़्तार करना होता था, अभियुक्त के नाम के स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता था। अब चाहे वह व्यक्ति निरपराध ही क्यों न हो, पर उसे जेल की हवा खानी ही पड़ती थी। उसके लिए न्यायालय में विचार होने की आवश्यकता न थी। यह वारण्ट राज्यकार्य ही के लिए परिमित रहता तो विशेष असह्य न प्रतीत होता। किन्तु प्रत्येक धनी-मानी व्यक्ति, जिस पर सम्राट का विशेष अनुग्रह रहता था, इस बेनामी वारण्ट से लाभ उठा सकता था। वह रुपए देकर सरकार से ऐसे वारण्ट ख़रीद सकता था और अपने व्यक्तिगत शत्रुओं को गिरफ़्तार करा सकता था। इस कारण, इन व्यक्तियों का आतङ्क समाज पर छाया रहता था। स्वयं वालटेयर और मीराबो इसके शिकार बन चुके थे।

ऋण का बोझ

१८वीं सदी में फ़्रेञ्च सम्राटों की विलास-प्रियता यहाँ तक बढ़ गई थी कि किसानों की गाढ़ी कमाई उनकी विलास-सामग्री के लिए, पानी की तरह बहा दी जाती थी। मुसाहिबों को पेन्शन के रूप में ख़ासी रक़म दी जाती थी। राज्य-शासन में उतना व्यय नहीं होता था, जितना कि सम्राट के व्यक्तिगत कार्यों में, उनके मुसाहिबों की पेन्शन में, महल की सजावट में, और सुन्दर रमणियों को उपहार देने में! इसका विरोध करे तो कौन करे? सभी तो एक ही अपराध के अपराधी थे। फलतः सभी आगे ही पैर बढ़ाते थे। इस विलास-कानन से बाहर निकलना न कोई चाहता था और न किसी में इतना साहस ही था।

इसका फल यह हुआ कि सरकार पर ऋण का बोझ बेतरह लद गया। १७८६ में तो यह ऋण बढ़ कर ६०,००,००,००० सिक्के हो गया था। इसके लिए प्रति वर्ष २,५०,००,००० फ़्रैङ्क ब्याज-स्वरूप देना पड़ता था। फ़्रेञ्च सरकार की आर्थिक कठिनाइयों का एक कारण और था। ग़रीब प्रजा से तो पाई-पाई कर वसूल किया जाता था, किन्तु जमींदार और धर्माध्यक्षगण करों से विमुक्त थे। जमींदार अगर कुछ देते भी थे, तो वह केवल नाम-मात्र के लिए। धर्माध्यक्षगण भी जमींदार की हैसियत से कभी-कभी कुछ दे दिया करते थे; किन्तु अधिकांश बोझ बेचारी ग़रीब प्रजा ही पर था। साधारण प्रजा में अकेले यह बोझ सहन करने की शक्ति न थी। इसी से समय-समय पर सरकार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

इस प्रकार सारे फ़्रान्स में अन्याय और अन्यायियों का बोल-बाला था। बेचारी दरिद्र प्रजा अन्याय और अत्याचार की चक्की में पिसी जाती थी। उस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। १४वें लुई को फ़्रान्स की दशा का ध्यान आया था; किन्तु उसकी निद्रा उस समय भङ्ग हुई थी, जिस समय वह मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ था। वह स्वयं तो उस समय कुछ नहीं कर सकता था, पर उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र (१५वें लुई) को फ़्रान्स की दशा की ओर ध्यान देने के लिए समझाया। उसने कहा था—"बेटा, प्रजा के कष्टों को दूर करने का यथासम्भव शीघ्र प्रयत्न करना। अभाग्यवश जिस कार्य को मैं नहीं कर सका, उसे तुम अवश्य पूरा करना।"

किन्तु फ़्रान्स के दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, १५वाँ लुई अत्यन्त विलासी और स्वेच्छाचारी निकला। उसके समय में व्यभिचार तो एक फ़ैशन हो गया था। वह चाहता तो था अकेले ही फ़्रान्स का शासन करना, किन्तु न तो उसमें इतनी क्षमता थी और न उसे इसके लिए फ़ुर्सत ही थी। उसने राज्य-कार्य का पूरा भार निकम्मे और स्वार्थी मन्त्रियों पर छोड़ रक्खा था। ऐसी परिस्थिति में प्रजा के लिए धैर्य धारण करना कठिन था। फ़्रान्स की परिस्थिति दिन-बदिन नाज़ुक ही होती गई।

जिस समय १६वाँ लुई गद्दी पर बैठा, उस समय भी राजवंश के हित की रक्षा करते हुए, फ़्रान्स की दशा सुधरना असम्भव नहीं हो गया था। हाँ, इसके लिए एक दृढ़-हृदय शासक की आवश्यकता थी। फ़्रान्स की दशा सुधारने का अर्थ था, सम्राटों, जमींदारों और धर्माध्यक्षों के स्वार्थों पर कुठाराघात! १६वाँ लुई, प्रजा की भलाई तो चाहता था, पर जमींदारों और धर्माध्यक्षों का विरोध करने की शक्ति उसमें न थी। लुई के निकम्मेपन, उसकी रानी मेरी आँत्वानेत तथा उसके मित्रों का राज्य-शासन में अनधिकार और अनुचित हस्तक्षेप आदि से फ़्रान्स की जनता की आँखों में राजवंश काँटे की तरह खटकने लगा। लुई बड़ा भोला था। उसके इस भोलेपन ने सारा मामला बिगाड़ दिया। उसके मित्र उसे जिस ओर चाहते, लुढ़का देते थे। यही कारण था कि फ़्रान्स की भलाई के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हुए भी वह कुछ न कर सका।

इस प्रकार धीरे-धीरे भभकने वाले सभी साधन पहले ही इकट्ठे हो चुके थे, १६वें लुई के समय में इसमें आग भी लग गई। सारा फ़्रान्स प्रज्वलित हो उठा। असंख्य नर-नारियाँ भस्मीभूत हो गईं। लुई ने भी अपनी प्यारी रानी मेरी आँत्वानेत के साथ इसी में भस्म होकर अपने और अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित्त किया।

* * *

रजत-रज

[संग्रहकर्त्ता—श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]

चन्द्रदेव प्रकृति को देख-देख कर मुस्करा रहे थे। प्रकृति, चन्द्रदेव का हँसना देख उनके प्रति क्रोध प्रकट कर रही थी।

युवती कलिका अपनी जननी का उपहास न देख सकी; वह चट से खिल उठी और चन्द्रदेव को चिढ़ाने लगी।

❀

दोष को छिपाने में ही उसके संग्रह करने की इच्छा होती है।

❀

लघु जन की प्रभुता तिमिर मध्य ही है।

ऊषा का आगमन होते ही तारागण एक-एक करके लुप्त हो जाते हैं।

❀

मूर्ख के हाथ सँदेशा भेजना, धन देकर हानि ख़रीदना है।

❀

नेक स्त्री अपने पति के लिए स्वर्ण-मुकुट है; कुटिला भयङ्कर विषधर।

❀

सूर्य पश्चिम में सागर के तीर पर स्नान करने के लिए उतरता है। उसके काषाय रङ्ग के वस्त्र, बादलों के रूप में, आकाश में बिछ जाते हैं।

❀

कोई अपने आश्रित का दयापात्र नहीं बनना चाहता।

❀

चित्रकार प्रकृति का प्रेमी है, अतएव वह उसका ग़ुलाम और मालिक भी है।

❀

गुलाब की पत्तियों में सौन्दर्य है या पराग में?

उसका रङ्ग और आकार सुन्दर है या उसकी सुगन्ध और मधु?

❀

साधारण मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है।

❀

यौवन का अर्थ है परिवर्तन और नवयुवक का परिवर्तन पसन्द।

❀

हे वारिद! अपने हृदय में चिर सञ्चित वारि को बड़ी कुशलता से छिपाए हुए तुम आकाश में किसकी खोज में दौड़ रहे हो?

❀

माया के मोह में फँसा हुआ मनुष्य नरक का अधिकारी है, चाहे वह मूर्ख हो अथवा विद्वान।

अगर या गोबर जो भी आग में गिरेगा अवश्य जल कर राख हो जायगा।

❀

अर्धनिशा में विकसित प्रभात निहित है।

❀

कार्य वही अच्छा जिसका अन्त अच्छा। अस्तु, कार्य करने के पहले सोच लो कि परिणाम क्या होगा।

सुप्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञों के मुक़द्दमे

७—अली भाई—१९२१

सन् १९२१ की १४वीं सितम्बर को कलकत्ता-मेल मद्रास जाते समय निश्चित समय पर कुछ मिनिटों के लिए वाल्टेयर स्टेशन पर रुकी। महात्मा गाँधी, मौलाना मुहम्मदअली और उनकी धर्मपत्नी उस गाड़ी में यात्रा कर रही थीं। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वे प्लेटफ़ॉर्म पर उतरे। वहाँ नेताओं के दर्शन के लिए भीड़ पहले से ही एकत्रित हो चुकी थी। गाड़ी छूटने से पहले जैसे ही मौलाना मुहम्मदअली जनता से कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही एक पुलिस-ऑफ़िसर ने उन्हें विजगापट्टम के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का गिरफ़्तारी-वारण्ट दिखाया, जिसमें उन पर दण्ड-विधान की १०७ वीं और १०८ वीं धाराओं के अभियोग लगाए गए थे। उन्होंने गम्भीरतापूर्वक वारण्ट स्वीकार किया और महात्मा जी तथा अपनी धर्मपत्नी से विदा लेकर पुलिस-ऑफ़िसर के साथ वाल्टेयर के जेल की ओर चले गए।

भारत-सरकार ने पहले से ही इस आशय का एक 'प्रेस नोट' प्रकाशित कर दिया था कि वह अली भाइयों और उन अन्य नेताओं पर फ़ौजदारी मामला चलावेगी, जिन्होंने कराची के जुलाई सन् १९२१ के अखिल भारतीय ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेन्स के अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें भारतीय फ़ौज में से मुसलमान सैनिकों को निकालने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किए गए थे। इसी नोटिस के अनुसार बम्बई-सरकार ने मौलाना मुहम्मदअली को गिरफ़्तार करने के लिए वारण्ट भेजा था।

इसके बाद वाल्टेयर जेल से वे कुछ समय के लिए मुक्त कर दिए गए थे, परन्तु फिर शीघ्र ही बम्बई के वारण्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए और पुलिस की गहरी निगरानी में एक स्पेशल ट्रेन द्वारा कराची भेज दिए गए।

उनके भ्राता मौलाना शौकतअली भी १६ वीं सितम्बर को बम्बई में गिरफ़्तार कर तुरन्त कराची भेजे गए। इन दोनों के अतिरिक्त डॉक्टर किचलू भी, जो उसी मामले के अभियुक्त थे, प्रायः उसी समय लाहौर में गिरफ़्तार कर मुक़द्दमे के लिए कराची भेजे गए। इस मामले के अन्य अभियुक्त पीरगुलाम मुहद्दीद, मौलवी हुसेनअहमद, मौलवी निसारअहमद और शारदापीठ के श्रीशङ्कराचार्य थे, जो विभिन्न स्थानों से गिरफ़्तार कर मामले की जाँच के लिए कराची भेज दिए गए थे।

सभी अभियुक्त कराची के सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए, जहाँ उनके मामले की प्रारम्भिक कार्यवाही हुई। सरकारी वकील मि० टी० जी० एलफ़िन्स्टन ने मामला प्रारम्भ किया और कई गवाहों की जाँच की; परन्तु अभियुक्तों ने मामले में अपनी ओर से पैरवी करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। कुछ अभियुक्तों ने अदालत के सम्मुख, अपनी स्थिति समझाने के लिए, कुछ बयान अवश्य दिए। जिस समय अदालत में मामले की कार्यवाही हो रही थी, उसी समय अकस्मात् एक ऐसी घटना हो गई, जिससे 'प्रेस' के बहुत अधिकार छीन लिए गए। 'बॉम्बे-क्रॉनिकल' का रिपोर्टर अपने पत्र के लिए अपराधी नेताओं से जिस समय सन्देश ले रहा था, उसी समय मैजिस्ट्रेट ने उसकी रिपोर्ट कर दी गई, इसके परिणाम-स्वरूप मैजिस्ट्रेट ने अदालत में केवल उसी का प्रवेश करना बन्द नहीं कर दिया, बल्कि दूसरे पत्र-प्रतिनिधियों को भी अन्दर जाने

स्वर्गीय मौलाना मोहम्मदअली

का निषेध कर दिया गया। अन्त में मामला ३०वीं सितम्बर को सेशन्स की जाँच के लिए सिन्ध के जुडीशियल कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया गया।

सेशन्स की जाँच स्वयं जुडीशियल कमिश्नर मि० जे० सी० केनेडी ने की। पाँच व्यक्तियों की एक जूरी नियुक्त की गई, जिसमें दो हिन्दू और तीन ईसाई सम्मिलित थे। ईसाइयों में एक सज्जन अङ्गरेज़ थे। सरकारी कार्यवाही में इलाहाबाद के मि० रास एल्स्टन की सहायता ली गई थी। अभियुक्तों पर जो अभियोग लगाए गए थे, वे दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहले भाग में दण्ड-विधान की १२४-अ और १५३-अ धाराएँ सम्मिलित थीं, जिनके अनुसार राजविद्रोह और जातीय वैमनस्य फैलाने के अभियोग लगाए गए और दूसरे भाग में १२०-ब, १३१, और ५०५वीं धाराएँ सम्मिलित थीं, जिनके अनुसार सरकार को उखाड़ फेंकने के षड्यन्त्र रचने और सैनिकों में विद्रोह फैलाने के प्रयत्न के अभियोग लगाए गए थे। सेशन्स में भी अभियुक्तों ने पहले की नाईं अपनी रक्षा करने या मामले में भाग लेने से साफ़ इन्कार कर दिया। परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य अदालत में दिए और उनमें से सब से अधिक मार्मिक वक्तव्य मौलाना मुहम्मदअली का था। उनका वक्तव्य, जो उन्होंने जूरी के सम्मुख दिया था, एक लम्बे भाषण के रूप में था और उसमें उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था कि मुसलमानी धर्म के अनुसार एक मुसलमान का, बिना किसी कारण के, दूसरे मुसलमान को मारना ग़ैर-क़ानूनी है और इसलिए ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेन्स में जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह मुसलमानी क़ानून के अन्तर्गत है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे महारानी विक्टोरिया की सन् १८५८ की उस घोषणा पर विश्वास है, जिसमें भारतीयों को धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई थी। अपने भाषण में उन्होंने अपने प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए क़ुरान की बहुत सी आयतों का भी उल्लेख किया। यद्यपि उनका भाषण लम्बा था, तथापि वह स्पष्ट और अत्यन्त ज़ोरदार था, बीच-बीच में उन्होंने हास्यरस की जो पुट दी थी और मि० रास एल्स्टन को जो ताने मारे थे, उनसे कार्यवाही अत्यन्त मनोरञ्जक हो गई थी और दर्शक हँसी से लोट-पोट हो गए थे।

उदाहरणार्थ, अपना भाषण प्रारम्भ करने के पहले उन्होंने अदालत तथा जूरी से यह कहने की प्रार्थना की कि अदालत की ओर मुँह फेर कर बैठें, नहीं तो सम्भव है, "मैं उन्हें उसी प्रकार भड़का दूँ जिस प्रकार मैंने फ़ौज को भड़काया है" (लोग इस पर खिलखिला कर हँस पड़े) एक बार उन्होंने जूरी से कहा—"महाशय, मैं चाहता हूँ कि आप उन महिलाओं के सामने, जो आपके पीछे बैठी हैं, पर्दा बन कर बैठ जायँ, नहीं तो सरकारी वकील मेरे विरुद्ध उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का एक और अभियोग लगा देंगे।" (इस ताने से दर्शकों में हँसी का फ़व्वारा फूट पड़ा।) उन पर अपने भाई से सम्बन्ध स्थापित होने का जो अभियोग लगाया गया था, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि "मेरा भाई मेरे जन्म के समय उपस्थित था और हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। जब हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, तब वह मेरे पॉकेट में से मेरे पैसे निकाल ले जाता था और यदि मैं उन्हें वापिस माँगता था, तो वह मारते-मारते मेरा कचूमर निकाल लेता था, बस यही मेरा और उसका सम्बन्ध था।" (इस मज़ाक़ पर भी दर्शकों का हँसते-हँसते पेट फूल गया।) एक बार उन्होंने जूरी को, मि० रास एल्स्टन से सावधान करते हुए कहा—"आप समझें, वे आपकी आँखों में सरासर धूल झोंक रहे हैं—आपने कराची की पुरानी धूल नहीं देखी ?" इस बार भी दर्शक अपनी हँसी न रोक सके। परन्तु अपने भाषण के अन्त में वे भावावेश से अत्यन्त उत्तेजित हो गए थे। अपनी सत्यता और अपने पवित्र विश्वासों की साक्षी के लिए ईश्वर को पुकारते समय "उनका गला रुँध गया, गालों पर से आँसुओं की धारा बह गई और वे अपना आपा भूल कर, अपने स्थान पर बैठ गए।"

(शेष मैटर २७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए)

देश के राजनैतिक रङ्गमञ्च पर

गत २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में होने वाली वृन्दावन की एक महती सभा का दृश्य।

कुँवर दीपनारायण सिंह। आप बिहार के सुप्रसिद्ध नेता और कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के सदस्य है।

श्री० सीतादेवी, सम्पादिका 'महिला-सुधार' कानपुर, जो राष्ट्र-सेवा के कारण १ साल की सज़ा भोग कर लखनऊ जेल से छूटी हैं।

तपोभूमि से लौटने वाली देवियों का सादर स्वागत

मेरठ की महिला-स्वयंसेविकाओं की कप्तान—श्रीमती उर्मिला देवी शास्त्री, जिन्हें ६ मास का दण्ड मिला था।

विलेपारले (बम्बई) की श्रीमती देवयानी इन्द्र-विजय देसाई, जो पिकेटिङ्ग के अपराध में जेल गई थीं।
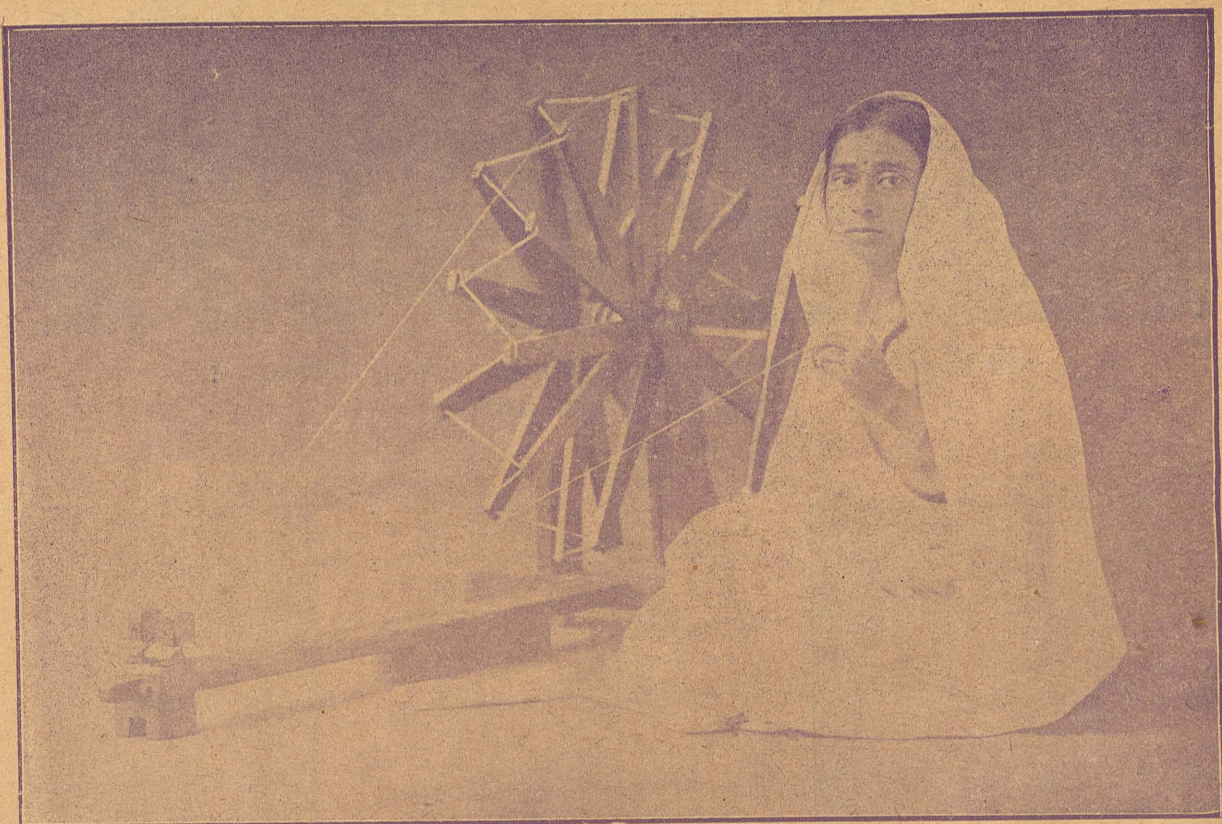
श्रीमती रानी विद्यादेवी

आप बेरुआ (हरदोई) के ताल्लुक़ेदार के छोटे भाई श्रीयुत जङ्गबहादुरसिंह की धर्मपत्नी हैं। नमक-क़ानून भङ्ग करने के कारण आपको ७ मास की सज़ा हुई थी।

बम्बई की श्रीमती भिखारबाई, जो विदेशी कपड़े की दूकान पर धरना देने के अपराध में जेल गई थीं।

श्रीमती मीरा

आप हज़ारीबाग़ (बिहार) की प्रभावशाली राष्ट्रीय कार्यकर्त्री हैं, जिन्हें सत्याग्रह आन्दोलन में ६ मास की सज़ा हुई थी।

मेरठ के महिला-सत्याग्रह-दल की प्रधाना—श्रीमती प्रकाशवती देवी, जिन्हें ५½ मास की सज़ा दी गई थी।

तपोभूमि से लौटने वाली देवियों का सादर स्वागत

गाँवों में घूम-घूम कर स्वदेशी का प्रचार करने वाली—धारवाड़ की श्रीमती कृष्णा-बाई पञ्जीकर ।

कराची 'युद्ध-समिति' की डिक्टेटर—श्रीमती कीकीबेन छबीलदास

दक्षिण कनारा महिला-सङ्घ की मन्त्रिणी—श्रीमती रत्नबाई ।

कलकत्ते की कुमारी ज्योतिर्मयी गङ्गोली, एम० ए०, जो नमक-क़ानून भङ्ग करने के कारण ६ मास के लिए जेल गई थीं ।

सत्याग्रह-संग्राम में सबसे पहले जेल जाने वाली—श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति । (आन्ध्र प्रान्त)

दिल्ली की एक उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्त्री—श्रीमती आत्मादेवी सूरी ।
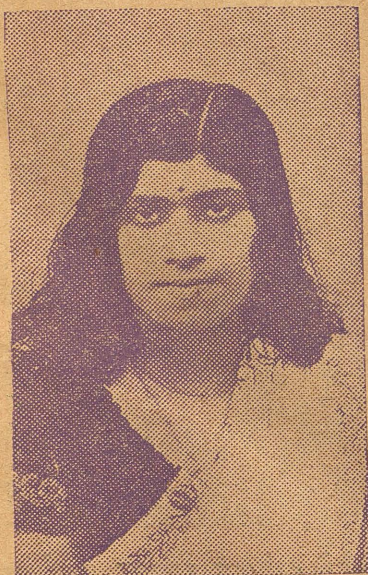
कालीकट की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्री—कुमारी ई० नारायण खुट्टी, बी० ए० ।

बड़ोच के देश-सेविका-सङ्घ की प्रधाना—श्रीमती कुसुम बेन ।

अथानी (बेलगाँव) की विदुषी—श्रीमती अम्बावा-बाई, जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोलन में २ मास की सज़ा हुई थी ।

राष्ट्रीय संग्राम के कुछ उत्साही सैनिकों का स्वागत

अभिनन्दन कर रहा मौन या वाणी से सारा संसार ! पहनाते हैं तुमको हम अनुराग-भरे हृदयों का हार !!
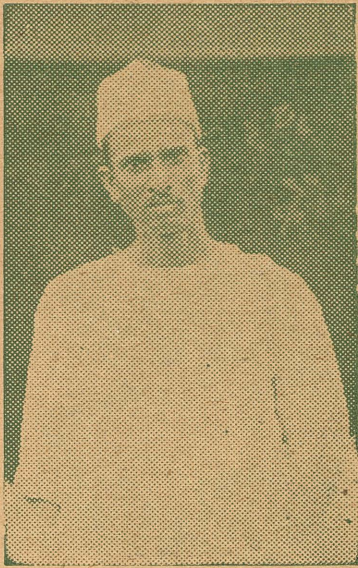
करनाटक "वार-कौन्सिल" के डिक्टेटर—श्री० हनुमन्तराव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०, जिन्हें छः मास की सज़ा दी गई थी।

काशी के सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्ता—श्री० रामेश्वर-सहाय सिंह जी—जिन्हें तीन मास की सज़ा दी गई थी।
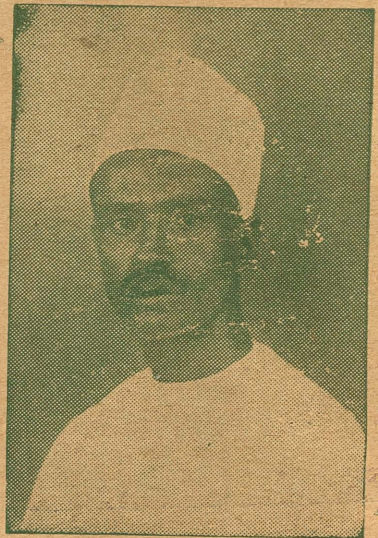
बम्बई के १७व "वार-कौन्सिल" के मन्त्री, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुए हैं।

लखनऊ के सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्ता—पं० हरिश्चन्द्र बाजपेयी, जिन्हें करबन्दी-आन्दोलन के सम्बन्ध में ६ मास की सज़ा हुई थी।

'प्रताप' के प्रतिभाशाली सम्पादक—श्री० गणेश-शङ्कर विद्यार्थी, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुए हैं।

कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर—श्री० सुभाष-चन्द्र बोस, जो हाल ही में जेल से मुक्त हुए हैं।
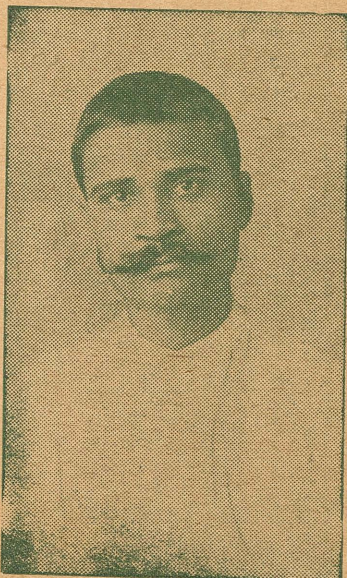
धारवाड़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार—श्री० नारायण-राव हम्पासर—जिन्हें ३ मास का दण्ड मिला था।
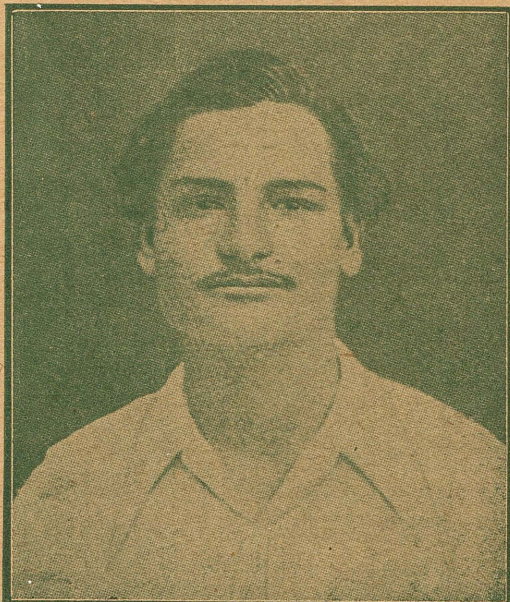
लाहौर के नवयुवक कार्यकर्त्ता—श्री० खुश-हालचन्द कैफ़ी, जिन्हें १ वर्ष की सज़ा दी गई थी।

बम्बई के वयोवृद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता और म्युनिसिपल कमिश्नर—श्री० कञ्जी करमसी मास्टर—जिन्हें नमक-आन्दोलन के सम्बन्ध में ६ मास का दण्ड दिया गया था।

तू दिलनशीं[1] रहे, कि तू दीदानशीं[2] रहे,
मैं साथ ही रहूँगा तेरे, तू कहीं रहे !
आँखें बचा के, आँखों के परदे में, आके बैठ,
मैं भी यह चाहता हूँ, तू परदानशीं[3] रहे !
इस तरह मैं, नमाज़े शहादत[4] अदा करूँ।
सर पर हो तेग़,[5] तेग़ के ऊपर जबीं[6] रहे।

—"नौशा" आज़मगढ़ी

पूरी हुई, नख़ूने शहीदाँ की आरज़ू।
मक़तल में वह चढ़ाए हुए, आस्तीं रहे।

—"सईद" आज़मगढ़ी

अब दहर[7] में, असीरे क़फ़स[8] एक हमीं रहे,
ख़ाक ऐसी ज़िन्दगी पे, रहे या नहीं रहे !
उस बज़्मे[9] ऐश में भी, हम अन्दोहगी[10] रहे,
कम्बख़्त दिल ने, साथ न छोड़ा कहीं रहे !
जाए बहार, आए ख़िज़ाँ, हमको क्या ग़रज़,
अपनी निगाहे-शौक़ बहार आफ़रीं[11] रहे।

—"सुहैल" आज़मगढ़ी

एक मुशतेपर ने,[12] आग लगा दी जहान में,
हम ऐसे कमनसीब, जहाँ थे वहीं रहे !
उसकी मसर्रतों[13]की, नहीं कोइ इन्तिहा,
एक आस्ताने[14] नाज़ पे, जिसकी जबीं[15] रहे।
फ़रियाद हो, कि नग़मा[16]सुकूँ[17]हो, कि इज़तिराब[18]
जो कुछ हो इश्क़ में, वह सुरूर-आफ़रीं[19] रहे।

—"एहसान" आज़मगढ़ी

फिरते रहे निगाहों में, या दिलनशीं रहे,
वह दूर रह के, और भी मुझसे क़रीं[20] रहे।
ममनून[21] पाक बाज़िए क़ल्बे-हज़ीं[21] रहे
हम तेरी याद से, कभी ग़ाफ़िल नहीं रहे।
पहलू में हसरतें रहीं, ग़म दिलनशीं रहे,
सद शुक्र,[22] क़ब्र में भी अकेले नहीं रहे।
गर दूँ[23] के ज़ुल्म उठाओ, कि कुएसनम[24] के जौर,
दुश्मन अब आसमान रहे, या ज़मीं रहे
तुरबत[25]में भी, जफ़ाए[26]फ़लक[27]से अमाँ[28]नहीं
अब आसमान सर पे रहे, या ज़मीं रहे।
महशर[29] के दिन भी, कूचए क़ातिल को ख़ैर हो,
कल आसमाँ रहे न रहे, यह ज़मीं रहे।
"क़ुदसी" हमें यह एक दिले आशुफ़्ता[30]क्या मिला,
दोनों जहाँ में हम तो, कहीं के नहीं रहे।

—"क़ुदसी" जायसी

आँखों में वह रहे, कभी दिल में मकीं[31] रहे,
परदे का उनको शौक़ था, परदा-नशीं रहे।
हर वक़्त उठते-बैठते, रहता ख़िज़ाँ का ख़ौफ़,
अच्छा हुआ बहार में, जो हम नहीं रहे।

१—दिल में रहने वाला, २—आँखों में रहने वाला, ३—परदे में रहने वाला, ४—क़त्ल होने के समय की नमाज़, ५—तलवार, ६—माथा, ७—संसार, ८—क़ैदी, ९—आनन्द का समाँ, १०—रञ्जीदा, ११—बहार पैदा करने वाली, १२—मुट्ठी भर, १३—ख़ुशियाँ, १४—चौखट, १५—माथा, १६—राग, १७—ठहराव, १८—बेचैन, १९—आनन्द पैदा करने वाली, २०—नज़दीक, २१—दुखी हृदय—२२—सैंकड़ों धन्यवाद, २३—आकाश, २४—माशूक़ की गली, २५—क़ब्र, २६—ज़ुल्म, २७—आकाश, २८—चैन, २९—प्रलय, ३०—परेशान, ३१—रहना,

आँखों में वह रहे, कभी दिल में मकीं रहे,
परदे का उनको शौक़ था, परदा-नशीं रहे !
पहलू में हसरतें रहीं, ग़म दिलनशीं रहे,
सद शुक्र, क़ब्र में भी अकेले नहीं रहे !

अहले-जुनूँ[32], बहार का मौसिम अब आ गया
साबित किसी तरह, न कोई आस्तीं रहे !
मिट्टी में जब से अपना दिलेज़ार मिल गया,
हसरत नहीं रही, वह अब अरमाँ नहीं रहे !

दुनिया की हर एक बात समझता हूँ मैं

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

अल्ताफ़ो[1] इनायत[2] को समझता हूँ मैं।
उलफ़त, को मुहब्बत को समझता हूँ मैं,
आगाह[3] हूँ आगाह बख़ूबी "बिस्मिल",
दुनिया की हक़ीक़त को समझता हूँ मैं।

× × ×

बेकार हैं, बेकार समझता हूँ मैं
आराम में आज़ार[4] समझता हूँ मैं।
है रङ्ग बुरा बाग़े-जहाँ का "बिस्मिल"
जो गुल[5] है, उसे ख़ार[6] समझता हूँ मैं।

× × ×

यह नाज़, यह अन्दाज़ समझता हूँ मैं,
परदे में जो है राज़[7] समझता हूँ मैं।
दम भर को भी ग़ाफ़िल नहीं रहता "बिस्मिल"
हर साँस की आवाज़ समझता हूँ मैं।

× × ×

अतवार[8], चलन घात समझता हूँ मैं,
दिन-रात को, दिन-रात समझता हूँ मैं।
नैरङ्गीए[9] आलम से हूँ वाक़िफ़ "बिस्मिल"
दुनिया की हर एक बात समझता हूँ मैं !

१—कृपा, २—कृपा, ३—ख़बरदार, ४—तकलीफ़, ५—फूल, ६—काँटा, ७—भेद, ८—ढङ्ग, ९—सांसारिक बातें।

दुनिया यह जानती है, कि दुनियाए-इश्क़ में,
उस दिल का क्या जवाब, जो दर्द[33]आफ़रीं रहे,
मूसा[34] से कोहेतूर पे, क्यों खुल के बात की,
सरकार आप तो, बड़े परदानशीं रहे।

३२—दीवाने, ३३—दर्द से भरा हुआ, ३४—हजरत मूसा पैग़म्बर से मतलब है, जो तूर पहाड़ पर ईश्वर की ज्योति देखने गए थे,

कल क्या चहल-पहल रही, साक़ी की बज़्म[35]में,
अफ़सोस है कि हज़रते "ज़ाहिद" नहीं रहे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

हमको रहा फ़िराक़[36] का, रोना तमाम उम्र
और वह हमारे दिल ही में, गोशानशीं[37] रहे।

—"मजरूह" आज़मगढ़ी

है दाग़हाए दिल से, चराग़ाँ[38] मज़ार पर
क्या ग़म जो फूल मेरी लहद[39]पर नहीं रहे।

—"असीर" आज़मगढ़ी

आज़ारे[40] बाग़बाँ से, हम अक्सर हज़ीं रहे,
अच्छे वही रहे, जो चमन में नहीं रहे।
दस्ते-जुनूँ को, शग़ल से मतलब कहीं रहे,
दामन न रह सके, न रहे, आस्तीं रहे।
तासीर हुस्नो इश्क़ की, क़ायम युहीं रहे,
नक़्शे-क़दम पर उनके, हमारी जबीं[41] रहे !
पहलू में अपने जब दिले जज़्ब[42]आफ़रीं रहे,
फिर क्या मजाल, चैन से कोई कहीं रहे।
ऐ चश्मे-शौक़, चाहिए कुछ एहतरामे[43] हुस्न,
जलवत[44]में किस तरह कोइ ख़लवत-नशीं[45]रहे !
मर कर, तिलस्मे[46] हस्तिए[47] मौहूम खुल गया
यानी फ़ना[48] के बाद, कहीं के नहीं रहे !
दुनिया कहाँ से चल के, कहाँ तक पहुँच गई,
और अपना है यह हाल, जहाँ थे वहीं रहे !
बिजली ने गिर के ख़ाक में, हमको मिला दिया,
तिनके भी आशियाँ[49]के सलामत नहीं रहे।
दैरो[50] हरम[51] की ख़ाक बहुत मैं उड़ा चुका,
लेकिन खुला न राज़, कहाँ वह मकीं रहे ?
ऐ अहले ज़ौक़![52] शौक़ तसौव्वर[53] से काम लो,
महदूद[54] हुस्न यार के जलवे नहीं रहे

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

३५—समाँ, ३६—विरह, ३७—कोने में बैठने वाली, ३८—रोशनी, ३९—क़ब्र, ४०—दुख, ४१—माथा, ४२—आकर्षण पैदा करने वाला—४३—आदर, ४४—समा, ४५—अकेले में रहना, ४६—जादू, ४७—चोला ४८—मरने के बाद, ४९—घोंसला, ५०—मन्दिर, ५१—काबा, ५२—दर्शक, ५३—ध्यान, ५४—घेरा।

विदूषक

नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए—इस बात की गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष—सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १)

देवदास

यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है—इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल एवं मुहाविरेदार। मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

शैलकुमारी

यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा, उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है! मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥)

प्राणनाथ

यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे। शीघ्रता कीजिए। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

समाज की चिनगारियाँ

एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ' आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे।

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्ररञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटेक्टिङ्ग कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी ग्राहकों से २।) रु०

ग्रह का फेर

यह बङ्गला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई और मुसलमान अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। मूल्य ॥)

राष्ट्रीय गान

यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक़ एवं बालक-बालिकाओं को कण्ठ कराने लायक़ भी हैं। मूल्य ।)

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

(२०वें पृष्ठ का शेषांश)

उनके बाद मौलाना हुसेन अलीमुहम्मद ने एक लम्बा वक्तव्य दिया, जिसमें धार्मिक पुस्तकों के बहुत से उद्धरण दिए गए थे। डॉक्टर किचलू ने अपने छोटे से वक्तव्य में कहा कि मैं अहिंसात्मक सत्याग्रही हूँ। पीरगुलाम मुहद्दीद ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में अदालत को इस बात की इत्तिला दी कि मैं धर्म-गुरुओं का वंशज हूँ और मेरे बारह लाख चेले हैं। मेरे प्रपितामह को एक बार सलाम करने से इन्कार करने के अभियोग में सम्राट जहाँगीर ने गिरफ़्तार कर लिया था, परन्तु बाद में उन्होंने बहुत पश्चात्ताप किया और पीर को रिहा कर दिया। मुझे भी आशा है कि मुग़लों की उत्तराधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट भी मेरी गिरफ़्तारी पर पश्चात्ताप करेगी और मुझे रिहा कर देगी। मौलवी निसारअहमद ने गवाही और कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। श्री० शङ्कराचार्य ने अदालत की आज्ञा के अनुसार खड़े होकर वक्तव्य देने से इन्कार किया और उन्होंने बैठे ही बैठे अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हिन्दुओं के धर्मगुरु की हैसियत से हिन्दुओं को मुसलमानों के धार्मिक युद्ध में सम्मिलित होने की सलाह दी थी और इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया था।

मौलाना शौकतअली का वक्तव्य बहुत स्पष्ट और निर्भीकतापूर्ण था। उन्होंने अपने वक्तव्य में समस्या का धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टि से विचार किया। उनके वक्तव्य में हास्य-रस का अंश उनके भाई से कम नहीं था। प्रारम्भ ही में उन्होंने जजों से अपील की कि यदि आप मुझे बीच में टोकेंगे तो मैं भी अपने भाई की नाईं सब बातें भूल जाऊँगा। उन्होंने अपने डील-डौल के सम्बन्ध में कहा—"महाशय, मैं एक भयानक जन्तु दिखलाई देता हूँ। आप आधी रात को मुझे किसी गली में देख कर डर के मारे काँप जाएँगे। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी डील-डौल देख कर मुझे सज़ा न दें।" महात्मा गाँधी से अपनी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि "महात्मा ख़ुदा के भेजे हुए दूत हैं और मैं उसका बदमाश हूँ।" उनके इस वक्तव्य से सभी दर्शक खिलखिला कर हँस पड़े।

जज ने जूरी को एक लम्बा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उसे अभियुक्तों के अभियोग और उनके सम्बन्ध में क़ानून की आज्ञा समझाई। जूरी ने अपने दो घण्टे की बहस के बाद पहले अभियोग के अनुसार सभी अभियुक्तों को निरपराध पाया। परन्तु दूसरे अभियोग के अनुसार श्रीशङ्कराचार्य को छोड़ कर, अन्य छः अभियुक्त अपराधी क़रार दे दिए गए। जज ने जूरी से सहमत होकर उन छः अभियुक्तों को दो-दो साल के कठिन कारावास का दण्ड दिया। मौलाना मुहम्मदअली को इसके अतिरिक्त दण्ड-विधान की ११७वीं धारा के अनुसार दस से अधिक व्यक्तियों को भड़काने के अभियोग में दो साल की कठिन सज़ा और दी गई। उन्हें ये दोनों सज़ाएँ साथ-साथ भोगने की आज्ञा दी गई थी। श्रीशङ्कराचार्य छोड़ दिए गए।

* * *

चीन के विद्यार्थी

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

चीन के विद्यार्थियों का वहाँ के समाज में बहुत ऊँचा स्थान है। उन्हें चीन के समाज में सदा सबसे ऊँचा स्थान मिला है। जितनी लोग उनकी इज़्ज़त करते थे तथा जितना उनसे डरते थे उतना वे अन्य किसी भी पुरुष से न डरते थे। १९१६ में जब यान-शिह-के (Yuan shih-kai) ने चीन में राजतन्त्र की स्थापना करनी चाही तो उसके अरमानों पर पानी फेरने वाला चीन का एक स्कॉलर ही था। उसने मेक्सिको के डायज़ (Diaz) के शासन-काल का चित्र जनता के सामने रख कर राजतन्त्र की स्थापना असम्भव कर दी। बीसवीं सदी के चीन के स्वाधीनता-संग्राम में जितना चीन के विद्यार्थियों का हाथ है उतना किसी भी अन्य समुदाय का नहीं है। यही नहीं, बल्कि संसार के किसी भी देश के विद्यार्थियों ने अपने देश का उतना साथ नहीं दिया जितना कि चीन के विद्यार्थियों ने।

जब १९०४—५ में जापान ने रूस पर महान् विजय पाई तो सारा संसार चकित हो गया। आधुनिक इतिहास में पहले-पहल एशिया के एक राष्ट्र ने युद्ध यूरोप में के एक बड़े राष्ट्र को पछाड़ा था! जापान की इस विजय ने एशिया में—विशेषकर चीन में—जान फूँक दी। जापान के इस विजय के रहस्य को अध्ययन करने के लिए चीन के सैकड़ों विद्यार्थी जापान गए। एक समय चीन के ऐसे २०,००० विद्यार्थी जापान में शिक्षा पा रहे थे। कुछ समय तक जापान ही चीन के देश-भक्त विद्यार्थियों का केन्द्र रहा। पर ज्यों-ज्यों जापान और चीन एक-दूसरे से अलग होते गए और ज्यों-ज्यों चीन की संसार के अन्य देशों से विशेषकर अमेरिका से घनिष्ठता बढ़ती गई त्यों-त्यों चीन के विद्यार्थी जापान छोड़ कर अन्य देशों को जाने लगे।

१९२७ में चीन के ८,००० विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा पा रहे थे। उसमें से २,५०० अमेरिका में, २,००० फ्रान्स में, २,००० जापान में, ५०० जर्मनी में, ६५० रूस में तथा २०० इङ्गलैण्ड में थे।

चीन के विद्यार्थी-आन्दोलन में विदेशों में शिक्षित विद्यार्थियों के अलावा चीन ही में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी बड़ा ज़बर्दस्त हाथ था। इसके बाद भी चीन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिसके कारण विद्यार्थी समुदाय चीन का अगुवा बना रहा। मई १९२५ में शङ्घाई अन्तर्राष्ट्रीय सेटलमेण्ट में विदेशी पुलिस द्वारा विद्यार्थियों का क़त्ले-आम, जून १९२६ का शाक़ी का क़त्ले-आम तथा मार्च १९२७ की नानकिङ्ग की गोले-बारी आदि घटनाओं ने विद्यार्थियों को चीन का अगुआ बनने का मौक़ा दिया। उन्होंने चीन की जनता में महान जागृति पैदा कर दी।

इन विद्यार्थियों ने एक और क्षेत्र में अपना कौशल दिखलाया। उन्होंने मज़दूरों के सङ्घ (Union) में प्रवेश किया। जहाँ-जहाँ सङ्घ न थे वहाँ-वहाँ उन्होंने सङ्घों का सङ्गठन किया। कुछ सङ्घों के वे मन्त्री बने और कुछ स्थानों पर उनके परामर्शदाता। जून १९२५ में शङ्घाई में राष्ट्रीय विद्यार्थी फ़ेडरेशन का सातवाँ वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे, जिनका उद्देश्य निम्न-लिखित था :—

(१) पूँजीपतियों के विरुद्ध मज़दूरों का पक्ष समर्थन करना और सरकार से काफ़ी रक्षा पाने में मज़दूरों की सहायता करना।

(२) मज़दूरों का सङ्गठन करने तथा प्रचार-कार्य में उनकी सहायता करना।

(३) रात्रि-पाठशालाएँ स्थापित करना और जनता के लिए साहित्य प्रकाशित करना, ताकि राजनैतिक मामलों में मज़दूरों का ज्ञान बढ़े।

(४) हड़ताल के समय बेकार मज़दूरों की सहायता करना।

जब सोवियट यूनियन ने अपने चीन के विशेष रियायतों को छोड़ दिया और १९२४ में चीन और रूस में सन्धि हुई, जिसका ज़िक्र मैं अपने एक पिछले लेख में कर चुका हूँ* और जब मास्को में सनयातसेन-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो चीन के विद्यार्थियों को एक नवीन मार्ग दिखलाई दिया। और वह मार्ग था पूर्व के दलित राष्ट्रों तथा जातियों को उठाना। चीन के विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए रूस जाने लगे। अब रूस में चीन के इतने विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं कि कुछ लोगों का अनुमान है कि भविष्य में चीन को दे देने की नीति को उन्होंने चीन के लिए बड़ा अपमानकारी समझा।

४ मई को पेकिन के कोई ३,००० विद्यार्थियों का, जिसमें अधिकतर सरकारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, एक जलूस लिगेशन क्वार्टर गया। उनका इरादा शायटङ्ग नीति के विरोध में इङ्गलैण्ड और अमेरिका के मन्त्रियों को एक दरख़्वास्त देने का था। चीन के सिपाहियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया तब वे Tsas-ju-lin के मकान पर गए, जिसे वे देशद्रोही समझते थे। वे मकान में ज़बर्दस्ती घुस गए, खिड़कियाँ तथा फ़रनीचर आदि तोड़ डाला। उन्होंने Chang Tsung-Ksiang जो चीन की तरफ़ से जापान का मन्त्री था, पकड़ लिया तथा उसे बुरी तरह पीट डाला। उन्होंने अर्थ-सचिव पर भी हमला किया। जब पुलिस ने १,००० लड़कों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया तो ३०,००० और लड़कों ने आकर अपने को गिरफ़्तार होने के लिए ललकारा। उन सबके लिए जेल में स्थान न था, अतएव सब के सब छोड़ दिए गए।

चीन के विद्यार्थी प्रत्येक ज़िले में फैल गए।

* देखिए 'भविष्य' के २२वें अङ्क का 'सोवियट रूस और एशिया के राष्ट्र' शीर्षक लेख।

उन्हें लोगों ने चन्दा दिया और वे चीन के गाँव-गाँव में अपना सन्देशा ले गए। लड़कियाँ, जिनकी मरदों की तरफ़ देखने की हिम्मत न पड़ती थी, या तो लड़कों के साथ जुलूस में चलती थीं या सड़कों के किनारों पर खड़ी होकर व्याख्यान देती थीं। व्यापारियों ने भी लड़कों का साथ दिया और अपनी दूकानें बन्द कर दीं। रिक्सा-कुलियों ने भी जापानी मुसाफ़िरों को ले जाने से इन्कार कर दिया। विद्यार्थियों में उस समय इतना जोश था कि वुचङ्ग कॉलेज (Wuchang College) के एक विद्यार्थी ने देश-भक्ति का उदाहरण स्थापित करने के लिए याङ्गट्सी नदी में कूद पड़ा और डूब गया। नो यॉङ्ग पार्क (No Yong Park) अपनी पुस्तक में लिखता है कि उस समय उसने चीन के दो विद्यार्थियों को देखा था, जो सीढ़ियों पर बैठे हुए चीन के इस अपमान पर फूट-फूट कर रो रहे थे। चीन के शहरों की सड़कों पर विद्यार्थी घूम-घूम कर जापानी माल ढूँढ़ते और उन्हें इकट्ठा कर आग लगा देते थे। उन्होंने जापानी माल का बड़ा जबर्दस्त बॉयकॉट किया। उन्होंने चीन के कैबिनेट से तीन देशद्रोहियों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया। चीन के विद्यार्थियों ने इस आन्दोलन में अपने कामों द्वारा संसार को चकित कर दिया। और तब से विद्यार्थी ही वहाँ की जनता के नेता हैं। मिस्टर वुडहेड ने अपनी पुस्तक में चीन के विद्यार्थियों के अपने शिक्षकों तथा बड़ों के प्रति अनुचित व्यवहारों के अनेक उदाहरण दिए हैं। आप अपनी पुस्तक में क स्थान पर लिखते हैं—"१९१९ के बाद से विद्यार्थीगण दिन प्रतिदिन हाथ से बाहर निकले जा रहे हैं। उन्होंने अपने-यूनियन बना लिए हैं। जिसमें उन्नीस वर्ष से छोटे बालक तथा बालिकाएँ शामिल हैं। वे सदा विदेशियों के विरुद्ध तथा राजनैतिक प्रदर्शन किया करते हैं।" वील साहेब चीन के विद्यार्थी-सङ्गठन की सफलता पर लिखते हुए कहते हैं—"एक योजना तैयार कर ली गई है, जिसके द्वारा ये नौजवान प्रत्येक रात को हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल पड़ते हैं और अपने नारों से क़रीब के निवासियों को भयभीत करते हैं।"

३० मई १९२५ के सङ्घाई के क़त्ले-आम के बाद मिस्टर वार्ड (Harry F. Ward) ने, जो उस समय चीन में थे, लिखा था—"चीन का विद्यार्थी-आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समस्यायों पर प्रभाव डालता है।.........अतएव इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि अधिकारियों ने मौक़े का लाभ उठा कर तीन विश्वविद्यालयों को, जो बोलशेविक प्रचार के केन्द्र समझे जाते थे, बन्द कर दिया।"

आइए, हम इस विद्यार्थी-आन्दोलन के कुछ हिस्सों पर अपनी दृष्टि डालें।

बॉक्सर (Boxer) विद्रोह के पश्चात् जब चीन ने अपनी पुरानी परिपाटी छोड़ी तथा नवीन विचारों का प्रचार हुआ, तब चीन के नवयुवकों ने अपने लिए नया मार्ग तय किया तथा पुरानी रूढ़ियों को नष्ट करने का निश्चय किया।

१९११ के विद्रोह में चीन के विद्यार्थियों का बहुत-कुछ हाथ था। जापान तथा अमेरिका से लौटे हुए विद्यार्थियों ने माँचू राज को नष्ट करने में बहुत बड़ा भाग लिया।

यूरोप के गत महायुद्ध के समाप्त होते-होते उन्होंने अपना बड़ा जबर्दस्त सङ्गठन कर लिया था। जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेन्स (Paris Peace Conference) ने शायटङ्ग प्रदेश के जरमन अधिकारों को जापान को देने की घोषणा की तो चीन के विद्यार्थी-समुदाय में आग लग गई। वे चीन के इस अपमान को सहन न कर सके। चीन के एक प्रान्त को बिना चीन से सलाह लिए किसी देश की कलचर को प्रभावित करने में अमेरिका के स्थान को रूस ले लेगा। अमेरिका ने ही चीन के विद्यार्थियों को स्वराज्य का पाठ पढ़ाया था। परन्तु भविष्य में चीन का मार्ग-प्रदर्शक अमेरिका रहेगा या रूस, यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के धुरन्धरों के सम्मुख उपस्थित है। संक्षेप में, पूर्वी राष्ट्रों की एक लीग स्थापित करना चीन के विद्यार्थियों के सामने एक नवीन लक्ष्य है, जिसका वे बहुधा सपना देखते हैं।

मिस्टर लेविस गैनेट (Lewis Gannett) ने १८ मार्च, १९२१ को पेरिस से एक पत्र लिखा था। यह पत्र 'नेशन' में ५ मई, १९२६ को प्रकाशित हुआ था। इस पत्र से हमें चीन के विद्यार्थियों के भावों का पता चलता है। उस पत्र में एक स्थान पर लिखा है—"जापानी डिस्ट्रायर्स वाली घटना के परिणाम-स्वरूप विद्यार्थियों की सभाएँ हुईं, जिसमें उन्होंने इस घटना का विरोध किया। अल्टीमेटम ने पेकिङ्ग के स्कूलों को बन्द कर दिया। इन दिनों विद्यार्थियों की चीन में भारी ज़िम्मेदारी है। वे अपने को जनता को जगाने वाला तथा नवीन राष्ट्र का निर्माता समझते हैं।" विद्यार्थियों की एक कमिटी ने चीन के अधिकारियों से मिल कर जापान के इस नवीन अत्याचार का विरोध करना चाहा। पर उन्हें आज्ञा नहीं मिली।

इस विद्यार्थी-आन्दोलन ने चीन की पुरानी इमारत की जड़ हिला दी है। और एक नई इमारत खड़ा कर रहा है। चीन के नौजवानों में वही सब बातें पाई जाती हैं जो आजकल संसार के और नौजवानों में पाई जाती हैं। पुरानी बातों को न मानना, पुरानी सामाजिक परिपाटी के विरुद्ध काम करना, बड़े-बूढ़ों का बहुधा विरोध कर बैठना तथा उनकी सलाह और इच्छा के विरुद्ध काम करना। इन्हीं सब कारणों से बहुधा चीन के पुराने ढर्रे के बड़े-बूढ़े लड़कों से नाराज़ रहते हैं, जैसा कि आजकल सभी जगह होता है।

चीन के युवकों में और यूरोप आदि के युवकों में एक ख़ास अन्तर है। यूरोप के युवकों का दृष्टिकोण आजकल अन्तर्राष्ट्रीय है। भिन्न-भिन्न देशों के युवक अपने को एक समझते हैं और उनका आन्दोलन अपने देश से ही सम्बन्ध न रख कर सर्व-व्यापी है। पर चीन के युवकों का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय है और ठीक भी है। लोग पहले घर में चिराग़ जला कर तब मसजिद में चिराग़ जलाते हैं। उन्हें अभी अपने देश से ही छुट्टी नहीं मिलती, फिर भला वे बेचारे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकते हैं!

* * *

बन्दियों का स्वागत

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

कृतिमय कारावास काल का
सम्प्रति तो है अन्त हुआ,
भक्ति-भाव से जनता के
प्लावित सा आज दिगन्त हुआ।
मुखश्रियाँ कितने लोगों की
पुलकित हैं स्वागत में आज,
कितने मृदुल हृदय देशों पर
हुआ हर्ष का सुन्दर राज।
कितनों की आँखें प्रस्तुत हैं
साजे मोद सजलता साज,
मिल लेने को गले उपस्थित
है उत्कण्ठित सकल समाज।
किया त्याग तुमने स्वदेश के
लिए बड़ा, था भाग्य बड़ा,
इसीलिए है आज तुम्हारे
सम्मुख भारत नम्र खड़ा।
मातृभूमि गद्गद है, चुप है,
कर वात्सल्य भरा सम्मान,
गुन गवाक्षों में नभ के है
प्रभु की तोषमयी मुस्कान।
तुम तो अपने तन में, मुख में
नई ज्योति हो भर लाए,
क्लेश-सिन्धु से मणि लाए हो,
या हो मणि बन कर आए।
सतत सरलता सदन तुम्हारे
वदन शान्त गम्भीर ललाम,
मृदु निराश मन के आश्वासन
शान्ति, दया, समता के धाम।
लाए हैं सन्देश कौन से
किन मार्मिक वचनों में आज?
कौन फूल झरने वाले हैं
सुरभित करते हुए समाज?
चक्की में पीसा है तुमने,
जनता के दुर्भावों को
उन्नत किया न जाने कितने
अवनत वक्र स्वभावों को।
अभिनन्दन कर रहा मौन या
वाणी से सारा संसार,
पहनाते हैं तुमको हम अनु—
राग भरे हृदयों का हार।
शुद्धात्माओं के सङ्कट में
पड़ने का यह शुभ परिणाम,
कुछ अनुकूल हो रहा है वह,
दैव जो कि अब तक था वाम।
आगे हमें बढ़ाया था, अब
आगे हमें बढ़ाओ और,
तुम भारत के प्राण सदृश हो
तुम जनता के हो शिरमौर।
किन्तु भाग्य में अभी तुम्हारे
है बन्दीपन का आनन्द,
हो जाओगे हम लोगों के
मन के कारागृह में बन्द।

* * *

साहित्य का सपूत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

अङ्क—१ ; दृश्य—३

स्थान—सड़क

(एक अख़बार बेचने वाला कुछ किताबें और अख़बार बेचता हुआ आता है।)

बेचने वाला—लीजिए-लीजिए "दैनिक समाचार" एक-एक आने, "भारत-प्रभा" दो-दो आने।

(यदुनाथ और रमाकान्त का आना)

यदुनाथ—लाना भाई एक "दैनिक समाचार" दे देना।

बेचने वाला—(अख़बार देकर) उपन्यास भी दिखाऊं ? बहुत बढ़िया हैं।

यदुनाथ—क्या बँगला या अङ्गरेज़ी का अनुवाद है ?

बेचने वाला—नहीं साहब, बिल्कुल मौलिक हैं। देखिए तो।

यदुनाथ—तब रहने दें। सब देखे पढ़े हैं।

बेचने वाला—वाह साहब ! अभी तो प्रेस से निकले हैं, आप कहते हैं देखे पढ़े हैं। अजी महाशय, ये सब नए उपन्यास हैं।

यदुनाथ—हाँ, कहने के लिए नए होंगे, मगर उनमें बातें तो पुरानी होंगी, वही जो सब में अकसर हुआ करती हैं। कहानी एक ही ढङ्ग की। चरित्र-चित्रण, भाव-प्रदर्शन, बातचीत, सब एक ही तरह। किसी में भी नवीनता नहीं। दो सफ़ा पढ़िए और अन्त तक का हाल जाँच लीजिए। ऐसी कहानियाँ पढ़ने में क्या मज़ा ? अनुवादित होते तो ले भी लेता। क्योंकि अनुवाद में और बातों का आनन्द न सही, तो कम से कम प्लॉट-बन्धन ही में कुछ नवीनता या विचित्रता देखने में आती।

बेचने वाला—यह सब न लेने के बहाने हैं बाबू जी !

(जाता है)

रमाकान्त—हाँ भाई यदुनाथ, यह तो मैं भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ किताबों की इतनी भरमार होते हुए भी उनमें विचित्रता का आनन्द नहीं आता। कोई नई बात घटना-बन्धन में, विचारों में या वर्णन-शैली में ग़रज़ किसी में भी नहीं मिलती। आख़िर क्यों ?

यदुनाथ—मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं कि इसका कारण ठीक-ठीक बता सकूँ। फिर भी जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, तहाँ तक मैं यही समझने के लिए मजबूर होता हूँ कि हमारे यहाँ के लेखक बस लेखक बनने से मतलब रखते हैं, लेखक होना नहीं चाहते। इसीलिए इस कला में मेहनत नहीं करते।

रमाकान्त—मेहनत की एक ही कही। भला लिखने में कौन सा पहाड़ ढाना पड़ता है ?

यदुनाथ—यही तो भूल है, भाई रमाकान्त, कि लोग समझते हैं कि यह बहुत आसान काम है और इसे सभी पढ़े-लिखे लोग कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसा होता तो आज के दिन हज़ारों पढ़े-लिखों में सिर्फ़ दस या पाँच लेखक न निकलते, बल्कि एक सिरे से सभी लेखक हो जाते। क्योंकि नाम पैदा करने का किसे शौक़ नहीं होता ? मगर इसमें तो ऐसी मिहनत दरकार है कि बहुतों के छक्के छूट जाते हैं। एड़ी-चोटी का पसीना एक हो जाता है। उस पर भी बरसों सर मारने पर कहीं सफलता की झलक दिखाई पड़ती है।

रमाकान्त—मगर मेहनत किन बातों में पड़ती है, यह तो कहो।

यदुनाथ—मानवी स्वभाव के रहस्यों की थाह लेने में, भाव-समुद्र को मथने में, चरित्रों को खोजने में, प्रकृति और स्वाभाविकता को अपनाने में। इन बातों को ढूँढ़ना, परखना और समझना, फिर उनकी बारीकियाँ दिखला कर उनमें नई-नई बात पैदा करना ठट्ठा नहीं है। इसके लिए ख़ाली विद्या-बुद्धि और ज्ञान ही नहीं, बल्कि दिल-दिमाग़ और आँखें भी चाहिए।

(संसारीनाथ का आना)

संसारीनाथ—कौन कहता है ? जहाँ ज़रा दुम हिला देने से काम निकलता हो, वहाँ इतना दिमाग़ ख़र्च करना कौन सी अक़्लमन्दी है जनाब ? सारी विचित्रता, नवीनता, मौलिकता और योग्यता अब तो सिर्फ़ इतनी सी बात में घुसी हुई है कि एक थे राजा उन्होंने खाया खाजा, उसके बाद एक छोटी सी शिक्षा की दुम उसमें खोंस दो और वाहवाही लूट लो। जब नाम कमाने का इतना सहल नुस्ख़ा हो रहा है, तब किसे पड़ी है कि साहित्य के लिए माथापच्ची करे ? दूसरे बेगार के काम में मेहनत ? राम कहो।

रमाकान्त—वाह ! भाई संसारीनाथ, ख़ूब कहा ! हद कर दी। क्या हम लोगों की बातचीत यहीं खड़े सुन रहे थे ?

संसारी—अरे ! यार डेढ़ कोस से तो तुम लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, छिप कर सुनने की क्या ज़रूरत ?

यदुनाथ—अजी मारो गोली इन बातों को। इनकी इस बात के आगे अब इस पर कुछ कहना बेकार है। हाँ भाई संसारीनाथ, तुम अपनी कहो। तुम्हारे प्रेम का क्या हाल है ?

संसारी—आह ! तुमने भी क्या याद दिला दिया। हाल क्या बताऊँ दोस्त, बेहाल है। तक़दीर ने तो बड़ी मदद की। पहिले ही दिन साहित्यानन्द के घर में क़दम रखते ही उनकी बीबी और लड़की दोनों सामने पड़ गईं। फिर क्या, भीतर तक मेरी पैठ हो गई। और घर में आने-जाने का सहारा हो गया। ईश्वर की कृपा से चपला की माँ मेरे बर्ताव से ख़ुश होकर मुझे अपने एक निजी आदमी की तरह मानने भी लगी है, मगर अफ़सोस ! जिसके लिए उन लोगों की मैं इतनी ख़ुशामद करता हूँ, वह मेरी तरफ़ आँख उठा कर भी नहीं देखती। मेरे पहुँचते ही वह किसी न किसी बहाने वहाँ से खिसक जाती है या कभी शर्म से सर झुका कर वहीं मूर्ति बन जाती है।

यदुनाथ—ओहो ! यह तो आसार अच्छे हैं यार, इसमें अफ़सोस काहे का ?

रमाकान्त—प्रेम में कुमारियों की पहले-पहल यही हालत होती है भाई ! क्यों भाई यदुनाथ ?

यदुनाथ—बेशक ! अरे म्याँ तुम अपनी तक़दीर को धन्यवाद दो कि वह भी तुम्हें प्यार करने लगी।

संसारी—सच बताओ यार ? आह ! यही जो कहीं मुझे विश्वास हो जाता, तो मैं मारे ख़ुशी के ज़मीन पर पैर न रखता।

यदुनाथ—अजी यह तो प्रेमियों का जन्म भर का रोना होता है। तुम इस चक्कर में न पड़ो। जैसे अक़्लमन्द हो वैसे अक़्लमन्दी से काम करो। उसकी शादी चटपट अपने साथ तय करा लो। नहीं मौक़ा निकल जाएगा तो रह जाओगे अपना सा मुँह लेकर।

संसारी—तो भाई क्या करूँ। अपने ऊपर जब पड़ती है, तब कुछ भी करते-धरते नहीं बन पड़ता। मुझे ख़ुद ताज्जुब है कि मैं जो दूसरों को उँगलियों पर नचा सकता हूँ, इस मामले में क्यों इतना बुद्धू सा हो रहा हूँ। जहाँ चपला का ध्यान आया, तहाँ मैं अपनी परछाहीं तक से भड़कने लगता हूँ।

रमाकान्त—तुम्हारी ही नहीं, प्रेम में सबकी यही हालत होती है भाई। फिर भी यह तो सोचो कि बिना हाथ चलाए मुँह में कौर भी नहीं जाता। ख़ैर ! अपने साहित्यानन्द से किसी दिन चपला की शादी का चर्चा छेड़ो। उसे ख़ुद ही इसके लिए परेशानी होगी।

संसारी—वह तो पत्र निकाल कर अब सम्पादक होने के चक्कर में हैं। इस ख़ब्त के आगे ईश्वर जाने, उन्हें अपनी लड़की की शादी की कुछ फ़िक्र भी है या नहीं।

यदुनाथ—होगी कैसे नहीं ? कौन ऐसा बाप है, जो लड़की पर जवानी चढ़ते ही उसकी शादी की फ़िक्र में मरता न हो ?

संसारी—अजी वह आदमी हों तब तो। वह तो एक ऐसे अजीब जीव हैं कि क्या कहूँ।

यदुनाथ—अरे यार ! तो मुझसे क्यों नहीं एक दिन मुठभेड़ करा देते। मुझे तो ऐसे लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता है।

रमाकान्त—हाँ, है तो वह मिलने ही लायक़। यह मैंने भी सुना है। ऐसा आदमी पाकर भी जब तुम उसे अपने रङ्ग पर नहीं चढ़ा सकते, तब तुम क्या करोगे संसारीनाथ ?

संसारी—आख़िर तुम लोग किस दिन के लिए हो। तुम्हीं कुछ मेरी मदद करो।

यदुनाथ—तो अब तक कहा क्यों नहीं ? यह तुम्हारी ग़लती है ! उधर क्या देख रहे हो ?

संसारी—(एक तरफ़ देखता हुआ) अरे ! वह तो इधर ही आ रहे हैं।

यदुनाथ—कौन ? साहित्यानन्द । यही हैं ?

रमाकान्त—(उसी तरफ़ देख कर) हाँ-हाँ, यही हैं। मैं पहचानता हूँ। अरे ! तुम कहाँ चले ?

संसारी—मुझे टल जाने दो। मेरे सामने उस मामले की बातचीत करना ठीक नहीं।

यदुनाथ—ठीक है या नहीं, यह मैं जानता हूँ। तुम पहिले ज़रा मेरी जान-पहचान तो कराते जाओ।

संसारी—तुम अपनी जान-पहचान भाई ख़ुद कर लो। नहीं अगर वह इस बात पर कहीं बिगड़ बैठे तो सब मेरे मत्थे जाएगी।

यदुनाथ—अच्छा यही सही। मगर तुम रुको तो। वह लो वह आगया।

(साहित्यानन्द अपनी पगड़ी बाँधता हुआ आता है और पगड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन पर घसिटता हुआ जाता है)

यदुनाथ—(आगे बढ़ कर) प्रणाम !

साहित्यानन्द—प्रणा—अयं !

(पगड़ी छोड़ कर दोनों हाथ प्रणाम करने के लिए जोड़ता है, वैसे ही सर की पगड़ी हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसका एक सिरा उठा कर फिर बाँधना शुरू करता है)

रमाकान्त—(आगे बढ़ कर) मैं भी प्रणाम करता हूँ।

(साहित्यानन्द प्रणाम करता है, पगड़ी फिर ज़मीन पर गिर पड़ती है)

साहित्यानन्द—(नङ्गे सर और पगड़ी ज़मीन पर) तीसरा कौन है ? वह भी इसी वक्त—रहुँक—समय प्रणाम कर ले। तब मैं अपनी पगड़ी उठाऊँ। नहीं फिर गिर पड़ेगी। रास्ते भर—रहुँक—मार्ग भर मारे प्रणामों के गिरती ही आई है।

संसारी—(सामने आकर) मैं हूँ संसारीनाथ। मैं तो मकान ही पर सलाम कर आया था।

साहित्यानन्द—हाँ, ठीक है, ठीक है। (पगड़ी उठा कर बाँधने लगता है। मगर एकाएक उसे छोड़ कर पर्दे की तरफ़) वह लो, फिर किसी ने प्रणाम किया।

(प्रणाम करता है और पगड़ी फिर गिरती है।)

रमाकान्त—उधर आप किसे प्रणाम करते हैं ? वह तो मैं सर खुजा रहा था, उसी की परछाहीं है।

साहित्यानन्द—हाँ ? वाहरे हम ! जब से हमने अपने को सम्पादक होना घोषित किया, तब से हमारा यह मान कि परछाहीं तक प्रणाम करने लगी ? क्यों न हो। अब मेरे अवश्य ही सकल मनोर्थ पूर्ण हो जाएँगे। (कमर पर हाथ रख कर) बार-बार पगड़ी उठाते-उठाते श्वास फूल गया। (साँस लेता है)

यदुनाथ—(अलग मुस्करा कर) भई वाह ! इसने तो अच्छी बानगी दिखाई। राम ! राम ! ऐसे लोग भी जब सम्पादक होने लगे, तब साहित्य का क्या कहना है। (प्रकट) संसारीनाथ, खड़े देखते क्या हो। देखो कितनी देर से ज़मीन पर पगड़ी पड़ी हुई है।

संसारी—अरे ! माफ़ करना, मैं किसी और ही धुन में था। (लपक कर पगड़ी उठाता है और उसका एक सिरा साहित्यानन्द को देकर) लीजिए, अब बेखटके बँधिए। गिर नहीं सकती।

रमाकान्त—तुम्हीं बाँध दोगे तो कौन सा बड़ा हाथ टूट जाएगा ?

संसारी—हाँ भई, ग़लती हुई। मैं ही बाँधे देता हूँ।

(साहित्यानन्द के पीछे खड़ा होकर पीछे ही से उसके सर पर पगड़ी लपेटने लगता है।)

साहित्यानन्द—क्या कहा, ग़लती हुई ?

संसारी—(लपेटता हुआ) हाँ ग़लती हुई, जो अब तक...

साहित्यानन्द—नहीं जी, ग़लती नहीं—

संसारी—(लपेटता हुआ) अच्छा भूल हुई।

साहित्यानन्द—यह भी नहीं। कहो अशुद्ध हुआ।

संसारी—अशुद्ध हुआ ? (संसारीनाथ एकाएक पगड़ी छोड़ कर हँसता हुआ पीछे हटता और अपने मुँह में रूमाल ठूँसता है।)

रमाकान्त और यदुनाथ—वाह ! सम्पादक जी ! वाह ! सम्पादक जी !

साहित्यानन्द—अरे ! यह कैसा गड़बड़-सड़बड़ बाँध दिया, यह तो खिसकी जाती है।

यदुनाथ—(साहित्यानन्द के सर से पगड़ी उतार कर) हाँ, यह ढीली रह गई थी। आओ सब लोग मिल कर इसे बाँधें। सम्पादक लोग सबके लिए आदरणीय होते हैं, कुछ अकेले संसारीनाथ के लिए नहीं। उस पर आपकी बातचीत तो देखो, कैसे महापुरुष हैं।

साहित्यानन्द—(गर्व से ऐंठ कर) अवश्य ! अवश्य ! (यदुनाथ से) आप सच्चे गुण-ग्राहक हैं।

यदुनाथ—अच्छा आप पगड़ी के इस सिरे को अपनी खोपड़ी पर कस के दबाए कोल्हू की तरह बीच में खड़े रहिए और हम लोग दूसरे सिरे को लेकर आपके चारों ओर बैल की तरह चक्कर लगाएँ।

साहित्यानन्द—ओहो ! मेरा इतना बड़ा सम्मान ! आप सचमुच बड़े गुण-ग्राहक हैं।

यदुनाथ—आप इसी के योग्य हैं महाराज !

(साहित्यानन्द पगड़ी का एक सिरा अपनी खोपड़ी पर दबा कर खड़ा होता है और तीनों आदमी दूसरा सिरा पकड़ कर ताने हुए उसके चारों तरफ़ घूमते हैं। बीच-बीच में संसारीनाथ इस काम में हिचकिचाता है, मगर यदुनाथ इशारा से उसे दबा लेता है।)

साहित्यानन्द—अरे ! अरे ! खोपड़ी के साथ मेरा हाथ भी बँधा जाता है।

रमाकान्त—दूसरे हाथ का सहारा लेकर जल्दी से निकाल लिया कीजिए।

साहित्यानन्द—अरे ! मेरी आँखें भी बँध गईं और मुह भी बँधा जाता है।

यदुनाथ—कुछ परवाह नहीं, बाद को ठीक कर देंगे।

(पगड़ी साहित्यानन्द की खोपड़ी से लेकर गर्दन तक लिपटती जाती है।)

साहित्यानन्द—(पगड़ी के साथ ख़ुद भी चारों ओर घूमता हुआ) अरे ! बाप रे बाप ! ठहरो-ठहरो। गर्दन में फाँसी लगी जाती है।

यदुनाथ—गर्दन नहीं महाराज, ग्रीवा कहिए। आप तो जल्दी में साहित्य भी भूल जाते हैं। हाँ-हाँ, नाचिए मत। नहीं हम लोगों को और तेज़ दौड़ना पड़ेगा। (दौड़ कर चक्कर लगा कर) बस-बस, थोड़ा और सब्र कीजिए। हो गया, यह लीजिए पगड़ी का आख़िरी फेंटा भी खोंस दिया गया।

(सब लोग अलग हो जाते हैं और साहित्यानन्द अन्धे की तरह हाथ फैलाए हुए भटकता है।)

साहित्यानन्द—अरे भाई, मेरी आँखें तो खोल दो।

यदुनाथ—ज़रा सुस्ता लें, बहुत थक गए हैं महाराज !

(संसारीनाथ साहित्यानन्द की आँखें खोलने के लिए बढ़ता है। मगर रमाकान्त उसे रोकता है और उसे ज़बर्दस्ती अपने साथ घसीट ले जाता है।)

(रमाकान्त और संसारनाथ का जाना)

साहित्यानन्द—(पगड़ी खोलने की कोशिश करता हुआ) अरे ! यह कैसी पगड़ी है ? न सरकाए से सरकती है, न खोले खुलती है। अरे भई, सुस्ता चुके !

(यदुनाथ आवाज़ें बदल-बदल कर चिल्लाता और ज़मीन पर पैर पटकता है।)

यदुनाथ—(आवाज़ बदल-बदल कर) अरे बाप रे ! बाप रे ! दङ्गा हो गया दङ्गा ! मर गया ! मर गया ! हाय ! हाय ! यह लाठी लगी। हाय बाप ! यह छुरा लगा। भागो-भागो।

(साहित्यानन्द घबड़ा कर इधर-उधर अन्धे की तरह भटक-भटक कर गिरता है)

साहित्यानन्द—अयँ ! यह क्या हुआ। हाय ! हाय ! किधर जाएँ।

(रमाकान्त अपने साथ दो-चार आदमी लाता है और साहित्यानन्द को दिखलाता है। रमाकान्त और यदुनाथ आवाज़ बदल कर लड़ने वालों की तरह चिल्लाते हैं और सब चुपके-चुपके हँसते हैं।)

यदुनाथ और रमाकान्त—मारो-मारो, जाने न पाए, मार दो खोपड़ी दो हो जाए। और कस-कस के। सब भाग गए ! अब इधर चलो।

(साहित्यानन्द मारे डर के इधर-उधर भागता है। और पर्दे से कई बार टकराता है।)

साहित्यानन्द—हाय राम ! सब भाग गए, हम कैसे भागें ? अब क्या करें ? चलो यही बड़ी बात है कि मेरे मुँह और खोपड़ी पर पगड़ी बँधी है, नहीं तो मेरी भी खोपड़ी अब तक दो हो जाती। (पर्दे से टकरा कर) अरे बाप रे ! यह लाठी लगी ! हे परमात्मा ! हे परमेश्वर ! हे दीनानाथ !

रमाकान्त—(आवाज़ बदल कर) यह कौन जानवर है ?

साहित्यानन्द—कौन हम ? हम जानवर नहीं, साहित्य के सपूत हैं।

यदुनाथ—(आवाज़ बदल कर) ओहो, तभी अपने आँख-कान बन्द किए हुए है।

पहला दर्शक—असली है, असली है।

(सब लोग फिर मारो-मारो का शोर मचाते हैं। इस दफ़े साहित्यानन्द भटकता-भटकता निकल भागता है। उसी के पीछे सब हँसते हुए जाते हैं।)

पट-परिवर्तन

(क्रमशः)

* * *
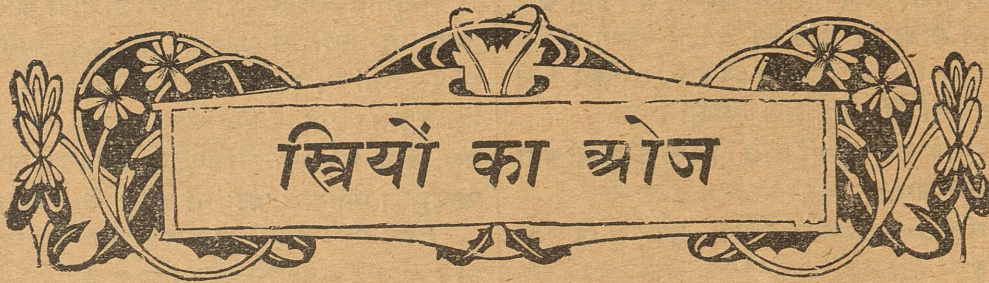
सिंहनी का बदला !

[श्री० "अरुण"]

"महाराज की जय हो !"
"आ गए ? कहो क्या समाचार है ?"
"नागौर के राव राजा ने......"
"कहो, कहो ?"
"अभयदान मिले अन्नदाता !"
"बोलो—शीघ्र बोलो—क्या कहते हो ?"
"महान् अनर्थ हो गया......"
"क्या ?"
"महाराज ! नागौर-नरेश ने आपका बड़ा अपमान किया !"
"............?"
"आपका पत्र पढ़ कर वे क्रोध से काँपने लगे और मेरे देखते-देखते उसे टुकड़े-टुकड़े करके पैरों से कुचल डाला।
"फिर ?"
"और कहा कि अपने महाराज से कह देना—"
"क्या ?"
"कि प्रमिलाकुमारी को बलात् हरण करने का विचार स्वप्न में भी न करें, सिसोदिया-वंश अपनी मान-रक्षा करना खूब जानता है।"
"और भी ?"
"जब तक नागौर में राठौरों का एक बच्चा भी जीवित रहेगा, तब तक तुम्हारे जैसे कामलोलुप पिशाचों की दाल नहीं गल सकती।"
"फिर ?"
"हाँ महाराज ! यह भी कहा कि तुम्हारे महाराज की बँदरघुड़कियाँ उनके अन्तःपुर में ही काम देती होंगी ; जब मर्दों से सामना पड़ेगा, तब छट्ठी का दूध याद आ जायगा।"
"हूँ—यह ढिठाई ?"
"और सरकार के लिए यह सौगात भी भेजी है।"
"नङ्गी कटार ?"
"जी महाराज !"
"ओफ़ ! मेरे टुकड़ों पर पला हुआ गुलाम मुझे ही चुनौती दे ! यह अवज्ञा—यह अभिमान ! ठहर—सेनापति !"
"अन्नदाता !"
"समझते हो—इस अपमान को—इस नीचता को ?"
"श्रीमान् की क्या आज्ञा है ?"
"मेरा हृदय जल रहा है—अब सहन नहीं होता। सेनापति !"
"महाराज !"
"आज ही हमारी सारी सेना नागौर की ओर कूच करेगी। तैयार हो ?"
"जो आज्ञा !"
"और सरदारो !"
"आज्ञा नरनाथ !"
"जानते हो ?"
"क्या ?"
"राजा का अपमान........."
"................."
"प्रजा का अपमान है !"
"प्रजा का अपमान है, श्रीमन् !"
"तो फिर उपाय ?"
"नीच को उसके पाप का दण्ड मिलना चाहिए।"
"तो चलो !"
"जो आज्ञा, भगवान एकलिङ्ग की जय !"

२

"बहिन !"
"क्यों ?"
"एक बात पूछूँ, बताओगी ?"
"बताऊँगी—"
"गुलाब का फूल देखा है ?"
"देखा है।"
"कैसा लगता है ?"
"बड़ा सुन्दर, क्यों ?"
"परन्तु......"
"परन्तु क्या ?"
"उसमें बड़े तीक्ष्ण काँटे होते हैं।"
"तो क्या हुआ ?"
"जानती हो, क्यों ?"
"नहीं बहिन, तुम्हीं बताओ।"
"जिसमें वह सरलता से पाने की वस्तु न रहे।"
"बस !"
"—उसकी सुन्दरता रक्षित रह सके—अधिक नहीं तो उसके विकास के बाद कुछ समय तक।"
"रानी ! तुम्हें क्या हो गया है आज ?"
"और सुनो, कुम्हलाते हुए फूल को भी देखा है ?"
"कहो......"
"संसार की दृष्टि ही उसे इस दशा को पहुँचा देती है—सुनती हो प्रमिला !"
"हाँ बहिन, किन्तु इन सब बातों का प्रयोजन क्या है ?"
"प्रयोजन ? कुछ भी नहीं—हीःहीःहीःही !"
"......वाह !"
"सुना है, अजमेर के चौहान-नरेश से तुम्हारी सगाई ठहरी है !"
"अयँ ? क्या कहा ?"
"अब तो मुँह मीठा होगा ही प्रमिला ! दिल्ली के सम्राट तुम्हें ब्याहेंगे !"
"कौन कहता है रानी ?"
"मैं कहती हूँ !"
"किससे सुना ?"
"दरबार में अजमेर-राज्य से दूत यही सन्देशा लेकर आया था।"
"परन्तु......"
"परन्तु, क्या ?"
"कुछ भी नहीं !"
"कुछ तो ?"
"बहिन !"
"क्या प्रमिला !!"
"तुमने यह बात कैसे कही ?"
"क्यों ?"
"असम्भव—मेरा हृदय तुमसे छिपा नहीं।"
"प्रमिला ! परिस्थिति बड़ी ही जटिल है—जानती हो, दिल्लीपति चौहान कैसे आ रहे हैं ?"
"कैसे ?"
"रणस्थल में ही तुम्हारे साथ भाँवरें फिरने, तलवारों का चढ़ावा लेकर। बरछों की पालकी में बिठा कर, तुम दिल्ली ले जाई जाओगी—कुछ जानती हो ?"
"रानी !"
"कहो !"
"मैं राजपूत-कन्या हूँ !"
"फिर ?"
"पिता जी की आन मेरी आन है—चौहान राजा आवें—नागौर में हिजड़े नहीं बसते ! मेरा कर्तव्य भी निश्चित है !"

३

"मारो ! मारो !!"
"बाईं ओर सरदार ! बाईं ओर !"
"हर-हर महादेव !"
"ओफ़ ! महाराज कहाँ ?—वह गिरा—"
"अब क्या होगा ?"
"सँभलिए श्रीमान् !"
"नीच ! कापुरुष ! जा, अपनी लगाई हुई आग में स्वयं ही भस्म हो जा !"
"महाराज ! समय नहीं है। भागिए—दुर्ग का द्वार टूट चुका !"
"बचिए—आह ! म...रा...विदा महाराज ! पा...नी..."
"चल बसे वीर ! उफ़ !"
"पकड़ लो ! बाँध लो—यही महाराज हैं।"
"हर-हर महादेव !"
"आओ फिर—एक—दो—तीन—चार—पाँच बस ?"
"बढ़ो आगे !"
"तुम्हीं क्यों नहीं बढ़ जाते ?"
"हमारी जान फ़ालतू है, क्यों ?"
"डर गए, बस !"
"लहँगे पहन कर घर में घुस रहो—यहाँ प्राणों का मोह ?"
"पकड़ लो—"
"आओ न पकड़ो—जाता हूँ, देखो ! जय श्री एकलिङ्ग की !"

"मार लिया है इस बार—जाने न देना—घोड़े बढ़ाओ!"

"बन्दी कर लो—जान से न मारना!"

"अरे बाप रे! मरा....."

"जुहारसिंह!"

"हाँ पिता जी! मैं आ गया!"

"आओ बेटा! मारो इन कुत्तों को!"

"हर-हर महादेव!"

"एक से दो हो गए!"

"बढ़ो! मारो!"

"अब कहाँ जाता है बुड्ढा—ले!"

"आह! बेटा...बेटा!"

"गिर गए पिता जी! ओफ़! लीजिए, अपने घातक का सिर—जा-जा, पातकी, धोखेबाज़, अपने कर्मों का फल भोग!"

"हाय रे—मरा—म...रा"

"बे....टा....प्रमिला को....ब....चा.....ना शङ्कर..."

"चल बसे! पूज्य पिता! हमें अनाथ छोड़ कर चले गए!"

"पकड़ो! पकड़ो! अकेला है!"

"हाँ, आ जाओ!! बढ़ो, पकड़ो!"

"हर-हर महादेव!"

"आग से क्यों खेलते हो पापियो! जाता है—शेर—साहस हो तो पकड़ो!"

"निकल गया?"

"निकल गया!"

"दुर्ग की ओर चलो!"

"जय श्री एकलिङ्ग की!"

३

"राव राजा वीरगति को प्राप्त हुए!"

"अयँ! पिता जी?"

"हाँ!"

"जुहार कहाँ है?"

"युद्ध में..."

"फिर?"

"हमारी हार हुई—दुर्ग में शत्रु-सेना प्रवेश कर चुकी!"

"हर-हर महादेव!"

"भागिए-भागिए! राजकुमार भी आहत होकर बन्दी हो गए!!"

"क्या कहा?"

"महल खाली कर दीजिए—अब देर नहीं!"

"कायर! ला अपनी तलवार मुझे दे!"

"राजकुमारी! क्या करती हो?"

"बस चला जा यहाँ से—नीचे की कोठरी में सब सामान ठीक है—बिगुल बजते ही आग लगा देना—समझा?"

"जो आज्ञा!"

"हर-हर महादेव!"

"आओ माँ दुर्गे! आज तुम्हें जी भर रक्त पिलाऊँगी—इतना तुमने कभी न पिया होगा!"

"प्रमिला!"

"ओफ़ रानी! तुम कहाँ?"

"मरने आई हूँ!"

"क्यों? आज तो मेरी शादी है न!"

"मेरी भी है!"

"नहीं बहिन! तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा काम नहीं"

"क्या चौहान राजा का अकेले ही स्वागत करोगी?"

"हाँ, ऐसा स्वागत करूँगी, जैसा किसी ने न किया होगा!"

"हर-हर महादेव!"

"जाओ रानी, तुम्हारे हाथ जोड़ूँ, इस समय चली जाओ"

"आ गए—आ गए—प्रमिला!"

"आने दो!"

५

"बहिन!"

"कहो प्रमिला!"

"हम कहाँ हैं?"

"यह न पूछो, क़ैदियों को इतना अधिकार नहीं!"

"लेकिन आज जाने कैसा जी करता है!"

"क्यों?"

"आओ, तुम्हें एक बार भेंट लूँ!"

"क्या सोचती हो रानी? एक बार आओ, हम दोनों मिल लें, बहुत दिनों से तुम्हें प्यार नहीं किया!"

"आह! कितना सुख है!"

"छिः-छिः! रोती हो?"

"नहीं तो"

"तुमको मालूम है?"

"क्या?"

"आज मेरी सुहागरात है!"

"किसके साथ?"

"तुम्हारे साथ रानी!"

"ठीक; चौहान राजा आएँगे, क्यों?"

"होगा भी—रानी! एक काम करो!"

"बोलो"

"वह फूल मुझे ला दो।"

"तुम्हें?"

"हाँ।"

"सुनो—कोई आता है।"

"जाओ—चुपचाप ले आना।"

"महाराज आते हैं—"

आदर्श-चरित्र

"आह! ख़ुदा अगर इनके पीछे भी दो आँखें जड़ दिए होता तो बेचारे मुड़ कर देखने की ज़हमत से बच जाते!"

"क्यों बहिन?"

"योंही, हमारे भाग्य का निर्णय दूसरे के हाथ है!"

"इससे क्या?"

"हम तुम फिर मिलेंगे या नहीं, कौन जानता है, बहिन!"

"दुर पगली।"

"सच कहती हूँ।"

"क्या हो गया है तुमको?"

"मेरे अधिक पास आ जाओ रानी!"

"देखो उधर—सरोवर के जल पर छिटकी हुई चाँदनी कैसी भली मालूम होती है!"

"हाँ!"

"जी चाहता है, नीचे जाकर वहीं थोड़ी देर बैठती!"

"किन्तु......"

"और देखो—बीच में खिला हुआ वह कुमुदिनी का फूल कैसा सुन्दर है?"

"........"

"जा—द्वार बन्द कर देना।"

"जो आज्ञा श्रीमान्!"

"हृदयेश्वरी!"

"पधारिए राजन्!"

"धन्य भाग्य, तुम्हारे श्रीमुख से स्वागत के शब्द तो सुनने को मिले—प्रियतमे!"

"दासी तो सदैव सेवा में उपस्थित है।"

"घूँघट क्यों डाल रक्खा है? अभिन्न प्राणियों में परदा कैसा?"

"महाराज! अपराध क्षमा हो, यही तो हम अबलाओं की लाज है!"

"ऊँह, हटा दो इसे, तुम्हारा चन्द्रमुख तो देखूँ"

"श्रीमान को अधिकार है!"

"तो फिर लो—अयँ! अरे बाप रे! यह क्या करती हो?"

"इन्द्रिय-लोलुप पिशाच! बोल—क्या चाहता है?"

"ओफ़! प्रमिला! मैं तुम्हारा दास हूँ, यह कटार तो छाती पर से हटाओ!"

"निर्लज्ज ! नारकी कीट ! वासना के पुतले ! अपने पापों का फल भोगने को तैयार हो जा !!"

"क्षमा—राजनन्दिनी ! क्षमा करो !"

"क्षमा ? तेरे जैसे दुष्ट को ? आज राठौरी कटार तेरा रक्त-पान करेगी, नीच !"

"अपराधी देवी ! क्षमा करो !"

"पितृहन्ता को कैसे क्षमा करूँ ! कापुरुष ! क्षत्राणियों के धर्म-तेज को नहीं जानता ?"

"बहिन ! क्षमा...तुम्हारी ही शरण में हूँ !"

"ना—आज तुझे उचित शिक्षा दूँगी । अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों के लिए तेरी मृत्यु उदाहरण बनेगी ।"

"अभय दो बहिन ! इस जीवन में अब ऐसा काम न करूँगा ।"

"अच्छा जा, तेरे रक्त से अपना हाथ कलङ्कित न करूँगी । लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं—उन्हें मानना होगा !"

"स्वीकार है देवी !"

"पहिली यह कि मेरे भाई जुहार को मुक्त कर उसे नागौर का राज्य वापस कर दो । दूसरी यह कि इस प्रान्त की सीमा से बीस मील तक तुम्हारी सेना दिखाई न दे और तीसरी यह कि इस जीवन में किसी राजपूतनी पर कुदृष्टि न डालना—समझे !"

"प्रतिज्ञा करता हूँ, बहिन !"

"पगड़ी छूकर शपथ लो—"

"शपथ है ।"

"तो जाओ—छोड़ती हूँ ! भूलना मत—विदा—"

"अरे ! यह क्या—सब समाप्त ! धन्य सती !"

* * *

सवेरे सरोवर के निर्मल जल पर दो कोमल शव उतरा रहे थे !!.

* * *

इस घटना का वर्णन इतिहास में नहीं है—राजपूताने के आदि-ग्रन्थों में भी खोजने पर नहीं मिलता । सम्भव है कि इतिहासकारों ने एक ऐसे प्रसिद्ध और प्रतापी हिन्दू-सम्राट का कलङ्क मान कर न लिखा हो, जिसकी यश-गाथाएँ आज तक जीवित हैं, किन्तु इस उदारता का क्या मूल्य है ? पाठक बतलाएँ ?

* * *

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, जिन्हें ईश्वर की ओर से दिव्य-दृष्टि प्रदान की हुई होती है । जो बात सर्व-साधारण को दिखाई नहीं पड़ती, उसे वह इस प्रकार देख लेते हैं, जिस प्रकार कि आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध भूमि पर पड़ी हुई छोटी से छोटी लाश को देख लेता है । ऐसे ही दिव्य-दृष्टिधारी लोगों में मेरी जान-पहचान के एक व्यक्ति हैं । इन्हें अपने और अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार में सब स्त्री-पुरुष चरित्रहीन दिखाई पड़ते हैं । इनसे जब कभी बात करने का अवसर मिला, तब इन्होंने ज़माने भर की शिकायत ही की । अमुक नेता स्वार्थी है, अमुक लीडर धूर्त है, अमुक लेखक चोरी करता है, अमुक कुछ भी नहीं जानता, अमुक का नाम पता नहीं, इतना विख्यात क्यों हो गया—उसे तो कुछ भी नहीं आता—इत्यादि ! संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अन्तःकरण में छिपी हुई बुराई को इनकी दिव्य-दृष्टि एक्स-किरणों की भाँति न देख लेती हो । आप लेखक भी हैं और लेख भी लिखा करते हैं । अपने लेखों में भी आप संसार के पापों का रोना रोया करते हैं—मानो ईश्वर ने इन्हें संसार के पापों का कॉण्ट्रेक्टर बना कर भेजा है ।

एक दिन का ज़िक्र है, मैं घूमता-घामता उनके दरदौलत पर पहुँच गया । उस समय वह लेख सामने रक्खे बैठे थे । मैंने पूछा—कहिए, क्या हो रहा है ?

वह मुँह बना कर बोले—एक लेख लिख रहा हूँ ।

"किस विषय पर ?"

"हमारे तीर्थ-स्थानों में जो व्यभिचार होता है उस पर !"

"लेख तो महत्वपूर्ण है"

"कैसा कुछ !"

मैंने कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात् पूछा—क्या सचमुच तीर्थ-स्थानों में व्यभिचार बहुत होता है ? मुझे तो दो-चार तीर्थ-स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है । परन्तु मुझे तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ी, जिसके बल पर मैं यह कह सकूँ कि वास्तव में ऐसा होता है । यह मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता ; होता होगा—जहाँ हज़ारों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होते हैं, वहाँ कभी-कभी दो-चार वारदातें हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर जैसा कि आप कहते हैं वह बात मैंने नहीं देखी ।

वह हँस कर बोले—आप देख ही नहीं सकते ! आप गए और चले आए । वहाँ दो-चार रोज़ रहिए तो पता चले ।

मैंने कहा—दो-चार रोज़ क्या, आठ-आठ, दस-दस दिन रहा हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो महीनों रहे हैं, परन्तु न तो मैंने कभी कुछ देखा और न उन लोगों से सुना ।

वह बोले—एक बात और है—"जिन खोजा तिन पाइयाँ"—जो खोजा करता है, कोशिश करता है, उसे ये बातें दिखाई पड़ती हैं, हर एक को थोड़े दिखाई पड़ती हैं ।

"हाँ, यह बात हो सकती है—खोज तो मैंने कभी की नहीं"

"वहाँ रहिए और ज़रा आँख-कान खोले रहिए तो अवश्य दिखाई पड़े ! हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सैकड़ों दुश्चरित्र स्त्री-पुरुष घूमते रहते हैं, और मैं दिखा सकता हूँ ।"

"हरिद्वार में मैं भी पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक रहा हूँ और मेरे अनेक मित्र ऐसे हैं जो महीनों रहे हैं, पर उन्हें तो एक भी दुश्चरित्र स्त्री नहीं मिली ।"

"तो क्या वहाँ सब सच्चरित्र ही जाती हैं ?"—उन्होंने हँस कर कहा ।

"यह भी मैं नहीं कहता । परन्तु बिना देखे-सुने केवल अनुमान से सबको या अधिकांश को दुश्चरित्र समझ लेना भी अन्याय है ।"

"अच्छा, कभी मेरे साथ चलिए तो मैं आपको दिखा दूँगा ।"

"अच्छी बात है, जब आप जाने लगें तो मुझे बताइएगा ।"

"मैं तो बहुधा जाया करता हूँ ।"

"क्यों ?"

"यही लीला देखने । मैं इस विषय का पूर्ण अध्ययन कर रहा हूँ और प्रत्येक बात का अनुभव प्राप्त करता हूँ ।"

"अच्छी बात है । इस बार मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा ।"—यह कह कर मैं बिदा हुआ ।

पन्द्रह दिनों के पश्चात् एक दिन वह मेरे पास आए और बोले—हरिद्वार चलते हो ?

"क्या आप जा रहे हैं ?"

"हाँ, कल जा रहा हूँ ।"

"तो मैं भी चलूँगा ।"

"तो तैयार रहना ।"

दूसरे दिन मैं उनके साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुआ । उन महाशय ने स्टेशन से ही मनुष्यों के चरित्र का अध्ययन आरम्भ कर दिया । एक स्त्री घूँघट निकाले बैठी थी । संयोग से उसने घूँघट उठा कर एक बार देखा और मेरे साथी से उसकी आँखें एक क्षण के लिए मिल गईं । उन्होंने झट मेरा हाथ दबाया और मुस्करा कर बोले—देखा ?

मैंने पूछा—क्या ?

"बस इसीलिए तो कहता हूँ कि आँख-कान खोले रहो, बुद्धू बन कर बैठे रहते हो, इसीलिए कुछ देख-सुन नहीं पाते । वह स्त्री, जो घूँघट निकाले बैठी है, दुश्चरित्र है, इसने अभी मेरी ओर किस प्रकार देखा था, यह तुमने ग़ौर नहीं किया ।"

मैंने कहा—उसने देखा तो एक बेर अवश्य था; पर आपकी ओर देखा था या किसी दूसरी ओर—इसका निश्चय नहीं कर पाया ।

"यही तो सारी बात है—इसका निश्चय करने के लिए अनुभव चाहिए ।"

मैंने कहा—ऐसा अन्तर्यामी अनुभव अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ ।

"देखिए धीरे-धीरे हो जायगा—ज़रा हरिद्वार पहुँचें ।

वहाँ हर की पैड़ी पर इतनी दुश्चरित्र स्त्रियाँ मिलेंगी कि चाहे गठरी बाँध लाइए।"

इसी प्रकार वह रेल में भी स्त्री-पुरुषों का अध्ययन करते हुए गए। न जाने कितनी स्त्रियों को उन्होंने दुश्चरित्र बताया और कितने पुरुषों को बदमाश। यद्यपि मेरी समझ में ख़ाक न आया कि वह किधर से दुश्चरित्र तथा बदमाश दिखाई पड़ते थे। एक स्त्री और पुरुष रेल में स्थान पाने की शीघ्रता के कारण कुछ घबराहट में चौकन्ने थे। उन्हें देख कर आप झट बोल उठे—यह आदमी इस स्त्री को भगाए लिए जा रहा है।

मैंने पूछा—यह आपने कैसे जाना ?

वह बोले—यह दोनों कितने घबराए हैं—यह आपने देखा ?

मैंने कहा—थर्ड क्लास में यात्रा करने वाले अशिक्षित लोग बहुधा घबराए से रहते ही हैं।

उन्होंने कहा—बस यही तो आप जानते नहीं, इनकी घबराहट दूसरे तरह की थी।

मैंने कहा—होगी, मैंने तो कोई ऐसी बात देखी नहीं।

"देखो कैसे, अनुभव हो तब तो देखो ?"

ख़ैर, हम लोग हरिद्वार पहुँचे और एक धर्मशाला में अड्डा जमाया। उचित समय पर हम लोग स्नान करने के लिए गए। स्नान करने में मेरे साथी प्रत्येक स्त्री को घूर-घूर कर देखते थे। क्यों ? इसलिए कि वह अच्छे-बुरे की परख करते थे। यदि उन्हीं की तरह कोई अन्य पुरुष स्त्रियों को देखता था तो वह झट उनकी सूची के बदमाश कॉलम में प्रविष्ट हो जाता था। स्नान करके लौटते समय मैंने उनसे पूछा—कहिए, आप तो कहते थे कि यहाँ बदमाश औरतों की गठरी बाँध लो, परन्तु मुझे तो एक भी न दिखाई पड़ी।

वह बोले—ये जितनी नहा रही थीं, सब बदमाश थीं—इनमें मुश्किल से एकाध अच्छी थी।

मैंने कहा—तो इनमें से दो-चार को साथ लिए चलते।

वह मेरी ओर चकरा कर देखते हुए बोले—कहाँ लिए चलते ?

"धर्मशाला में। आख़िर जब आए हो तो कुछ मनोरञ्जन का सामान भी तो चाहिए।"

वह मुस्करा कर बोले—ओहो ! आपका यह मतलब है ; पर भाई मैं तो कभी ऐसा काम करता नहीं।

मैंने कहा—पर उस्ताद, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, प्रबन्ध करना तुम्हारे हाथ है। सवेरे चार-छः पकड़ लाए उन्हें शाम को छोड़ दिया; शाम को चार-छः साथ लगा लाए, उन्हें सवेरे छोड़ दिया—क्यों कैसी रहेगी ?

वह बोले—पकड़ क्या लाए, कोई भेड़-बकरी है क्या ?

"आपकी बातों से तो अब तक यही मालूम होता रहा है। आप तो गठरी बाँधने को कहते थे—गठरी तो घास-फूस की बाँधी जाती है, भेड़-बकरी तो फिर भी ग़नीमत हैं।"

शाम को पुनः प्लेटफ़ॉर्म पर घूमने गए। वहाँ हज़रत घूम-घूम कर सबको देख रहे थे। हठात् मुझसे बोले—ये दो स्त्रियाँ जो जा रही हैं, जानते हो क्या कहती थीं ?

मैंने कहा—यह सौभाग्य तो आप ही को प्राप्त है कि आप उनकी बातें समझ सकें।

वह बोले—ये पञ्जाबी भाषा में मेरी ओर लक्ष्य करके कह रही थीं कि यह आदमी कितना सुन्दर है।

"अच्छा ! तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, सुन्दर तो आप किसी हद तक कहे जा सकते हैं।"

"अब यदि मैं चाहूँ तो इन दोनों को फाँस सकता हूँ।"—वह अकड़ कर बोले।

मैंने कहा—तब तो आपकी सुन्दरता के सम्बन्ध में कुछ कहना गोया अपने फँसाने का सामान करना है। उन बेचारियों को शायद यह बात मालूम नहीं है। ख़ैर, तो श्रीगणेश कीजिए।

उन्होंने फिर देखा ; परन्तु वे दोनों दूर निकल गई थीं। मैंने कहा—अफ़सोस, ऐसे सुन्दर आदमी को इतना मौक़ा भी न दिया कि वह आत्म-निर्णय तो कर लेता। अस्तु।

जहाँ कहीं दो-चार स्त्रियों को हँसते देख लिया, बस बोल उठे—"ये हम लोगों को देख कर हँस रही थीं।" यदि कहीं कुछ भीड़ के कारण कोई स्त्री इनसे भिड़ कर निकली, बस आप तुरन्त बोल उठे—"देखा, यह स्त्री कैसा धक्का मार कर चलती है।" एक बार मज़े में आकर आपने भी एक स्त्री के कुहनी मार दी। वह तुरन्त ही घूम पड़ी और बोली—तुम्हे दिखाई नहीं पड़ता क्या—अन्धों की तरह चलते हो।

जीवित-जाति

[ले० श्री० 'मगन']

जिसमें स्वावलम्ब, साहस,
सद्गुण, सुनीति का हो भण्डार;
जिसमें विद्या, कला, कुशलता,
गुण, वैभव का हो विस्तार।

❀

जिसमें 'परदा,' 'जड़ता,' 'बन्धन,'
हों न नारियों के शृङ्गार,
जिसमें कभी नहीं होता हो,
'धर्म' नाम पर पापाचार।

❀

जिसमें हो प्रति व्यक्ति समझता,
देश-द्रोह को निज अपमान !
वह है 'जीवित-जाति'; उसी की—
रह सकती है जग में 'शान' !

* * *

मैंने कहा—देखिए, जिसके आपने कुहनी मारी थी, वह बुला रही है।

वह बोले—चले आओ चुपचाप।

मैंने कहा—उस्ताद, इस हवा में किसी दिन वह बेभाव की पड़ेगी कि चाँद गञ्जी हो जायगी।

वह बोले—आप समझे नहीं।

मैंने कहा—बिलकुल नहीं, इन बातों के समझने का कुल कॉन्ट्रैक्ट आप पहले से हथिया चुके हैं।

उन्होंने कहा—मज़ाक़ नहीं, उसने इसलिए कहा कि जिसमें हम लोग ठहर कर कुछ बातें करें।

अभी तक तो मैं उनकी बातों पर मन ही मन हँसता रहा ; परन्तु अब मुझे क्रोध आने लगा। मैंने कहा—जनाब, अच्छा हुआ जो आप नहीं ठहरे, वरना खोपड़ी देवी आज बड़ी मुसीबत में फँस जातीं।

सम्पादक जी, कहाँ तक लिखूँ, हम लोग तीन दिन वहाँ रहे और वह दुष्ट यही बकता रहा कि अमुक बदमाश है, अमुक ऐसी है, अमुक वैसी है। यहाँ से बड़ा दावा करके गए थे, परन्तु वहाँ यह एक भी स्त्री ऐसी नहीं दिखा सके, जिसे मैं दुश्चरित्र मानने के लिए बाध्य होता।

घर लौटते समय वह बोले—देखा आपने, यहाँ कितना व्यभिचार होता है ?

मैंने कहा—अरे यार, ज़रा तो ईश्वर से डरो—तुम वहाँ से बड़ी-बड़ी बातें मारते हुए आए थे ; परन्तु यहाँ तुमने कोई बहादुरी न दिखाई। यदि ऐसी एक स्त्री भी दिखा देते, जो वास्तव में बदमाश होती, तब भी मैं तुम्हारी बात मान लेता। हाँ, तुम अलबत्ता बदमाशी का जामा पहने घूमते रहे, परन्तु किए-धरे कुछ न हुआ। ऊपर से कहते हो व्यभिचार होता है—व्यभिचार होता है तुम्हारा सिर !

वह बोले—जब मेरा इस पर लेख निकले तब देखना।

मैंने क्रोध को दबा कर पूछा—लेख में क्या लिखोगे ?

"यहाँ के व्यभिचार का वर्णन लिखूँगा। जिसमें लोगों की आँखें तो खुलें।"

"यदि यहाँ जो तुमने देखा है वही लिखोगे, तब तो तुम्हारा लेख रद्दी की टोकरी में फेंका जायगा।"

"सो मैं ऐसा बेवक़ूफ़ नहीं हूँ—यह मैंने समझ लिया कि यहाँ ऐसा होता है—बस, अब घटनाओं की कल्पना कर लूँगा।"

मैंने कहा—जी चाहता है तुम्हें पीट चलूँ। तुम्हारे ऐसे धूर्तों ने ही बहुत से भ्रम फैला रक्खे हैं। यह मैं नहीं कहता कि यहाँ सब पुण्यात्मा ही आते हैं। व्यभिचार कहाँ नहीं है—कुछ न कुछ सभी जगह है; परन्तु आप जो रूपक अपने लेख में बाँधेंगे, उसका तो कहीं यहाँ नाम भी नहीं है।

"आपके लिए नहीं है, मेरे लिए तो है।"

मैंने कहा—यदि मेरी चले तो आप ऐसे आदमियों को पागलख़ाने की चहारदीवारी के अन्दर ही रक्खूँ। आप तो साधारण पागल से कहीं अधिक ख़तरनाक हैं। आप झूठ के पुल बाँधेंगे और सम्पादक आपकी बात को वेद-वाक्य समझ कर ज्यों का त्यों छाप देंगे, और ज़्यादा तबीयतदार हुए तो एक टिप्पणी जड़ देंगे। बस ख़तम, देश का उद्धार हो गया।

सम्पादक जी, आप ऐसे लेखकों से सावधान रहें, जो अपनी कल्पनाओं को सत्य घटना का रूप देकर सम्पादकों की आँखों में धूल झोंकते हैं और भ्रम फैलाते हैं।

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

किसी ने क्या ख़ूब कहा है कि 'अजगर को मख राम देवैया !' बेचारे हिज़ होलीनेस इस चिन्ता के मारे मरे जाते थे कि अकेले चचा चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्य की डूबती हुई नौका का डाँड़ पकड़ेंगे या लगी ? मगर बफ़ज़लहु अल्लाहताला, 'राँड़ के सोग में कुँवारी'-स्वरूप बबुआ बाल्डविन भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। फलतः अब ब्रिटिश साम्राज्य के अकाल में ही काल-कवलित होने की कोई आशङ्का नहीं रह गई !

❀

स्वर्गवासी बाबू बालमुकुन्द गुप्त का कथन है कि—"जैसे लिबरल वैसे टोरी, जो परनाला वही है मोरी !" लेहाज़ा अगर कल बाल्डविन ने चर्चिल की चेंचें सुन कर कान बन्द कर लिया था और आज उसमें श्री० नीलू-बाबू के सरस सङ्गीत का मज़ा पा रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बेचारे कोई सीता-सावित्री तो हैं नहीं, जो आजन्म दादा मुग्धानल देव का ही पल्ला पकड़े रहें ?

❀

राजनीति-क्षेत्र में क़लाबाज़ी दिखाने में ही तो मज़ा है,—'निगाहे यार की बिजली इधर चमकी उधर चमकी !' फिर बक़ौल स्व० मि० पिट, विलायत के पार्टी-लीडरों का दिमाग़ तो हमेशा 'टू लेट' (To Let) रहता ही है। भाड़े के टट्टुओं की पीठ पर, जो पैसे दे वह सवारी गाँठे। इस समय बेचारा अपनी लीडरी की रक्षा करे या ज़बान की !

❀

ख़ैर, अपने राम तो भङ्गड़ आदमी ठहरे, जहाँ तक चहल-पहल रहे, वहीं तक इनके लिए अच्छा है। छान-छून कर बैठने के बाद कुछ शग़ल तो चाहिए ही ! यही हाल हमारे बूढ़े भारत दादा का भी है। बड़े-बड़े नाज़ो-अन्दाज़ के मज़े लूट चूके हैं। इन्हें न 'लिबरल टोरी की चिन्ता है, न परनाले-मोरी की'। अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि—

"सुर्ख़रू होता है इन्साँ, ठोकरें खाने के बाद,
रङ्ग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद।"

❀

परन्तु 'राम खुदैया' में पड़े बेचारे दादा मुग्धानल देव—धोबी के उस ग़रीब कुत्ते की तरह, जो घर का रहा, न घाट का ! बेचारे ने बड़ी मेहनत से जो 'फ़ेडरल का फन्दा' तैयार किया था, उसे चर्चिल और बाल्डविन की जोड़ी अगर एक ही दुलत्ती में छिन्न-भिन्न कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए बेचारे बड़े सशङ्कित भाव से कभी अड़ियलों की दुम सहलाते और कभी उन्हें रिझाने के लिए तूमड़ी बजाते फिरते हैं। कहीं फ़ेडरल फिसला तो बेचारे की दशा उस विफल-मनोरथा अभिसारिका सी हो रहेगी, जो 'रतिहू ते गई पति (लाज) हू ते गई, इतहू ते गई उतहू ते गई !'

❀

इधर सखी नौकरशाही ने भी शान्ति का बुर्क़ा तो ओढ़ लिया है, परन्तु "हुस्न छिपता नहीं छिपाए से, पर्दादारी ही पर्दादारी है !" फलतः पुराने अभ्यास के कारण 'तीरे-नज़र' भी चलाती जाती हैं। आख़िर, बेचारी कुछ हज तो कर नहीं आई हैं और न किसी वैष्णव की चेली ही हो गई हैं। लेहाज़ा शिकार सामने आ जाता है तो 'नाथ साथ धनु हाथ हमारे' वाली नीति के अनुसार एक-दो निशाने लगा लेती हैं। इसमें हर्ज ही क्या है ?

❀

इसीलिए उनके अपनी सहृदयता, शान्ति-कामना और नेकनीयती का दुन्दुभी-निनाद करने पर भी उनकी चञ्चला-चपला पुलिस देवी ने बङ्गाल के आरामबाग़ नामक स्थान में एक कम एक दर्जन भले आदमियों और आधा दर्जन 'भले आदमिनियों' की खोपड़ियों की मरम्मत कर दी है। कहीं-कहीं पिटनी (प्युनिटिव) पुलिस के लिए दक्षिणा भी पूर्ववत् ही वसूल की जाती है। भई, जन्म-जन्मान्तर की पड़ी हुई आदत एक दिन में थोड़े ही छूटती है। सुना नहीं है,

मोहब्बत असर करती है रफ़्ता-रफ़्ता,
मोहब्बत की ख़ामोश चिनगारियाँ हैं !

❀

इसके अलावा, लोगों की शिकायत है कि राज-बन्दियों को छोड़ने में भी कञ्जूसी की जा रही है। लोग चाहते हैं, कि एकाएक डरबे का 'पिहान' खुल जाए और सब के सब एक साथ ही फुर्र से निकल आवें। मगर जनाब, मोहब्बत भी तो कोई चीज़ है या नहीं ? किसी से साल भर का सम्बन्ध और किसी से छः महीने का। बिदा-बिदाई के समय मिलने-जुलने में भी तो कुछ समय लगता है। फिर इतनी जल्दी किस बात के लिए है ? शान्ति अगर कुछ दिन के बाद ही स्थापित होगी तो क्या महाभारत अशुद्ध हो जायगा ?

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि देश में शान्ति भी स्थापित हो जाए और श्रीमती नौकरशाही की अतिथि-शाला की चहल-पहल में भी ख़लल न आए। अन्यथा एकाएक घर सूना हो जाने पर बेचारी घबरा जाएँगी। इसीलिए हिज़ होलीनेस की छोटी सखियाँ यानी प्रादेशिक वधूटियाँ बड़ी सावधानी और छानबीन के साथ मेहमानों की बिदाई की व्यवस्था कर रही हैं। बात यह है, कि उन्हें कुछ बन्दियों से प्रगाढ़ प्रेम हो गया है।

❀

इधर यार लोगों का यह हाल है कि उनकी सारी जमी-जमाई गृहस्थी ही उजाड़ फेंकना चाहते हैं। उनकी पुलिस लाठी भी न चलाए, 'सब धान बाइस पसेरी' के अनुसार 'आमिषाशी' और 'शाकाहारी' बन्दी भी छोड़ दिए जाएँ, बूढ़े बाबा बीसवीं सदी की सुधाबिन्दु से भी लोगों को वञ्चित रक्खें। भाड़ में गई ऐसी शान्ति। ऐसी मूल्यवान शान्ति लेकर क्या उन्हें चाटना है। इससे तो वह अशान्ति ही हज़ार दर्जे अच्छी थी। कम से कम संसार में शोहरत तो हो रही थी ! इसीलिए सखी चाहती हैं कि सद्भावना भी क़ायम रह जाय और गाँठ की कौड़ी भी ख़र्च न हो। फलतः यह "दानि कहाउब और कृपणाई' की नीति कुछ बुरी नहीं है।

❀

इसी शास्त्रोक्त नीति के अनुसार इटावे में कुछ काले गोलियों द्वारा मुक्तिधाम भेज दिए गए हैं; जिसके लिए अख़बार वाले हल्ला मचा रहे हैं। बतलाइए, इन नारद के वंशधरों को कौन समझाए कि इन ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए वावेला मचाना कोई भलमनसाहत की बात नहीं है। यह सब शीघ्र शान्ति स्थापित करने के लिए साधु-प्रयत्न हैं। जिन्हें गोली लग गई वे हमेशा के लिए शान्त हो गए और ऐसे शान्त कि सगबगाने से कोई सरोकार ही नहीं। फलतः श्रीजगद्गुरु इस उद्योग के समर्थक हैं।

❀

और इसके साथ ही मुग्ध हैं, उस घोषणा-पत्र पर, जिसे संयुक्त प्रान्त की सरकार ने, इटावा के गोली-काण्ड के सम्बन्ध में प्रकाशित करने की कृपा दिखाई है। घोषणा क्या है, पण्डित माखनलाल जी चतुर्वेदी की छायावादी कविता है। क्या मजाल, जो एक शब्द भी समझ में आ जाय। मगर जनाब, यह हमारी सुशीला सरकार की सदाशयता है कि वह कालों के मरने पर एक कम्युनिक निकाल दिया करती हैं। उनकी सद्गति के लिए श्रीमती की इतनी दया काफ़ी है।

❀

इटावा गोली-काण्ड सम्बन्धी सरकारी कम्युनिक का कथन है कि लखनऊ जेल से छूटे हुए कुछ क़ैदियों की सम्बर्द्धना के लिए लोगों ने एक जुलूस निकाला था और पुलिस के 'आरामगाह' पर अड्डा जमाना चाहते थे। फलतः गोली चलाना अनिवार्य हो गया। होना ही चाहिए। एक तो क़ैदियों के लिए जुलूस निकालना ही महापाप और ऊपर से पुलिस का 'रङ्ग-महल' दख़ल करने की चेष्टा ! ऐसे अनर्थकारियों को तो फ़ौरन तोप-दम कर देने की आवश्यकता थी। परन्तु पुलिस बेचारी तो न्याय-परायणता, मनुष्यत्व और सहृदयता आदि महा आफ़तों से जकड़ी थी, इसी से फ़क़त दो-चार जुलूसियों को 'भून-भान' कर ही रह गई।

❀

आप पूछते हैं, आख़िरश वे लोग पुलिस के आरामगाह पर दख़ल जमाने क्यों जाते थे ? कौन जाने क्यों जाते थे। श्रीजगद्गुरु ऐसे वाहियात प्रश्नों का उत्तर देने और ऐसी बातों की छानबीन में समय नष्ट करने को बाध्य नहीं हैं। समझ लीजिए कि दख़ल जमाने जाते थे और गोली चलाना आवश्यक था और आवश्यक था, सरकारी कर्तव्य के पालन के लिए एक "अनभिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू" के अनुसार कम्यूनिक निकाल देना। सारी विधि पूरी हो गई, अब बस, सुशील बालक की तरह चुप रहिए। समझ गए न ?

❀

'मुकम्मिल आज़ादी' के लँगोटिया यार मौ० हसरत मोहानी की राय है कि "कॉङ्ग्रेस की मौजूदा जद व जहद के मानी हिन्दू-राज हैं, और मुसलमानों को इस जद व जहद के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। बस, इसी ईमानदारी और सचाई से खचाखच भरी हुई बात के लिए कुछ 'कॉङ्ग्रेसिए' मौलाना पर लाल-पीले हो रहे हैं और उन्हें 'बिना पेंदी का लोटा' 'चिकना घड़ा' और 'ख़फ़तुल-हवास' आदि विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि मौलाना 'मुकम्मिल आज़ादी' के पक्षपाती उस वक़्त थे, जब जिन्ना साहब के 'चौदह रत्न' मुसलिम क्षीर-सागर के गहरे गर्भ में थे।

मगर अब ज़माना बदल गया है और मौलाना इस बात के क़ायल हैं कि—

"बदल जाए ज़माना तो बदल जाव,
ज़माना हाथ से जाने न पाए।"

❀

इसके सिवा अब 'मुकम्मिल-आज़ादी' की बाँग का महत्त्व ही क्या है। अब तो लाला घुरहूराम से लेकर ख़ैराती मियाँ तक सभी 'मुकम्मिल-आज़ादी मुकम्मिल आज़ादी' चिल्ला रहे हैं, इसलिए मौलाना ने उस पुराने गीत को छोड़ दिया है। क्योंकि आप ठहरे जीते-जागते 'चोंचों के मुरब्बा' या 'चन्द्रकान्ता' वाले तेजसिंह के बटुआ। कभी 'मुकम्मिल आज़ादी' का स्वप्न देखा तो कभी कम्युनिज़्म का तराना छेड़ा। कभी ख़िलाफ़त आन्दोलन में टाँग अड़ाया, तो कभी हिन्दोस्तान में मुसलिम बादशाहत क़ायम करने में लगे। जिधर की बयार उधर को ओर पीठ!

❀

अङ्गरेज़ों ने अपने दोस्त शाह नादिरख़ाँ को कई करोड़ रुपए उधार दिया है और साथ ही अफ़ग़ानिस्तान में अपना अमारी का बुनियाद मज़बूत कर डालने के लिए दस हज़ार राइफ़िलें और पचास हज़ार कारतूस भी बतौर तोहफ़े के भेजा है। और एक हिज़ होलीनेस के दोस्त हैं, हज़रत 'भविष्य' के सम्पादक साहब, जो पूरे बारह रोज़ तक सखी नौकरशाही के मेहमानख़ाने के मज़े लूटते रहे और वहाँ से मुग्दर हिला कर लौटने पर हिज़ होलीनेस के लिए गोला-बारूद भेजना तो दूर रहा, एक पॉकेट कतरने वाली क़ैंची भी न भेजी।

❀

इतना ही नहीं, होली ख़तम हो जाने पर भी बेचारी नौकरशाही और उसकी पुलिस को अँगूठा दिखा दिया। पुलिस ने, सुनते हैं, उस दिन पाख़ाना तक टटोल डाला, परन्तु अन्त में तरसती ही चली गई! इसके बाद १२४ (अ) का फन्दा फेंका तो वह कमबख़्त भी दिन-रात के अन्धाधुन्ध प्रयोग के कारण ऐसा घिस गया था, कि बारह दिन से अधिक ठहर हो न सका। अब बताइए, बेचारी क्या करे?

❀

लेहाज़ा, यार लोगों ने जब देखा कि नैनी से 'नैन-सैन' से बेदाग़ बच आए और मुँह भी मीठा नहीं कराया तो अफ़वाह उड़ा दो कि सरकारी गवाह बन कर छूट आए हैं। आख़िर ये 'बिनु काज दाहिने-बाएँ' वाले हज़रात चूकते कैसे? ऐसे मौक़े पर भो अगर दिल का बुग़्ज़ न निकालते तो क्या हैज़े से मरते?

❀

ख़ैर, यह अच्छा ही हुआ। अफ़वाह उड़ाने वालों ने अपनी वंश-मर्यादा का परिचय देने के साथ ही सम्पादक जी को भी सावधान कर दिया कि आइन्दे अगर फिर श्रीमती नौकरशाही के दरबार से मेहमानदारी का निमन्त्रण आवे, तो यारों की दावत का बन्दोबस्त अवश्य हो और कुछ न बन पड़े तो 'कोंदर' ही सही; बेचारे उसी को चाट कर सब्र कर लेंगे।

❀

श्रीमती नौकरशाही की एसेम्बली नाम-धारिणी गूदड़ी में भी एक से एक बेशक़ीमती लाल छिपे पड़े हैं। अभी हाल में एक सज्जन ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। आप बेसरकारी सदस्य हैं, और नाम है, मि० हिचकोट। आप सरकारी घाटे के कारण अत्यन्त दुखी हैं और सलाह दी है कि कृषिजात वस्तुओं तथा हिन्दुओं के यौथ परिवारों पर आय-कर बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही पान और दियासलाई पर भी। निस्सन्देह बेचारा बड़ी दूर की कौड़ी लाया है। जब ऐसे-ऐसे 'दुर्रे बेबहा' मौजूद हैं, सखी को घाटा कैसे रह सकता है?

❀

शिक्षा-विभाग में आश्चर्यजनक उन्नति

[सङ्कलित]

रूस में अनिवार्य शिक्षा-प्रणाली है। वहाँ के शिक्षा-मन्त्री वहाँ की शिक्षा की उन्नति के विषय में कहते हैं :—

"सोवियट रूस की शिक्षा-प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा को ग़रीब और अमीर—सब तक पहुँचाने का है। इस विषय में हम लोगों ने बहुत उन्नति कर दिखाई है, यहाँ तक कि संसार में आजकल कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ पर हाईस्कूल तथा साइन्स की संस्थाएँ इतनी संख्या में हों, जितनी कि हमारे यहाँ हैं।

"ज़ार का शासन तो रूस में दारिद्र्य तथा अशिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ गया था। करोड़ों रूसी पैदा होते थे और मर जाते थे, पर उनसे अपनी मातृभाषा का एक अक्षर भी लिखते-पढ़ते न बनता था। रूस में, जो कि संसार का सब से बड़ा देश है, न ट्रेनिङ्ग स्कूल थे, न मेडिकल तथा टेकनिकल कॉलेज ही थे। स्कूल में जाने वाली उमर के आधे से ज़्यादा लड़के अशिक्षा के अन्धकार में सड़ा करते थे।

"सन् १९१७ का राज्यक्रान्ति के बाद शिक्षा तथा सभ्यता की उन्नति पर विशेष करके ध्यान दिया गया। रूस की प्रजा ने अपनी संस्कृति का क्रान्तिमय उत्थान करने का कार्य अपने हाथों में ले लिया और उसे बड़े ही उत्साह के साथ करना शुरू किया। इसीलिए रूस ने सभ्यता तथा शिक्षा में इतनी उन्नति की है, जो कि संसार में कभी भी नहीं देखी गई है।

"अक्टूबर की राज्यक्रान्ति के पहले ही साल से प्राथमिक पाठशालाएँ रूस के कोने-कोने में फैल गईं। गृह-युद्ध तथा राजकार्यों में अन्य देशों के विघ्न डालने के कारण यह उन्नति जितनी होनी चाहिए, नहीं हो सकी। पर सोवियट सेना की विजय होने के पश्चात यह कार्य और भी वेग के साथ शुरू हो गया, और विद्यार्थियों की संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। अन्त में १९२९ में विद्यार्थियों की संख्या १½ करोड़ तक पहुँच गई। स्कूल जाने वाली उमर के लड़कों की औसत, जो कि पचास फ़ीसदी थी, १९२९-३० में ९२ फ़ीसदी तक पहुँच गई।

"यह आश्चर्यजनक उन्नति हमें हमारी व्यावसायिक तथा औद्योगिक उन्नति के कारण करनी पड़ी है। हर एक नया कारख़ाना, हर एक नया फ़ार्म अब सोवियट गवर्नमेण्ट ही बनाती है। इन सब में हज़ारों की संख्या में शिक्षित तथा होशियार मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा-विभाग का ख़र्च पुराने ज़ार की गवर्नमेण्ट के के शिक्षा-ख़र्च से तिगुना हो गया है। और अगले साल तक वह पुराने ख़र्च से सात गुना हो जावेगा।

"विद्यार्थियों के अतिरिक्त इन लोगों को शिक्षा के लिए हम लोग एक बड़ी संख्या में अध्यापक तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के स्कूल बिलकुल वैज्ञानिक तरीक़े पर हैं। और उनमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा की बू नहीं है।

"हमारी शिक्षा केवल अनिवार्य ही नहीं, पर रूसियों के लिए मुफ़्त है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेण्ट की तरफ़ से विद्यार्थियों को पुस्तकें, काग़ज़, क़लम इत्यादि पढ़ने-लिखने की चीज़ें भी मुफ़्त दी जाती हैं। नाश्ता तथा सवारी का इन्तज़ाम भी गवर्नमेण्ट ही करती है।

"प्राथमिक पाठशालाओं के लिए आजकल हमारे यहाँ तीन लाख मास्टर हैं और वे यह काम केवल तनख़्वाह के लिए नहीं, परन्तु एक नए सोवियट समाज की रचना करने की इच्छा से करते हैं। स्कूल में केवल रूसी भाषा ही नहीं पढ़ाई जाती, जैसा कि ज़ार के ज़माने में होता था। सब अन्तर्गत प्रान्तों की ३६ भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। और मास्को के एक ख़ास छापेख़ाने में अल्प संख्यक जातियों के लिए उनकी भाषाओं में पुस्तकें छापी जाती हैं। कई कॉलेजों में जातियों के मास्टरों को शिक्षा दी जाती है।

"हमारे उन्नति-मार्ग में कई विघ्न-बाधाएँ हैं, पर हमें पूर्ण आशा है कि हम अपने असंख्य मज़दूर तथा किसानों की सहायता तथा सहानुभूति से अपने कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे।"

* * *

Registered No. A—2085

पिछली अनेक शताब्दियों से हिन्दू-समाज के भीतर अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विश्वास, अमानुषिक अत्याचार, पाखण्ड तथा नाना प्रकार की कुरीतियों की भीषण ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, और उसमें यह अभागा देश तिल-तिल कर भस्म हो रहा है। उसकी सारी शक्ति, विद्या, बुद्धि, सभ्यता और धर्म का भी विनाश हो चला है। इस पुस्तक में इसी का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। कहानियों के रूप में समाज का सजीव-चित्र तथा उसकी कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य आपको दिखाई देगा। केवल एक कहानी पढ़ते ही आप अपनी वास्तविक दशा पर रो पड़ेंगे। पश्चात्ताप और आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे। बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह की पैशाचिक प्रथा; महिलाओं का नारकीय जीवन; पुरुषों की स्वार्थपरता तथा अमानुषिकता आदि-आदि नाना प्रकार के भीषण दृश्य आपके नेत्रों के सम्मुख नाचने लगेंगे।

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा ऐसी सरल, मधुर तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि हृदय गद्गद हो जाता है।

मूल्य केवल ३) रु० स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र !

यह वही पुस्तक है, जिसकी ६,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ समाप्त हो चुकी हैं; जिसने असंख्य स्त्रियों को पाकशास्त्र की पण्डिता बना कर उनका जीवन सार्थक किया है; और जिसके लिए हमारे पास बधाइयों तथा प्रशंसा-पत्रों के ढेर लग गए हैं।

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत् पुस्तक में न दिया गया हो। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ तौर से लिखा गया है। ८३६ प्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे और नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बङ्गला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि बनाने की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है। प्रत्येक चीज़ों के बनाने की विधि, इतनी सरल भाषा में वर्णन की गई है कि साधारण हिन्दी जानने वाली महिलाएँ भी भली भाँति समझ सकती हैं। प्रत्येक घर में इस पुस्तक का रहना अनिवार्य है। शीघ्रता कीजिए; केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं।

मूल्य ४) रु० स्थायी ग्राहकों से ३) रु० मात्र !

Printed and Published by R. SAIGAL—(Editor), at the Fine Art Printing Cottage,
28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.